

लोक-सभा वाद-विवाद

2nd Lok Sabha
(Fifth Session)



सत्यमेव जयते

(खण्ड १८ में अंक १ से अंक १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में)

३ शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

पृष्ठ

(द्वितीय माला, खण्ड १८, अंक १ से १०—११ अगस्त से २२ अगस्त, १९५८)

अंक १—सोमवार, ११ अगस्त, १९५८

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण ।

१

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ७, ९ से १२ और १४ से २१ . . . १—२५

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या ८, १३ और २२ से ३७ . . . २५—३४

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ७५ . . . ३४—६७

स्थगन प्रस्ताव ६८—७८

१. केरल में स्थिति ६८—७३

२. भारत-पाकिस्तान सीमा की घटनायें ७३—७८

श्री रायजादा हंसराज का निधन ७८

सभा पटल पर रखे गये पत्र ७९—८२

प्रक्रिया नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये निदेश ८२

संसदीय समितियां—कार्य का सारांश ८२

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ८२

केन्द्रीय बिक्रीकर (दूसरा संशोधन) विधेयक ८३

प्रवर समिति का प्रतिवेदन ८३

तारांकित प्रश्न संख्या २०३७ के उत्तर की शुद्धि ८३

रेलवे की बड़ी दुर्घटनाओं के बारे में वक्तव्य ८३—८६

केरल तथा मद्रास में विषैले भोजन के मामलों सम्बन्धी जांच आयोग के सम्बन्ध में वक्तव्य—

प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा गया ८६—८८

वाणिज्यिक नौवहन विधेयक ८८

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन की उपस्थापना के लिये समय का बढ़ाना ८८

विधेयक पुरःस्थापित ८८—९२

१. सशस्त्र बल (आसाम और मनीपुर) विशेष शक्तियां विधेयक ८८—८९

२. दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक ८९

३. खनिज तेल (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क) विधेयक ८९—९०

४. श्रमजीवी पत्रकार (मजूरी की दरों का निर्वारण) विधेयक ९०—९१

	पृष्ठ
५. औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) विनिश्चय संशोधन विधेयक .	६१
६. राजघाट समाधि (संशोधन) विधेयक .	६१
७. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक .	६२
सभा पटल पर रखे गये अध्यादेशों के सम्बन्ध में वक्तव्य .	८६—६३
१. सशस्त्र बल (आसाम और मनीपुर) विशेष शक्तियां अध्यादेश, १९५८ .	८६
२. दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अध्यादेश, १९५८ .	८६
३. खनिज तेल (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क) अध्यादेश, १९५८ .	९०
४. श्रमजीवी पत्रकार (मजूरी की दरों का निर्धारण) अध्यादेश, १९५८ .	९०—९१
५. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश .	९२—९३
प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व सम्बन्धी स्थान व अवशेष विधेयक— .	९३—१००
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव .	९३
नीवेली लिग्नाइट निगम (प्राइवेट) लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन के सम्बन्ध में चर्चा	१००—१०६
व्यापार तथा पण्य चिन्ह विधेयक	१०६
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	१०६
व्यापार तथा पण्य चिह्न विधेयक	१०६
संयुक्त समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य सभा पटल पर रखा गया .	१०६
कार्य मंत्रणा समिति—	१०६
छब्बीसवां प्रतिवेदन	१०६
दैनिक संक्षेपिका	११०—११८
अंक २—मंगलवार १२ अगस्त, १९५८	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३८, से ४१, ५४, ५५, ६२, ४४, ४५, ४७ से ४९, ५१ से ५३ और ५६ .	११६—१४२
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ४२, ४३, ४६, ५०, ५७, से ६१ और ६३ से ७० .	१४२—१५०
अतारांकित प्रश्न संख्या ७६, से ९३, ९५ से १४४ और १४६ से १८२ .	१५०—१६६

स्थगन प्रस्ताव	१६६—२०२
जमशेदपुर में सेना का बुलाया जाना	१६६—२०२
श्रीमती अनुसूया बाई काले का निधन	२०२
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२०२—२०३
तारांकित प्रश्न संख्या १६२५ के उत्तर की शुद्धि	२०४
कार्य मंत्रणा समिति—	
छब्बीसवां प्रतिवेदन	२०४
प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व सम्बन्धी स्थान व अवशेष विषयक राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, विचार करने का प्रस्ताव	२०४
खण्ड २ से ३६ और १	२२१—२२३
पारित करने का प्रस्ताव	२२३
अखिल भारतीय सेवा (संशोधन) विधेयक	
विचार करने का प्रस्ताव	२२३—२२८
खण्ड १ और २	२२६
पारित करने का प्रस्ताव	२३०
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे)——१६५४—५५	२३०—२४४
दैनिक संक्षेपिका	३४५—३५१
अंक ३,—बुधवार, १३ अगस्त, १६५८	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७१ से ७३ और ७५ से ८७	२५३—२७५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७४ और ८८ से १११	२७५—२८६
अतारांकित प्रश्न संख्या १८३ से २३५ और २३७ से २८६	२८६—३२८
स्थगन प्रस्ताव—	
अहमदाबाद में स्थिति	३२६—३३१
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३३२—३३७
अविलम्बनय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
कोटला बिजली घर का बन्द हो जाना	३३८
तारांकित प्रश्न संख्या २०६६ के उत्तर की शुद्धि	३३८
तारांकित प्रश्न संख्या १२६८ तथा १३१५ के उत्तर की शुद्धि	३३८
तारांकित प्रश्न संख्या १४८६ के उत्तर की शुद्धि	३३९
विदेशी मुद्रा की स्थिति सम्बन्धी वक्तव्य—	
श्री मोरारजी देसाई	३३९—३४२

समिति के लिये निर्वाचन—

राष्ट्रीय सेना छात्र निकाय की केन्द्रीय सलाहकार समिति	३४२—३४३
चीनी निर्यात सम्बन्धन विधेयक— पुरःस्थापित	३४३
चीनी निर्यात संवर्द्धन अध्यादेश के सम्बन्ध में वक्तव्य—सभा पटल पर रखा गया	३४३
खनिज तेल (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क) अध्यादेश सम्बन्धी संविहित संकल्प—अस्वीकृत	३४३—३४६
खनिज तेल (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क) विधेयक— पारित करने का प्रस्ताव	३४६—३५७
खंड १ से ६ पारित करने का प्रस्ताव	३६२
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश सम्बन्धी संविहित संकल्प तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक	३६३—३७२
दैनिक संक्षेपिका	३७३—३८५

अंक ४—गुरुवार, १४ अगस्त, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११२, ११३, और ११५ से १३० ३८७—४१५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११४	४१५—४२३
अतारांकित प्रश्न संख्या २८७, से ३४४, ३४६ से ३५० और ३५२	४२३—४५५
श्री लल्लन जी का निधन	४५४
स्थगन प्रस्ताव	४५४
उत्तर प्रदेश में बाढ़	४५४—४५५
सभा पटल पर रखे गये पत्र	४५५—४५६
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति तेइसवां प्रतिवेदन	४५६
अबिलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना मध्यपूर्व की स्थिति	४५६—४६२
लागत लेखा प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में वक्तव्य	४६२—४६३
विनियोग (रेलवे) संख्या ३ विधेयक—पुरःस्थापित	४६३
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक	४६३—५०३
दैनिक संक्षेपिका	५०४—५०८

अंक ५—शनिवार, १६ अगस्त, १९५८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४८ से १५०, १५४ से १५६ और १५८ से १६५ ५०९—५३३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५१ से १५३, १५७ और १६६ से १७७	५३४—५४०
अतारांकित प्रश्न संख्या ३५३—४३६	५४०—५८०
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	५८०—५८३
लोक लेखा समिति—	
सातवां प्रतिवेदन	५८३
सभा का कार्य	५८३
संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक—	
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन का समय बढ़ाया जाना	५८४
विनियोग (रेलवे) संख्या ३, विधेयक, १९५८	५८४
विचार करने का प्रस्ताव	५८४
खण्ड १ से ३ तथा अनुमोची पारित करने का प्रस्ताव	५८४
वनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश के बारे में संविहित संकल्प —अस्वीकृत	५८५—६०५
वनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक—	
प्रवर समिति को मौफने का प्रस्ताव	५८५—६०५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
तेइसवां प्रतिवेदन	६०६
कुछ उद्योगों में मजदूरनियमों की कमी के बारे में संकल्प	६०७—६१४
एकाधिकार रखने वाले सार्थों के कार्य के बारे में संकल्प	६१४—६२२
दैनिक संक्षेपिका	६२३—६३०

अंक ६—सोमवार, १८ अगस्त, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७८ से १८०, १८२ से १८६, १८८ से १९०, १९२, १९४ से १९६, १९८ से २००, २०२ और २०३	३३१—३५६
तारांकित प्रश्न संख्या १८३ के उत्तर की शुद्धि	६५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८१, १८७, १९१, १९३, १९७, २०१ और २०४ से २१८	६५६—६६५
अतारांकित प्रश्न संख्या ४४० से ५१८	६६५—६९७
स्थगन प्रस्ताव	६९७—७५५
स्वतन्त्रता दिवस पर जयपुर में घटनायें	६९७—६९८
दिल्ली में पानी का बन्द हो जाना—अस्वीकृत	६९८—७५५
सभा पटल पर रखे गये पत्र	७०१—८०४

	पृष्ठ
दो सदस्यों की गिरफ्तारी	७०४
सदस्य की नजरबन्दी तथा रिहाई	७०४
सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक—	
प्रदर समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित	७०४
नई रेलवे भाड़ा दरों के बारे में वक्तव्य	७०४—७०५
रेलवे बोर्ड में परिवर्तनों सम्बन्धी वक्तव्य	७०५—७०६
प्राक्कलन समिति की कार्यवाही का सारांश	७०६
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	७०६—७१२
खण्ड २ से ४ तथा १	७१४
पारित करने का प्रस्ताव	७१४
श्री दातार	७१२—७१४
सशस्त्र बल (आसाम तथा मनापुर) विशेष शक्तियां विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	७१४—७३१
खण्ड २ से ७ तथा १	७३२
पारित करने का प्रस्ताव	७३२—७५५
श्रमजिव पत्रकार (वेतन दरों का निर्धारण) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	७५५
दैनिक संक्षेपिका	७५६—७६२
अंक ७— मंगलवार, १६ अगस्त, १९५८	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २१६, २२० और २२२ से २३४	७६३—७८८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २२१ और २३५ से २७१	७८८—८०४
अतारांकित प्रश्न संख्या ५१६ से ५८४, ५८६ और ५८७	८०४—८३६
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	८३७
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	८३७—८३८
आबेलम्बनोय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
जमुना में बाढ़ और सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	८३८—८३९
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव	८४०—८६९
दिल्ली में पानी की व्यवस्था के सम्बन्ध में वक्तव्य	८६९
दैनिक संक्षेपिका	८७०—८७४

अंक ८—बुधवार, २० अगस्त, १९५८

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७२ से २७४, २७७, २७८, २८१, २८२, २८५	
से २८६ और २९१ से २९६	८७५—९००
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ और २	९००-९०१

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या २७५, २७६, २७९, २८३, २८४, २९० और	
२९७ से ३२७	९०१—९१७
अतारांकित प्रश्न संख्या ५८८ से ६५६	९१७—९४६
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३	९४७
श्री बीरकिशोर रे का निधन	९४७-४८
स्थगन प्रस्ताव	९४८—९५०
१. कोयम्बटूर में मिल का बन्दा हो जाना	९४८-९४९
२. जयपुर में स्थिति	९४९-९५०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	९५१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

चौबीसवां प्रतिवेदन	९५१
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के सम्बन्ध में प्रस्ताव	९५२—९६१
खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में प्रस्ताव	९६२—१०००
दो सदस्यों की गिरफ्तारी	९८०
कार्य मंत्रणा समिति	
सत्ताइसवां प्रतिवेदन	९९१
दैनिक संक्षेपिका	१००१—१००७

अंक ९, गुरुवार, २१ अगस्त, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३२८ से ३३०, ३३२, ३३३, ३५५, ३३५ से ३३७	
३३९, ३४०, ३४२, ३४४ और ३४५	१००९—१०३०

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या ३३१, ३३४, ३४१, ३४३, ३४६ से ३५४ और	
३५६ से ३९१	१०३१—१०५०
अतारांकित प्रश्न संख्या ६५७ से ६६१, ६६३ से ७०५ और ७०७ से ७२४	१०५०—१०७४

सभा-पटल पर रखे गये पत्र	१०७४
वाणिज्यिक नौवहन विधेयक	१०७५
(१) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	१०७५
(२) संयुक्त समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य— सभा पटल पर रखा गया । .	१०७५

कार्य मंत्रणा समिति—

सत्ताइसवां प्रतिवेदन	१०७५—७६
खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में प्रस्ताव	१०७६—११२६
दैनिक संक्षेपिका	११२७—११३२

अंक १०, शुकवार, २२ अगस्त, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९२ से ३९६, ३९८ से ४००, ४०२ से ४०४, ४१०, ४११, ४१३, ४२० से ४२६, ४२८ और ४२९	११३३—११६१
---	-----------

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९७, ४०१, ४०५ से ४०९, ४१२, ४१४ से ४१६ ४१८, ४१९, ४२७ और ४३० से ४३५	११६१—११६९
---	-----------

अतारांकित प्रश्न संख्या ७२५ से ७३१, ७३३ से ७४४ और ७४६ से ७८९	११६९—११९५
--	-----------

सभा-पटल पर रखे गये पत्र	११९५
-------------------------	------

सभा का कार्य	११९६
--------------	------

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन का समय बढ़ाया जाना ।	११९६—११९७
---	-----------

मनीपुर और त्रिपुरा (विधियों का निरसन) विधेयक—पुरस्थापित .	११९७
---	------

श्रमजीवी पत्रकार (वेतन दरों का निर्धारण) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव .	११९७—१२१०
--------------------------	-----------

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

चौबीसवां प्रतिवेदन	१२११
------------------------------	------

तेलों के उद्जनीकरण पर रोक विधेयक, १९५८—पुरस्थापित .	१२११
---	------

भारतीय विवाह-विच्छेद (संशोधन) विधेयक, १९५८—

(धारा ३ का संशोधन तथा धारा १० और ११ आदि के स्थान पर अन्य धाराओं का रखा जाना)—पुरस्थापित .	१२११
--	------

औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, १९५८—

(धारा १३ और द्वितीय अनुसूची का संशोधन)—पुरस्थापित .	१२१२
---	------

कामगार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक, १९५८—(अनुसूची १ का संशोधन)—पुरस्थापित	१२१२
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, १९५८— (धारा ११६-क का संशोधन)—पुरस्थापित	१२१२—१२१३
संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते संशोधन विधेयक, १९५८— (धारा ६ का संशोधन)—पुरस्थापित	१२१३
पशुओं के चारे में निर्यात पर रोक विधेयक, १९५८—पुरस्थापित	१२१३
विस्थापित व्यक्तियों का (प्राकृतिक आपत्तियों से) पुनर्वास विधेयक, १९५८—पुरस्थापित	१२१४
सिख गुरुद्वारा विधेयक, १९५८—पुरस्थापित	१२१४
एकाधिकार और व्यापार सम्बन्धी अनुचित तरीके (जांच तथा रोक) विधेयक, १९५८—पुरस्थापित	१२१४—१३१५
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित	१२१५
संविधान संशोधन विधेयक, १९५८— (अनुच्छेद १३६ का संशोधन)—पुरस्थापित	१२१५
भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक— विचार करने का प्रस्ताव	१२१५—१२२५
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक— विचार करने का प्रस्ताव	१२२५—१२३२
दैनिक संक्षेपिका	१२३३—१२३७

नोटः—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

मंगलवार, १६ अगस्त, १९५८

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

दण्डकारण्य योजना

+
†*२१६. { श्री वि० च० शुक्ल :
 { श्री बी० चं० शर्मा :
 { श्री संगणना :
 { श्री मोहन स्वरूप :

क्या पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक कार्य मंत्री २ मई, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ३६८६ के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्डकारण्य योजना को चलाने के लिये एक उचित संगठन स्थापित करने के प्रश्न के बारे में निर्णय किया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो निर्णय किस प्रकार का है ;

(ग) संगठन के क्या कार्य होंगे ; और

(घ) संबंधित राज्य सरकार से इस संगठन के ठीक-ठीक किस प्रकार के संबंध होंगे ?

†पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) जी हां ।

(ख) केन्द्रीय सरकार की ओर से इस योजना का प्रशासन दण्डकारण्य विकास प्राधिकार द्वारा किया जायेगा । इस निकाय में एक सभापति एवं निम्न सदस्य होंगे :—

मुख्य प्रशासक,

मध्य प्रदेश और उड़ीसा के मुख्य सचिव,

गृह-कार्य मंत्रालय का प्रतिनिधि,

†मूल अंग्रेजी में

सदस्य (इंजीनियरिंग)

सदस्य (कृषि)

(ग) इस प्राधिकार के कार्य इन लोगों के लिये योजना कार्यान्वित करना होगा :—

(१) स्थानीय आदिमजाति के लोगों का विशेष रूप से ध्यान रखते हुये क्षेत्र का संगठीत विकास करना ; और

(२) पूर्वी पाकिस्तान से आये हुये विस्थापित व्यक्तियों को पुनः बसाना ।

(घ) राज्य सरकारें आवश्यक शक्तियां केन्द्रीय सरकार को दे देंगी जो अपनी बारी आन पर वही शक्तियां प्रस्तावित दण्डकारण्य विकास प्राधिकार को दे देगी जिससे वह योजना को कार्यान्वित करने में समर्थ हो सके ।

†श्री वि० च० शुक्ल : विस्तृत वन संसाधनों तथा अन्य खनिज संसाधनों के विदोहन के लिये जिनका उल्लेख मंत्रालय द्वारा परिचालित पुस्तिका में किया गया है इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के बारे में पुनर्वास मंत्रालय ने क्या विशिष्ट कार्यवाही की है ?

†श्री पू० शे० नास्कर : फिलहाल तो प्राधिकार बनाया जा चुका है और प्रस्तावित प्राधिकार विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास, सड़कें बनाने एवं अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करेगा और तत्पश्चात ज्यों ही समय आयेगा, मंत्रालय यह निश्चय करेगा कि इन योजनाओं का क्या किया जाये ।

†श्री वि० च० शुक्ल : क्या सरकार ने उस स्थान अथवा नगर के बारे में निश्चय कर लिया है जहां से दण्डकारण्य योजना का प्रशासक कार्य करेगा ?

†श्री पू० शे० नास्कर : दण्डकारण्य योजना का प्रशासक मध्य प्रदेश के जगदालपुर और उड़ीसा के कोरापुट नामक दो स्थानों से कार्य करेगा किन्तु प्राधिकार का प्रशासकीय मुख्यालय उड़ीसा के कोरापुट नामक स्थान में ही रहेगा ।

†श्री बर्मन : हमें पता लगा है कि इस वर्ष के दौरान में लगभग ५,००० परिवार पुनर्वास के लिये इस योजना के अन्तर्गत ले जाये जाने हैं । किन्तु माननीय पुनर्वास मंत्री के हाल के दौरे से यह पता चला कि पश्चिमी बंगाल में उस ऊंची जमीन पर जो पुनर्वास के उपयुक्त है, २०,००० परिवार बसाये जायेंगे । क्या अब फिर योजना में कोई परिवर्तन होगा ?

†श्री पू० शे० नास्कर : सम्भवतः माननीय सदस्य कलकत्ता के अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित समाचार का उल्लेख कर रहे हैं । उसमें यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि नई योजना के आधार पर २०,००० परिवार वहां बसाये जायेंगे किन्तु पश्चिमी बंगाल के शिविरों में लगभग ४५,००० परिवार रह रहे हैं । वहां की राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को बाताया है कि वह १०,००० अथवा उससे कुछ अधिक परिवारों को बसा सकेगी । अतः दण्डकारण्य को लगभग ३५,००० परिवार ले जाये जायेंगे । अतः जहां तक दण्डकारण्य योजना का संबंध है, इस समय हमारे कार्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

†श्री दी० चं० शर्मा : इस योजना में कितने शरणार्थियों को लाभ प्रद रोजगार दिया गया है ?

†श्री पू० शे० नास्कर : योजना अभी आरम्भ नहीं हुई है।

†पंडित द्वा० ना० तिवारी : इस योजना पर प्राक्कलित व्यय कितना होगा ?

†श्री पू० शे० नास्कर : प्राक्कलित व्यय का पता तभी चलेगा जब हम योजना को लेकर आगे बढ़ेंगे। इस समय मैं सही-सही आंकड़े नहीं दे सकता।

†श्री कासलीवाल : प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में माननीय उपमंत्री ने बताया कि प्राधिकार आदिमजाति के लोगों तथा पश्चिमी बंगाल से आये शरणार्थियों के पुनर्वास का प्रबन्ध करेगा। घनी आबादी वाले राज्यों के अन्य लोग जो इस क्षेत्र में बसना चाहते हैं उन्हें वहां बसने की अनुमति क्यों नहीं दी जाती ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) : यह प्राथमिकता का प्रश्न है। यह सारी योजना ही प्रमुख रूप से पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों के लिये है, और वहां के आदिमजाति के लोगों के हितों को सदैव ध्यान में रखा गया है। ये ही प्राथमिकताएँ हैं। यदि कुछ गुंजाइश हुई तो अन्य लोगों का भी स्वागत किया जायेगा।

†श्री प्र० के० देव : क्या यह सच है कि मुख्य प्रशासक का कार्यालय दिल्ली में है, और यदि हां, तो क्या सरकार उसे दण्डकारण्य में स्थानान्तरित करने का विचार करती है, और यदि ऐसा है तो कब ?

†श्री पू० शे० नास्कर : जी नहीं। प्रशासक का कार्यालय स्थायी रूप से दिल्ली में नहीं है, वह दिल्ली में इस कारण है कि कोरापुट और जगदालपुर में मुख्यालय स्थापित करने से पहले के प्रारम्भिक कार्यों को व्यवस्था की जा सके।

†श्री प्र० के० देव : प्रारम्भिक कार्य में कितना समय लगेगा ?

†श्री पू० शे० नास्कर : मुझे बताया गया है कि इसमें अधिक समय नहीं लगेगा।

†श्री सूयकर : क्या यह क्षेत्र केन्द्रीय प्रशासित होगा, और यदि हां, तो कब से ?

†श्री पू० शे० नास्कर : यह क्षेत्र केन्द्रीय प्रशासित न होकर आपितु योजना केन्द्रीय प्रशासित होगा। शान्ति और व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्नों का निबटारा सम्बन्धित सरकारें ही करेंगी।

श्री प्रभूत कार : क्या यह राजाना बिना किसी प्राक्कलित व्यय के आरम्भ कर दी गई थी ?

†श्री पू० शे० नास्कर : योजना प्राक्कलित व्यय के बिना आरम्भ नहीं की गई थी। चालू वर्ष के लिये प्राक्कलित आयव्ययक के रूप में हमारे पास लगभग ३ करोड़ रुपये हैं और ज्यों ही हम योजना को लेकर आगे बढ़ें जायेंगे, आयव्ययक संसद् के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

+ कार्बन ब्लैक बनाने का संयंत्र

†*२२०. { श्री श्री नारायण दास :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री २ मई, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३१३६ के

†मूल अंग्रेजी में

उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कार्बन ब्लैक बनाने के लिये एक संयंत्र स्थापित करने संबंधी चर्चा पर अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का समझौता किया गया है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†श्री श्री नारायण दास : क्या सरकार इस वार्ता में कोई भाग ले रही है और यदि हां, तो वह किस प्रकार का है ?

†श्री मनुभाई शाह : हम चर्चा में भाग ले रहे हैं और दो पक्षों से वार्ता चल रही है जिनमें एक तो राष्ट्रीय औद्योगिक विकास परिषद है और दूसरी गैर-सरकारी क्षेत्र के अधीन है।

†श्री श्री नारायण दास : इन पर अन्तिम निर्णय कब तक हो जायेगा ?

†श्री मनुभाई शाह : मैं आशा करता हूं कि आगामी जून तक दोनों अथवा एक संयंत्र के बारे में अन्तिम निर्णय हो जायेगा।

राजस्थान के भू-स्वामी नेता

†२२२. श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के भू-स्वामी नेताओं ने उनके पास कोई अभ्यावेदन भेजा है और उनसे हस्तक्षेप करने के बारे में भेंट की है ; और

(ख) उनकी मांगें किस प्रकार की हैं और उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

†वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) और (ख) . जी हां, भू-स्वामी संघ के प्रतिनिधि प्रधान मंत्री से मिले थे और इस संबंध में उन्होंने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है। राजस्थान के मुख्य मंत्री ने प्रतिकर संबंधी कुछ मामलों में प्रधान मंत्री को मध्यस्थ निर्णय करने के लिये आमंत्रित किया है।

प्रधान मंत्री ने ऐसा करने के लिये अपनी सहमति दे दी है और कहा है कि पहले वह इस मामले की जांच किसी सक्षम प्राधिकार से करवाना चाहेंगे। इस मामले का उल्लेख उन्होंने योजना आयोग को किया जिसने उस पर काफी समय देकर विचार किया और इस संबंध में जयपुर का दौरा किया था। प्रधान मंत्री को उनकी रिपोर्ट मिल जाने पर वह इस पर विचार करेंगे और अपना निर्णय देंगे।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : इस मामले में प्रधान मंत्री को हस्तक्षेप करने की क्यों आवश्यकता पड़ी ?

†मूल अंग्रेजी में

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : राज्य सरकार और दूसरे पक्ष के निवेदन पर जब दोनों ने प्रधान मंत्री की इस मामले में सहायता मांगी, तो मैं सहमत हो गया।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : किन परिस्थितियों में राजस्थान की सरकार ने कौन-कौन सी सिफारिशें स्वीकार नहीं कीं और क्या मैं यह समझूं कि राजस्थान सरकार भू-स्वामियों के विरुद्ध हो गई है?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मेरे समक्ष केवल प्रतिकर का प्रश्न रखा गया था और वह भी एक सीमित रूप में। जब राजस्थान के मुख्य मंत्री ने यह कहा कि यदि मैं इस मामले की जांच करूं और अपनी सहमति दूं, तो मैं सहमत हो गया। मैं इस शर्त पर तैयार हो गया कि मैं सक्षम व्यक्तियों द्वारा इसकी पूरी जांच कराऊंगा जो मुझे इस पर राय देंगे। अतः केन्द्रीय सरकार अथवा प्रधान मंत्री पर इसका आरोप नहीं लगाया जा सकता। राजस्थान सरकार इसके लिये पूर्णरूपेण प्रभारी है। किन्तु उसके द्वारा मेरी सम्मति मांगने पर मैं उसे सम्मति दूंगा।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या प्रधान मंत्री को पता है कि इन वर्षों में भू-स्वामियों को बसाने के लिये कुछ भी नहीं किया गया है?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मेरी धारणा यह है कि बहुत कुछ काम किया जा चुका है। यह कार्य पर्याप्त है अथवा नहीं, यह कह सकना मेरे लिये कठिन है।

†श्री वाजपेयी : क्या यह सच है कि माननीय प्रधान मंत्री ने इस प्रश्न का उल्लेख योजना आयोग को किया था और उससे रिपोर्ट मांगी थी?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : जी हां, यह सच है।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या जागीर को पुनः चालू करने और प्रतिकर का भुगतान करने के प्रश्न का उल्लेख कुछ वर्ष बीते तभी माननीय प्रधान मंत्री को किया गया था और उन्होंने यह सारा मामला पंडित गो० ब० पन्त को सौंप दिया था, जो उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे? अब ऐसा क्या दृष्टिकोण उत्पन्न हो गया जिससे प्रधान मंत्री को पुनः यह कार्य सौंपने की आवश्यकता पड़ गई?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : क्या मैं पिछले उत्तर के संशोधन के रूप में यह कह सकता हूं कि मैंने इसे योजना आयोग को नहीं भेजा था अपितु वहां के कुछ विशेष पदाधिकारियों को भेजा था जो सामान्यतः ऐसे मामलों को निबटाते हैं? योजना आयोग ने इसका निबटारा किया भी नहीं था।

दूसरा जो प्रश्न यह था कि कई वर्ष बीते तब इसका उल्लेख मुझ से सम्पूर्ण प्रश्न के बारे में मध्यस्थ निर्णय के लिये कहा गया था। मैंने यह कार्य कोई विशेष इच्छा से नहीं किया था। किन्तु अन्ततोगत्वा जब मुझे यह बताया गया कि शायद इस मामले में मैं उनकी सहायता कर सकूं तो मैंने उसे स्वीकार कर लिया और वह भी इस शर्त पर कि मैं अन्य लोगों से परामर्श लूंगा, वह अन्य व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे जो उत्तर प्रदेश के विधान सम्बन्धी मामलों को निबटाते रहे थे। विद्यमान गृह-कार्य मंत्री ने, जो उस समय मुख्य मंत्री थे, इस मामले की गहरी छानबीन

की और जांच करने के पश्चात् एक लम्बी रिपोर्ट भेजी थी जिससे मैं सहमत हो गया। उसके लग-भग एक वर्ष पश्चात् कुछ भू-स्वामियों ने मेरे इस निर्णय को स्वीकार नहीं किया जिसका परिणाम यह हुआ कि मत-विभिन्नता उत्पन्न हो गई। अन्ततोगत्वा उसका बहुत कुछ भाग तय किया जा चुका है; पक्षों से परामर्श करके राजस्थान सरकार ने सिद्धान्त सम्बन्धी सारी बातें स्वीकार कर लीं। अब कुछ छोटे-मोटे जागीरदारों को प्रतिकर देने का ही कुछ काम शेष रह गया है। यह मामला अब मेरे पास लाया गया है, चूंकि सभी लोग मेरी सहायता चाहते थे, अतः मैं इसके लिये सहमत हो गया।

मेसर्स जेसप एण्ड कम्पनी

†*२२३. श्रीमती पार्वती कृष्णन् : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास मेसर्स जेसप एण्ड कम्पनी के मजदूरों द्वारा कम्पनी के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी हां।

(ख) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ की धारा १८ (क) के उपबन्धों के अधीन इस उपक्रम की व्यवस्था को सुधारने के लिये मेसर्स जेसप एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता का प्रबन्ध भारत सरकार ने पहले से ही अपने अधिकार में ले लिया है। इस उपक्रम का राष्ट्रीयकरण करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

†श्रीमती पार्वती कृष्णन् : क्या इसका प्रबन्ध सरकार द्वारा अपने हाथ में लिये जाने के बाद से मजदूरों की मांगों की जांच की गई है और वे स्वीकार करली गई है ?

†श्री मनुभाई शाह : व्यवस्था लेने के पश्चात् से मजदूरों की मांगों की जांच की जा रही है।

†श्री स० म० बनर्जी : क्या मूंदड़ा की अन्य सार्थों को भी अपने अधिकार में लेने के बारे में सरकार विचार करेगी, जो ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रही हैं ?

†श्री मनुभाई शाह : जैसा कि मैं इस सभा में कई बार बता चुका हूं श्री मूंदड़ा का सम्बन्ध इन छः अन्य सार्थों से है—जेसप, रिचर्ड्सन कूडा, ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन, ओसलर, एंजेलो ब्रदर्स तथा स्मिथ स्टानीस्ट्रीट। इन छः में से चार का प्रबन्ध खराब था। जेसप के मामले में हमने उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, की धारा १८ (क) के अन्तर्गत उसके विरुद्ध कार्यवाही की थी। जहां तक बी० आई० सी० ओसलर, रिचर्ड्सन, और कूडा इन तीन का सम्बन्ध है, जीवन बीमा निगम ने न्यायालयों को प्रभावित कर दिया है, अतः सरकार ने विशेष पदाधिकारी नियुक्त किये हैं। शेष एंजेलो ब्रदर्स और स्मिथ स्टानीस्ट्रीट सन्तोषजनक रूप से कार्य कर रही हैं, अतः कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

†श्री जोकीम आल्वा : इन सब सार्थों में जिनमें गैर सरकारी व्यवस्था समाप्त करके प्रबन्ध सरकार ने ले लिया है, क्या सरकार नियोजकों अथवा मजदूरों में से किसी ऐसे व्यक्ति को चुनने में अथवा मजदूर और प्रबन्ध की मिली जुली परिषद् की स्थापना करने में दिलचस्पी ले रही है, जैसा कि हिन्दुस्तान मशीन टूल फैक्टरी में किया गया है ?

†श्री मनुभाई शाह : इन सार्थों के मामले में निरन्तर दिलचस्पी ली गई है जिस का प्रमाण यह है कि सदन ने इन कारखानों की कार्यपद्धति में बड़ा चाव दिखाया है। जहां तक उत्पादन का संबंध है, जसप कम्पनी जब से भारत सरकार के हाथों में आई है, इस के उत्पादन में अत्याधिक उन्नति हुई है। १९५६-५७ में ७.३२ करोड़ रुपये के उत्पादन की तुलना में १९५७-५८ में ८.४० करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि चालू वर्ष में भी यही गति बनी रहेगी।

यह सुझाव कि मजदूरों को सम्मिलित किया जाना चाहिये, मैं सविनय निवेदन करना चाहूंगा कि यह इस प्रकार का कारखाना नहीं है जिस में हम यह प्रयोग कर सकें। हम ने हिन्दुस्तान मशीन टूल के बारे में जो कुछ किया है वह केवल उन्हीं सार्थों में किया जा सकता है जिन में अच्छी प्रकार से कार्य किया जा रहा है। ये सार्थ सरकार ने इस कारण अपने हाथों में लिये हैं कि इन में भूतकाल में कुप्रबन्ध था।

†श्री कासलीवाल : सरकार इन सार्थों का राष्ट्रीयकरण करना क्यों आवश्यक नहीं समझती है ?

†श्री मनुभाई शाह : कारण स्पष्ट है। जब तक हम यह नहीं समझ लेते कि सरकार विभिन्न उपायों के द्वारा किसी सार्थ में उन्नति नहीं कर लेंगे तब तक उन में तमाम रुपया फंसाना ठीक नहीं समझा जाता।

†श्री स० च० सामन्त : क्या मजदूरों ने अभ्यावेदनों में जो शिकायतें की हैं वे सरकार को बता दी गई हैं ?

†श्री मनुभाई शाह : मजदूरों की मांगों की सहानुभूतिपूर्वक जांच की जा रही है।

†श्रीमती पार्वती कृष्णन् : इस तथ्य की दृष्टि से कि जेसप के कुछ ऐसे ठेके हैं जो द्वितीय पंच वर्षीय योजना के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं, मैं जानना यह चाहूंगा कि क्या वास्तव में उत्पादन में सुधार हुआ है, और यदि उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई है, तो सरकार इस के राष्ट्रीयकरण करने की जांच करेगी ?

†श्री मनुभाई शाह : इस बारे में हमें कोई भय नहीं है। उत्पादन में वृद्धि होगी। सरकार द्वारा हाथ में लेने से निरन्तर वृद्धि हो रही है।

†श्री दासप्पा : इस कम्पनी की खाता पूंजी कितनी है ?

†श्री मनुभाई शाह : जेसप कम्पनी की खाता पूंजी लगभग १.२२ करोड़ रुपये है जो १ करोड़ रुपये के सामान्य अंशों और २२ लाख रुपये के अधिमान अंशों के रूप में विभाजित है।

युद्ध-विराम रेखा को पार करना

- +
- †*२२४,० { श्री दी० चं० शर्मा :
 श्री वासुदेवन् नायर :
 श्री कुमारन् :
 डा० राम सुभग सिंह :
 श्री राधा रमण :
 श्री शिवनंजप्पा :
 श्री रघुनाथ सिंह :
 श्री रा० स० तिवारी :
 श्री सूपकार :
 श्री प्र० के० देव :
 श्री न० रा० मुनिस्वामी :
 श्री पांगरकर :
 श्रीमती मफीदा अहमद :
 श्री मोहन स्वरूप :
 श्री आसर :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में चौधरी गुलाम अब्बास और उस के अनुयाइयों ने काश्मीर में युद्ध-विराम रेखा को पार करने का प्रयत्न किया था;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्ति वास्तव में युद्ध-विराम रेखा को पार कर गये; और

(ग) भारत सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

†वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) जी हां ।

(ख) दस ।

(ग) उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और जम्मू तथा काश्मीर सरकार द्वारा उक्त राज्य के निर्गमन तथा प्रवेश (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन उन पर कार्यवाही की जायेगी ।

†श्री दी० चं० शर्मा : काश्मीर में यह आना-जाना समाप्त हो गया है अथवा युद्ध-विराम रेखा के लिये अभी भी भय है ?

†श्रीमती लक्ष्मी मेनन : यह इस अर्थ में समाप्त हो गया है कि नेता लोग गिरफ्तार कर लिये गये थे ।

†श्री न० रा० मुनिस्वामी : क्या इस आरोप में कुछ सच्चाई है कि यह आना-जाना कुछ स्वासन्न राजनीतिक दलों का काम है और इस में पाकिस्तान सरकार का भी हाथ है ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : यह देखना हमारा काम नहीं कि इस मामले में पाकिस्तान में क्या व्यवस्था है । किन्तु इस बारे में पाकिस्तान में लोगों ने क्या कहा है यह मैं पढ़ कर सुनाना चाहूंगा । आजाद काश्मीर के तथाकथित राष्ट्रपति सरदार इब्राहीम ने इस आन्दोलन को एक ऐसी राजनीतिक चाल बताया है जो भारत के विरुद्ध इतनी नहीं है जितनी उन के विरुद्ध । श्री फीरोज खां नून ने यह कहा है कि काश्मीर मुक्ति आन्दोलन के बारे में पाकिस्तान के कुछ समाचारपत्रों में बहुत बड़ा चढ़ा कर छपा गया था । इन समाचारपत्रों के विरुद्ध

कार्यवाही करने का उन का कोई विचार नहीं है और आशा की जाती है कि वे स्वयं अपना उत्तर-दायित्व समझेंगे। सरदार इब्राहीम ने दुबारा कहा है :

“इस आन्दोलन के सम्बन्ध में की गई गिरफ्तारियों के बारे में बड़े गलत-सलत आंकड़ों समाचारपत्रों में प्रकाशित किये गये हैं।”

उन्होंने ने कहा है :

“इस समय (पाकिस्तान द्वारा) इस आन्दोलन के सिलसिले में ३५ व्यक्ति नजरबन्द हैं, २५ व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत मुजाफराबाद में और १० सुरक्षा विधि के अन्तर्गत गिरफ्तार हैं।”

सरदार इब्राहीम ने पुनः कहा है :

“मुजफराबाद और चिनारी में इस आन्दोलन में केवल ३०० से ४०० लोगों ने भाग लिया था जो कभी इधर हो जाते थे तो कभी दूसरी ओर।”

इस से पता लगता है कि पाकिस्तान में हजारों की संख्या में लोग कार्य कर रहे थे, बहुत बड़ा चढ़ा कर बताया गया समाचार है।

†श्री सुपकार : यह आन्दोलन कब तक चलता रहा और काश्मीर सरकार द्वारा कितने लोग नजरबन्द किये गये।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : यह बताया जा चुका है। संख्या १० है।

†श्री सुपकार : यह आना-जाना कब तक जारी रहा ?

†श्री नाथ पाई : ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के प्राधिकार दोनों ओर से लाभ उठाना चाहते हैं। एक ओर तो ऐसा लगता है कि उन्हें उत्तेजित किया गया अथवा प्रोत्साहित किया गया था और दूसरी ओर इसका प्रतिरोध कर रहे हैं। उनके अनुसार ४०० व्यक्तियों ने सीमा पार की थी। चूंकि वे पाकिस्तान के राष्ट्रजन थे, अतः क्या हमारी सरकार ने भारत की सीमा पार कर के आने के बारे में प्रतिरोध किया था ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : जी हां, सुरक्षा परिषद् में इस का प्रतिरोध किया गया था। स्वयं पाकिस्तान की सरकार ने सुरक्षा परिषद् के प्रेजिडेंट को पत्र लिखा था जिस का उत्तर हम भेज चुके हैं।

†पंडित द्वा० ना० तिवारी : क्या यह सच है कि काश्मीर की नेशनल कांफ्रेंस ने युद्ध-विराम रेखा को पार कर जवाबी हमला करना चाहा था और पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र में जाना चाहा था जिस के लिये भारत सरकार ने उन्हें मना कर दिया ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : शायद किसी ने ऐसा कहा हो किन्तु मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ करने का उन का विचार था।

+ “भारत--१९५८ ” प्रदर्शनी

†*२२५. { श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्रीमती इलापाल चौधरी :
श्री वाजपेयी :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री दामानी :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

†मूल अंग्रेजी में

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में अक्टूबर और नवम्बर, १९५८ में 'भारत १९५८' नामक राष्ट्रीय प्रदर्शनी होने जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रदर्शनी का मोटे तौर से उद्देश्य क्या है;

(ग) क्या इस में भाग लेने के लिये विदेशों को भी आमंत्रित किया जायेगा; और

(घ) इस प्रदर्शनी के बारे में अब तक कितनी प्रगति की गई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) जी हां ।

(ख) प्रदर्शनी का उद्देश्य देश की आर्थिक प्रगति का एक समायोजित चित्र प्रस्तुत कर भारतीय उद्योग, व्यापार कला और संस्कृति की झांकी दिखाना है । विवरण पत्रिका की एक प्रतिलिपि लोक-सभा पटल पर रख दी जाती है जिस में योजना भी दी गई है । [पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये एल. ट. - ८३३/५८]

(ग) जी नहीं ।

(घ) भाग लेने वालों के लिये स्थान नियत किया जा चुका है और निर्माण सम्बन्धी कार्य-प्रगति पर है ।

†श्री ह. रेड्ब्रिज माथुर : इस प्रदर्शनी का देश में कैसा स्वागत किया गया है और अब तक क्या किया गया है ?

†श्री सतीश चन्द्र : इस का स्वागत अत्याधिक उत्साहवर्द्धक है । पुरानी औद्योगिक प्रदर्शनी जो तीन वर्ष पूर्व हुई थी, पहले वही ७२ एकड़ भूमि इस के लिये ली गई थी । यह सारा स्थान घिर चुका है और अब ४० एकड़ भूमि इस में और बढ़ाई गई है ।

सेठ अचल सिंह : इस एग्जिबिशन में कौन कौन हिस्सा ले रहे हैं और किस तारीख से यह शुरू होगी और कब खत्म होगी ?

श्री सतीश चन्द्र : १ अक्टूबर से यह शुरू होगी और ३० नवम्बर को खत्म होगी । इस में सेन्ट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज, सारी स्टेट गवर्नमेंट्स और जितने इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में हैं वे हिस्सा ले रहे हैं । इस के अलावा जितने हमारे काटेज इंडस्ट्रीज वगैरह के बोर्ड्स हैं वे भी इस में हिस्सा ले रहे हैं नाटक अकादमी वगैरह भी इस में हिस्सा लेंगी ।

†श्री राम कृष्ण : विदेशों से जो लोग इस में भाग लेने आते हैं वे अपनी मशीनें साथ लाते हैं और यहीं बेच जाते हैं । क्या इस प्रकार का कोई प्रबन्ध किया है और उन्हें भुगतान विदेशी मुद्रा में किया जायेगा अथवा रुपयों में ?

†श्री सतीश चन्द्र : यह पूर्ण रूपेण एक राष्ट्रीय प्रदर्शनी है जिस का उद्देश्य भारत की प्रगति का प्रदर्शन करना है । सामान्यतः विदेशी मशीनरी का प्रदर्शन नहीं किया जायेगा । हो सकता है कि उन के पुर्जे जोड़ कर यहीं उन्हें पूरा किया जाये ।

†श्री दामानी : क्या सरकार की कोई योजना वार्षिक अथवा समय-समय पर देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की प्रदर्शनी करने का है ?

†श्री सतीश चन्द्र : देश के विभिन्न भागों में समय-समय पर प्रदर्शिनियां होती ही रहती हैं किन्तु यह बड़ी प्रदर्शनी दिल्ली में हो रही है ।

†श्री सिंहासन सिंह : क्या यह सच है कि पहली प्रदर्शिनियों में विभिन्न सरकारों द्वारा बनवाये गये स्टाल, जो भारत सरकार को दे दिये गये थे, अब गिराये जा रहे हैं ?

†श्री सतीश चन्द्र : प्रश्न मेरी समझ में नहीं आया ।

†अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते हैं कि क्या पुराने स्टालों को, जो पहली प्रदर्शनी में बनाये गये थे और भारत सरकार को सौंप दिये गये थे, गिराया जा रहा है ?

†श्री सतीश चन्द्र : पुराने स्टाल हम ने नहीं गिराये हैं । कुछ स्थान दूसरे उपक्रमों को आवंटित किया गया है और यदि वे पुराने स्टालों को जगह पर अच्छे स्टाल बनाना चाहते हैं तो वे स्वयं खर्च करेंगे ?

†श्री वाजपेयी : कर्णाधार समिति^१ के सदस्य कौन-कौन हैं और उन में गैर-सरकारी व्यक्ति कितने हैं ?

†श्री सतीश चन्द्र : मैं ने सभा-पटल पर जो "प्रोस्पैक्टस" रखा था उस में सब ब्यौरा दिया गया है । वह पुस्तकालय में उपलब्ध है ।

†श्री तंगामणि : विवरण से पता चलता है कि यह प्रदर्शनी दो मास तक चलेगी और यह इस वर्ष दिल्ली में होगी । क्या यह प्रदर्शनी हर साल होगी जिस के लिये स्थायी स्टाल आदि बनाये जायेंगे ?

†अध्यक्ष महोदय : क्या इस प्रदर्शनी और उस में बनाये गये ढांचों को स्थायी रूप दिया जायेगा ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : कुछ एक स्थायी तौर पर बनाये गये हैं जो भविष्य में होने वाली प्रदर्शनियों में काम आयेंगे । वस्तुतः पहले भी कुछ ऐसे स्टाल हैं जो रेलवे प्रदर्शनी और उद्योग प्रदर्शनी दोनों में काम आये थे । परन्तु प्रत्येक वर्ष यह प्रदर्शनी करने के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है ।

†श्री दासप्पा : इस प्रदर्शनी में भाग लेने वालों को प्रदर्शनी की सूचना कब दी गई थी और क्या यह ठीक है कि समय बहुत कम है और उन्होंने शिकायतें की हैं कि इतने कम समय में आवंटित स्थानों पर उपयुक्त ढांचे बनाना आसान नहीं है ?

†श्री सतीश चन्द्र : यह सच है कि समय कम है । यह प्रदर्शनी करने का निर्णय गत मई में ही किया गया । दिल्ली में अक्टूबर में कई अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने वाले हैं जिन में विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि आदि भी सम्मिलित हैं । इसीलिये यह ठीक समझा गया कि उस समय भारत के आर्थिक विकास के कार्यक्रम का प्रदर्शन किया जाये जिस से आगे की योजनाओं में सहायता मिल सके । यह देखते हुए समय कम है परन्तु उपक्रमों द्वारा जो उत्साह प्रकट किया है उस से हम अनुभव करते हैं कि जितने स्थान की मांग की गई है उस की व्यवस्था शायद हम न कर पायें ।

†श्री दासप्पा : यह देखते हुए कि कुछ बहुमूल्य स्टाल लगाने पर जोर दिया जा रहा है क्या सरकार इस बारे में विचार करेगी कि प्रदर्शनी में भाग लेने वालों को कुछ राजसहायता दी जाये ?

†श्री सतीश चन्द्र : कोई बहुमूल्य स्टाल लगाने पर जोर नहीं दिया जा रहा है परन्तु जो भी स्टाल लगाये जाते हैं उन के डिजाइन उपक्रम स्वयं तैयार कराते हैं । इस प्रकार की प्रदर्शनी में वे अपने स्टाल अत्यन्त प्रभावशाली बनाना चाहेंगे यह तो स्वाभाविक ही है । सरकार कोई आर्थिक सहायता नहीं दे रही है बल्कि सरकार उस जमीन का किराया लेगी जो उन्हें आवंटित की जा रही है ।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : एक बार भारत सरकार ने ऐसा विचार व्यक्त किया था कि भारत की प्रगति को दिखाने के लिये स्थायी तौर पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाये । क्या इसे स्थायी बनाया जायेगा ?

†मूल अंग्रेजी में

^१Steering Committee.

†अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न पूछा जा चुका है ।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : वह स्टालों के बारे में है ।

†अध्यक्ष महोदय : आप जानना चाहते हैं कि क्या यह प्रदर्शनी स्थायी होगी ?

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : जी हां । वस्तुतः कुछ समय पूर्व कहा गया था

†अध्यक्ष महोदय : प्रदर्शनी को स्थायी रूप दिया जा सकता है और इमारत को भी ॥ वह जानना चाहते हैं कि दोनों में से किसे स्थायी बनाया जा रहा है ।

†श्री वाजपेयी : माननीय मंत्री ने अभी बताया कि कर्णाधार समिति के सदस्यों के नाम "प्रास्पैक्टस" में दिये गये हैं

†अध्यक्ष महोदय : यह क्या ? अभी पहले प्रश्न का उत्तर दिया नहीं गया और माननीय सदस्य ने दूसरा प्रश्न पूछ लिया ।

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : एक स्थायी अजायबघर बनाने का विचार तो है । यह प्रदर्शनी स्थायी तौर पर तो नहीं चल सकती । उस बारे में अभी विचार किया जा रहा है और सम्भव है कि इस प्रदर्शनी के कुछ भाग को अजायबघर में बदल दिया जाये । अभी तो इस की खोजबीन की जा रही है ।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि इस एग्जीबिशन से एस्टिमेटिड इनकम क्या है और कितना एक्सपेंडीचर होगा ?

श्री सतीश चन्द्र : अभी तो इन का और एक्सपेंडीचर का बिल्कुल सही अंदाजा लगाना मुश्किल है क्योंकि जैसा मैं ने अभी अर्ज किया कि ७२ एकड़ जमीन पहले एग्जीबिशन के लिये रखी गई थी और वह एलाट हो गई थी और अब उस में ४० एकड़ जमीन और जोड़ी गई है । जब यह मालूम हो जायेगा कि कितनी जमीन उठाई जा रही है उस का कितना किराया आयेगा, उस के बाद पूरा बजट बन सकेगा ।

वस्त्र उद्योग सम्बन्धी जांच समिति

- +
- †*२२६ { श्री सूपकार :
 श्री रामेश्वर टांटिया :
 श्री विभूति मिश्र :
 श्री दामानी :
 श्री न० रा० मुनिस्वामी :
 श्री स० म० बनर्जी :
 श्री तंगामणि :
 श्री दी० चं० शर्मा :
 श्री वाजपेयी :
 श्री सिद्धनंजप्पा :
 श्री संगण्णा :
 श्री कुमारन् :
 श्री हेम राज :
 श्री नाथपाई :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्त्र उद्योग की समस्याओं का परीक्षण करने के लिये नियुक्त की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी; और

(ग) समिति की सिफारिशों पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी हां ।

(ख) एक प्रति सभा पटल पर पहले रखी जा चुकी है ।

(ग) उत्पादन शुल्कों के बारे में समिति की सिफारिशों पर विचार किया गया है और सरकार के निर्णय की घोषणा कर दी गई है । समिति की अन्य सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है ।

†श्री सूपकार : इस समिति के सदस्यों के नाम और उन के निर्देश पद क्या हैं ?

†श्री कानूनगो : सदस्यों के नाम ये हैं । सभापति श्री डी० एस० जोशी; सदस्य—प्रौ० डी० जी० कार्वे, श्री एन० माजुमदार, श्री कन्हैया लाल मेहता.

अध्यक्ष महोदय : वे कितने हैं ?

†श्री कानूनगो : नौ ।

श्री कृष्णराज ठाकर्स, श्री वासवदा, श्री वैकटस्वामी नायडू और श्री अरावमुथन् । उनका निर्देश पद २६ मई की अधिसूचना में दिये गये हैं ।

†श्री नाथ पाई : समिति इस लिये नियुक्त की गई थी कि इस उद्योग में कुछ आतंक सा फैल रहा था और जिसके फलस्वरूप देश के कुछ भागों में विशेषकर बम्बई राज्य में बहुत बेरोजगारी फैल गई है । एक हल निकाला गया था.

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न क्या है ?

†श्री नाथ पाई : मैं प्रश्न पूछने ही वाला हूँ । शोलापुर में इस समस्या का हल निकाला गया था । क्या सरकार उसी सूत्र को देश के अन्य भागों में भी लागू करने के बारे में विचार कर रही है ?

†श्री कानूनगो : मैं समझ नहीं सका कि माननीय सदस्य किस सूत्र की ओर संकेत कर रहे हैं ।

†अध्यक्ष महोदय : सूत्र यह है कि शोलापुर मिल को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था ।

श्री नाथ पाई : मिल को तुरन्त बन्द कर दिया गया और १०,००० लोग बेरोजगार हो गये तब कर्मचारियों, मिल के प्रबन्धकों और बम्बई सरकार के प्रतिनिधियों ने मिल कर एक सूत्र तैयार किया गया और इतने लोगों को बेकार होने से रोक दिया गया । क्या सरकार अन्य मिलों पर भी यही तरीका लागू करने के बारे में विचार कर रही है ?

‡श्री कानूनगो : समिति की सिफारिशें प्रतिवेदन में दी गई हैं और उसमें ऐसी कोई सिफारिश नहीं है। सिफारिशों पर हम निर्णय करेंगे।

‡श्री पी० रा० रामकृष्णन् : प्रतिवेदन में सिफारिश की गई है कि उद्योग के विस्तार की स्वीकृति न दी जाये। क्या सरकार ने उत्पादन और वर्तमान मशीनरी को स्थिर करने के लिये कोई कार्यवाही की है।

‡श्री कानूनगो : वे काफी हद तक स्थिर हो चुका है और आशा है कि कुछ सप्ताह में वह और स्थिर हो जायेगा। विस्तार को रोकने के बारे में सरकार ने कोई निर्णय नहीं दिया है।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूँ कि जो २७ करोड़ की एक्साइज ड्यूटी में कमी की गई उस कमी के करने से जो कपड़े के कज्यूमर्स हैं उन की कीमत में कितनी कमी हुई है?

श्री कानूनगो : अभी तो सिर्फ दो तीन हफ्ते हुए हैं। इस का नतीजा महीने, दो महीने में मालूम हो जायगा।

‡श्री न० रा० मुनिस्वामी : क्या यह सच है कि समिति ने सिफारिश की है कि निर्यात के कपड़े को देश में इस्तेमाल करने पर दण्ड देने का जो आदेश है उसे हटा दिया जाये ?

‡श्री कानूनगो : जी नहीं, इस बारे में उन्होंने विशेष रूप से कोई सिफारिश नहीं की है ?

‡श्री स० म० बनर्जी : जो कपड़े की मिलें बन्द हो चुकी हैं उनके लिये समिति ने तत्कालीन उपाय बताये हैं ?

‡श्री कानूनगो : जी हां, सिफारिशें की गई हैं। मैं ने मूल प्रश्न के उत्तर में बताया है।

‡श्री स० म० बनर्जी : उपचार के तत्कालीन उपाय क्या हैं ? वह तो दीर्घकालीन उपाय हैं। मैं ने स्वयं प्रतिवेदन पढ़ा है।

श्री कानूनगो : सिफारिशें की गई हैं और उन पर सरकार निर्णय करेगी। इस से अधिक मैं कुछ नहीं बता सकता।

‡अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

‡श्री तंगामणि : मैं ने प्रश्न की पूर्व सूचना दी थी।

अध्यक्ष महोदय : वह कृपया मेरी बात सुनें। माननीय सदस्य किसी प्रतिवेदन के बारे में सभी प्रश्न तो समाप्त नहीं कर सकते। यदि प्रतिवेदन अधिक महत्वपूर्ण है और कई सदस्य मांग करते हैं तो उस पर चर्चा की जा सकती है। और अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते।

‡श्री तंगामणि : मैं ने जिस प्रश्न की पूर्वसूचना दी थी.....

‡अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार तो माननीय सदस्य प्रश्न पूछते ही जायेंगे।

‡श्री तंगामणि : मैं ने जिस प्रश्न की पूर्व सूचना दी थी उसे दूसरे प्रश्नों के साथ मिला दिया गया है। मैं एक विशेष बात पूछना चाहता था जो अभी तक किसी ने नहीं पूछी है। प्रतिवेदन पर

तो चर्चा की जा सकती है परन्तु मैं यह जानना चाहता हूँ कि मद्रास में पहले ही काफी स्टॉक जमा है और अभी वहाँ २,००,००० तकुए लगाये जाने हैं। तो क्या एक सिफारिश यह भी है कि जिन्हें लाइसेन्स मिले हैं उन्हें इन तकुओं का आयात करने की अनुज्ञा न दी जाये। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि जिन लोगों ने तकुए लगा लिये हैं वे तब तक उत्पादन शुरू न करें जब तक कि यह संकट समाप्त नहीं होता।

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं एक दो बातें स्पष्ट कर दूँ।

पहली बात तो यह कि यह प्रतिवेदन हाल ही में प्रस्तुत किया गया था। जहाँ तक उत्पादन शुल्क को घटाने का सम्बन्ध था सरकार ने तुरन्त कार्यवाही की और सिफारिश प्राप्त होने के तीन या चार दिन बाद ही हम ने अपना निर्णय घोषित कर दिया था। उद्योग पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा और कपड़े का जमा स्टॉक भी कम हो गया। घोषणा के बाद लगभग २०,००० गट्टों का विक्रय हुआ।

दूसरे यह कि अब कपड़े की मिलें बन्द नहीं हो रही हैं। लगभग २६-३० मिलों ने काम बन्द करने का नोटिस दे रखा था। लगभग सभी ने मिलों को बन्द करने के नोटिस वापस ले लिये हैं। अतः इस से सभा को पता चलेगा कि समिति की सिफारिशों और उन पर की गई कार्यवाही का निश्चित प्रभाव पड़ा है। जहाँ तक अन्य सिफारिशों का सम्बन्ध है.....

†श्री स० म० बनर्जी : क्या कोई मिल पुनः खोली गई है ?

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : जी हाँ, मिलें पुनः खोल दी गई हैं। वे कुछ दिनों के लिये बन्द की गई थी अब पुनः चालू हो गई हैं। केवल यही नहीं.....

†श्री तंगामणि परन्तु मद्रास में कालेस्वर मिल अभी अभी बन्द हुई है (अन्तर्बाधायें)

अध्यक्ष महोदय : सभी एक साथ नहीं।

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : इस प्रकार अन्तर्बाधा नहीं पड़नी चाहिये। वे प्रश्न पूछें और मैं उत्तर दूंगा।

†श्री रंगा : सदस्यों को प्रत्यक्षतः एक दूसरे से प्रश्न नहीं पूछने चाहिये।

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, हमारे कहने पर, इस मामले में विशेष रुचि लेता रहा है। उनके पदाधिकारी उन में से प्रत्येक मिल में गये जिन्हें बन्द करने की घमकी दी गई थी। वे मालिकों और श्रमिकों से मिले और उन्होंने स्थिति को ठीक रखने का प्रयत्न किया।

†श्री स० म० बनर्जी : क्या मैं जान सकता हूँ.....

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को अभी मैं और कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछने दूंगा, शान्ति, शान्ति—सभा में कुछ तो शिष्टता से काम लेना चाहिये। माननीय सदस्य बार बार अनुपूरक प्रश्न पूछते जा रहे हैं और अन्तर्बाधा डाल रहे हैं जब कि माननीय मंत्री उत्तर दे रहे हैं।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : नये तकुओं को चालू करने और उनमें आयात के मामले पर विचार किया जा रहा है। क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण मामला है कि उद्योग का अग्रेतर विस्तार रोका जाये या नहीं, सरकार को इस पर विचार करना है परन्तु इस समय उद्योग के विस्तार का तो कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि पहले ही स्टॉक जमा है और मिलें भी तुरन्त आयात करने और क्षमता बढ़ाने के लिये विशेष उत्सुक नहीं है।

असाम में बरगोलई खान

*२२७. श्री बोस : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने को कृपा करेंगी कि :

(क) क्या मई, १९५८ के अन्तिम सप्ताह में असाम की बरगोलई खान बन्द कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो खान को बन्द करने का क्या कारण था ;

(ग) खान को बन्द करने से कितने श्रमिक बेरोजगार हो गये ; और

(घ) जो श्रमिक बेरोजगार हो गये उनके लिये क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई ?

श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव: (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) खान विभाग के कहने पर कुछ क्षेत्रों को जिन पर आग का असर पड़ा था अहतयात के तौर पर बन्द करना ठीक था।

(ग) तीन अलग दिनों जो श्रमिक काम से हटाये गये उनकी संख्या नीचे दी गई है :

२६ मई, १९५८ . २३८

३० मई, १९५८ . ४६०

३१ मई, १९५८ . ७४

(घ) बरगोलई कोयला खान के प्रबन्धकों ने सभी श्रमिकों को वैकल्पिक रोजगार दे दिया था।

श्री बोस : खानों को पुनः पूरी तरह कब खोला जायेगा ?

श्री ल० ना० मिश्र : खान में काम १ जुलाई, से शुरू हो जायेगा।

श्री बोस : कितना कोयला निकाला जाता है ?

श्री ल० ना० मिश्र : खान में यह खराबी थी कि वहां ऐसी गैस निकलती थी जिसे बहुत जल्दी आग लग जाती है, इसलिये बिना अहतयात के काम करना ठीक न था।

श्री बोस : कुल कितना कोयला निकला था ?

श्री ल० ना० मिश्र : इसके लिये मुझे पूर्वसूचना चाहिये।

† बेतिया शरणार्थी कैम्प में पुलिस द्वारा गोली चलाना

†
 श्री सूपकार :
 श्री मोहम्मद इलियास :
 श्री विभूति मिश्र :
 †*२२८. { श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
 श्री स० म० बनर्जी :
 श्री घोषाल :
 श्री मोहन स्वरूप :
 श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुलिस ने १३ मई, १९५८ को बेतिया शरणार्थी कैम्प में विस्थापित व्यक्तियों पर गोली चला दी ;

(ख) यदि हां, तो गोली चलाने के क्या कारण थे ;

(ग) कितने व्यक्ति मरे और घायल हुये ;

(घ) क्या कोई जांच की गई ;

(ङ) यदि हां, तो जांच की उपपत्तियां क्या हैं ;

(च) क्या गोलीकांड से पूर्व और पश्चात् बेतिया के अनेकों "ट्रांजिट कैम्पों" के विस्थापित व्यक्तियों की शिकायतों के बारे में अभ्यावेदन सरकार को मिले थे ; और

(छ) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) से (ग). इस बारे में बिहार सरकार द्वारा १४ मई, १९५८ को जारी किये गये प्रैस नोट की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २२]

(घ) और (ङ). गोली चलने के बाद राज्य सरकार के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारी मौके पर गये। उनकी राय में गोली चलाना मुनासिब था।

(च) और (छ). बेतिया कैम्प के विस्थापित व्यक्तियों ने ११ जनवरी, १९५८ को प्रदर्शन करते समय कुछ मांगें पेश की थीं। उनकी मुख्य मांग जो अकर्म वेतन बढ़ाने के बारे में थी सरकार ने स्वीकार कर ली। अन्य मांगें स्वीकार नहीं की जा सकती थीं जिन में कुछ एक ये थीं कि कुछ लोगों के खिलाफ़ दाण्डिक अपराधों के आधार पर अदालतों में जो मुकदमे चल रहे थे वे वापस ले लिये जायें, कैम्प में रहने वाले लोगों को अपने सम्बन्धियों से मिलने के लिये पश्चिमी बंगाल जाने के लिये मुफ्त पासदिये जायें, उन्हें बंगाल की सीमा पर बसाने का प्रबन्ध किया जाये, अतिरिक्त सहायता और पुनर्वास का अधिक लाभ प्राप्त करने के लिये परिवारों का विभाजन करने की अनुमति दी जाये। ईंधन मुफ्त दिया जाये या बागों में से वृक्ष काटने की अनुमति दी जाये इत्यादि।

†श्री सूपकार : क्या खंड अधीक्षक के खिलाफ़ शरणार्थियों को कोई शिकायत थी जिसे उन्होंने कुछ देर रोक रखा था ?

†मल अग्रेजी में

†श्री पू० शे० नास्कर : इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है ।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : उपमंत्री ने कहा कि शरणार्थियों ने जनवरी, १९५८ में कुछ मांगें पेश की थीं और यह भी बताया कि अकर्म वेतन बढ़ाने की मांग सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई थी । क्या यह भी सच है कि अकर्म वेतन का भुगतान रोकने पर ही सारा झगड़ा शुरू हुआ था और गोली चलाई गई जिसमें पांच व्यक्ति मारे गये ?

†श्री पू० शे० नास्कर : मैं माननीय महिला सदस्य से इस बात पर सहमत नहीं हूँ इसी कारण गोली चलाई गई । राज्य सरकार ने जो प्रैस विज्ञप्ति जारी की वह उसे देखें और वह सही है । मैं राज्य सरकार से सहमत हूँ ।

†श्री पाणिग्रही : मंत्री महोदय ने कहा कि पांच व्यक्ति मारे गये थे । क्या कुछ पदाधिकारियों को वहां जांच के लिये भेजने के अतिरिक्त इन पांच व्यक्तियों के बारे में, जो मर गये कोई निष्पक्ष न्यायिक जांच भी की जायेगी ?

†श्री पू० शे० नास्कर : यह विधि तथा व्यवस्था का मामला है और राज्य सरकार जो ठीक समझेगी करेगी ।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : जो प्रश्न पूछा गया वह बिल्कुल साधारण था कि क्या कोई न्यायिक जांच की जायेगी क्योंकि शरणार्थी पुनर्वास केन्द्रीय सरकार के अधीन है ।

†श्री पू० शे० नास्कर : परन्तु मैं ने बताया कि यह विधि और व्यवस्था का मामला है अतः इसका निर्णय राज्य सरकार को ही करना होगा । यदि उनकी राय में वहां एक वरिष्ठ पदाधिकारी को भेजना, जिसने गोलीकांड को उचित बताया, पर्याप्त है तो आगे मैं क्या कह सकता हूँ ।

†अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

†श्री विभूति मिश्र : अध्यक्ष जी, मुझे एक प्रश्न पूछ लेने दीजिये

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य सदा इसकी शिकायत करते रहते हैं । बाद में चाहे उन्हें कई अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाये परन्तु एक बार अवसर न दिया जाये तो वह तुरन्त खड़े हो कर कहने लगते हैं कि मुझे अवसर नहीं दिया गया । अगला प्रश्न ।

एकीकृत भेषज उद्योग

+

†*२२६. { श्री तंगामणि :
श्री वें० प० नायर :
श्री शिवनंजप्पा :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में एकीकृत भेषज उद्योग स्थापित करने, जैसा कि रूसी विशेषज्ञों ने सिफारिश की है, के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) परियोजना पर कितनी लागत का अनुमान है ;

(ग) इस में कितनी विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी ; और

†मूल अंग्रेजी में

(घ) क्या यह सच है कि प्रस्तावित योजनाओं के व्यौरे पर विचार करने के लिये रूसी विशेषज्ञों का एक दल भारत आ रहा है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (घ). आठ रूसी विशेषज्ञों का एक दल भारत में भेषज और औषधि निर्माण उद्योग के विकास के लिये भारतीय विशेषज्ञों से चर्चा करने के लिये आया हुआ है। विचार हो रहा है।

†श्री तंगामणि : मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न के भाग (ग) का उत्तर नहीं दिया जिसमें यह पूछा गया है कि भारत में एकीकृत भेषज उद्योग स्थापित हो जाने में कितनी विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी ?

†श्री मनुभाई शाह : जबकि अभी तक बातचीत और चर्चा हो रही है तो अन्तिम प्राक्कलन और उत्पाद के बारे में क्या कहा जा सकता है। परन्तु मैं सभा को आश्वासन दिलाता हूँ और मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि देश में एकीकृत भेषज निर्माण की पूर्ण योजना इस वर्ष तैयार हो जायेगी।

†श्री तंगामणि : हमारे देश में प्रत्येक वर्ष कितनी औषधियों का आयात किया जाता है और उसका कुल मूल्य क्या है ?

†श्री मनुभाई शाह : लगभग १५ करोड़ रुपये के "पैन्ल्टीमेट", "कैम्पलैक्स" और "बेसिक इण्टरमीजियेट"।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : कौन से भारतीय विशेषज्ञ रूसी विशेषज्ञों के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। क्या बम्बई और मद्रास भेषज स्टोरों के साथ संलग्न सरकारी कारखाने भी उसमें शामिल किये गये हैं।

†श्री मनुभाई शाह : जहां तक बम्बई के कारखाने का सम्बन्ध है यदि माननीय सदस्य का अभिप्राय पिम्परी कारखाने से है तो उस कारखाने का मैनेजिंग डायरेक्टर उस दल का सदस्य है। सात विशेषज्ञ हैं जिनमें से छः गैर सरकारी उद्योग में से हैं।

†श्री शिवनंजप्पा : क्या रूस से कोई वित्तीय सहायता भी प्राप्त हो रही है ?

†श्री मनुभाई शाह : रूस के सहयोग से भेषज उद्योग की स्थापना करने के लिये भारत को ८ करोड़ रूबल का ऋण मिला है यह सभा को मालूम ही है।

†श्री जोकीम आलवा : लगभग आधी दर्जन फर्मों, जो विदेशी फर्मों के सहयोग में काम कर रही हैं, ऐसी हैं कि उन्होंने मूल्य उतने ही अधिक रखे जितने कि आयात की गई औषधियों के हैं। नया कारखाना स्थापित हो जाने पर वर्तमान कारखानों को उनके साथ कैसे मिलाया जायेगा ?

†श्री मनुभाई शाह : माननीय सदस्य की धारणा बिल्कुल सही नहीं है। मूल्य अधिक नहीं हैं। हम इस बात का लगातार ध्यान रखते हैं। सरकारी सैक्टर में भेषज उद्योग आरम्भ करने के बारे में भारत सरकार अमरीका, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली और रूस के दलों और विभिन्न विशेषज्ञों से विचार-विनिमय कर रही है। सभा को मालूम है कि हर मास हम प्रगति करते जाते हैं और १९५८ का वर्ष भारत के इतिहास में शायद औषधि निर्माण का वर्ष माना जायेगा जबकि सरकारी और गैर-सरकारी सैक्टर में सभी औषधियां बनने लगेंगी।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मंत्री महोदय ने बताया कि दल के छः सदस्य वाणिज्यिक संस्थाओं के हैं। उसमें सरकार के और डाक्टरों की संस्थाओं के कौन-कौन से व्यक्ति हैं ?

†श्री मनुभाई शाह : मैंने पहले ही बताया कि बंगाल फार्मेसियोटिकल के श्री सेन हैं। यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं सारे नाम सुना दूँ।

†अध्यक्ष महोदय : कोई आवश्यकता नहीं।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : केवल पांच या छः नाम हैं। वह सुना सकते हैं।

†अध्यक्ष महोदय : वह बंगाल का पहले ही जिक्र कर चुके हैं।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मुझे बंगाल या मद्रास के बारे में जानकारी नहीं चाहिये। मैं यह जानना चाहती हूँ कि वह पांच या छः व्यक्ति कौन हैं जिनका उनसे सम्बन्ध है ?

†श्री मनुभाई शाह : ये लोग हैं भारत सरकार से डा० बी० साहा, डा० नागराज और डा० काने, एक सज्जन अतुल प्राडक्ट्स से हैं, एक बंगाल कैमिकल्स से हैं, एक साराभाई कैमिकल्स से हैं—डा० विक्रम साराभाई, और पिम्परी के कारखाने के मैनेजिंग डाइरेक्टर श्री शान्तिलाल राजा हैं।

रेलवे की आवंटित राशि में कमी

+

†*२३०. { श्री रामकृष्ण :
 सरदार इक्रबाल सिंह :
 श्री पाणिग्रही :
 श्री ही० ना० मुकर्जी :
 श्री दामानी :
 श्री रघुनाथ सिंह :
 श्री संगण्णा :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों के कारण योजना आयोग ने रेलवे के विकास कार्यक्रमों में कटौती कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी; और

(ग) इस कटौती का असर किन-किन प्रमुख योजनाओं पर पड़ा है ?

†श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) रेलवे के कार्यक्रम पर विदेशी मुद्राओं के व्यय में (जो पहले के अनुमान के अनुसार ४२५ करोड़ रुपये का था) कमी करने की दृष्टि से कार्यक्रम की समीक्षा की गयी थी और विदेशी मुद्राओं की आवश्यकताओं में ३४ करोड़ रुपयों की कमी मंजूर भी की जा चुकी है। कुछ और बचत करने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं। लेकिन आयोग ने ११२५ करोड़ रुपयों के उस कुल वित्तीय उपबन्ध में कोई कटौती नहीं जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रेलवे के लिये किया गया था (और जिसमें अवक्षयण सुरक्षित (निधि^१ के २२५ करोड़ रुपये भी शामिल हैं)।

(ग) रेलवे की विदेशी मुद्राओं की आवश्यकताओं में कमी होने के फलस्वरूप इन-इन योजनाओं को स्थगित करने अथवा कई वर्षों में फैला देने के लिये मंजूरी दी जा चुकी है:—

† मूल अंग्रेजी में

१. Non-identifiable steel.

(करोड़ रुपये)

१. कुछ उपकरणों, जैसे पहियों की जोड़ियों, सवारी-डिब्बों के लिए बिजली के सामान बिजली के अन्य सामान और पहचाने न जा सकने वाले इस्पात की खरीदमें कटौती	५.००
२. उपकरणों में से कुछ मदों की, जिनमें १०८ डीजल के इंजन, ६२ क्रेन, सिगनल और सी टी सी के उपकरण भी शामिल हैं, खरीद का स्थगन	११.५०
३. बिजली से गाड़ियां चलाने के कार्यक्रम का पुनर्प्रविस्था भाजन ^१	६.००
४. देश में इस्पात के सम्भरण की स्थिति में सुधार हो जाने के फलस्वरूप आयात किये जाने वाले इस्पात में ८.५ करोड़ रुपयों की कटौती	८.५०
जोड़	३४.००

†अध्यक्ष महोदय : मेरा सुझाव है कि यदि उत्तर में आंकड़े देने हों तो मन्त्री उस विवरण को लोक सभा पटल पर रख दिया करें ।

†श्री राम कृष्ण : इस कटौती से विदेशी मुद्राओं सम्बन्धी कठिनाइयों में कितनी कमी हो जायेगी ?

†श्री ल० ना० मिश्र : विदेशी मुद्राओं की कठिनाई के कारण ही यह कटौती की गयी है ।

†अध्यक्ष महोदय : विदेशी मुद्राओं से सम्बन्धित प्रत्येक प्रश्न वित्त मन्त्री से पूछा जाना चाहिये । यदि वह रेलवे के बारे में हो तो उसे रेलवे मन्त्री से पूछा जाना चाहिये ।

†श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा) : यह संख्या उत्तर में ही बता दी गयी थी— ३४ करोड़ रुपये ।

†श्री पाणिग्रही : यह कहा गया है कि जहां तक रेलवे की खपत का सम्बन्ध है, इस्पात का आयात कम कर दिया जायेगा । रेलवे को कुल कितने इस्पात की आवश्यकता थी और आयात में की जाने वाली इस कमी का उन इंजीनियरिंग तथा उन अन्य उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा जिन्हें रेलवे ने अपने आदेश दे रखे हैं ?

†श्री ल० ना० मिश्र : मेरे लिये यह बताना तो कठिन है कि रेलवे को कुल कितने इस्पात की आवश्यकता थी । यह प्रश्न तो रेलवे से पूछा जाना चाहिये ।

†श्री नन्दा : इन बचतों का सम्बन्ध बिजली से रेलें चलाने की योजना से अधिक है, और इसी लिये यह बिल्कुल दूसरी ही प्रकार का प्रश्न है ।

†श्री च० द० पांडे : कुछ एसी रेलवे लाइनें हैं जिनका सर्वेक्षण तो किया गया था लेकिन विदेशी मुद्राओं की कठिनाइयों के कारण जिन्हें अब छोड़ दिया गया है । लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें कोई परिवर्तन करना आवश्यक नहीं समझा गया है । इन अन्य परियोजनाओं को क्यों छोड़ दिया गया है ?

†योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : हम उन मदों को बता चुके हैं जिनके सम्बन्ध में कमी की गयी है । जहां तक माननीय सदस्य की इस धारणा का सम्बन्ध है, इसमें अधिक औचित्य नहीं है ।

† मूल अंग्रेजी में

१ Non-identifiable Steel.

२ Rephasing.

†श्री पाणिग्रही : हम अब बिजली से गाड़ियां चलाने का कार्यक्रम आरम्भ कर रहे हैं और मंत्री महोदय ने अभी बताया कि उस पर असर पड़ सकता है। बिजली से गाड़ियां चलाने के इस कार्यक्रम पर कितना असर पड़ेगा ?

†श्री ल० ना० मिश्र : बिजली से गाड़ियां चलाने की योजनाओं के अधीन कार्यक्रम की जिन मदों में कमी की जाने वाली है, हम उन्हें बता चुके हैं।

†श्री पाणिग्रही : यह कहा गया है कि बिजली से गाड़ियां चलाने के कार्यक्रम का पुनर्वास्थाभाजन किया जायेगा। क्या वे बिजली से गाड़ियां चलाने के कार्यक्रम को कई वर्षों में फैलाने वाले हैं ?

†श्री श्या० नं० मिश्र : पुनर्वास्थाभाजन का अर्थ यही होता है कि कुछ मदों को स्थगित किया जायेगा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि कुछ मदों को ही काट दिया जायगा। जहाँ तक पुनर्वास्थाभाजन की सीमा का सम्बन्ध है, अभी यह बताना मेरे लिये कठिन होगा।

†श्री जोकीम आल्वा : क्या मंत्री महोदय को पता है कि योजना आयोग ने मैसूर राज्य के लिये हर नयी रेलवे लाइन को रद्द कर दिया है ? क्या उन्हें यह भी पता है कि रुमानिया सरकार ने मैसूर राज्य के तमाम लौह और मैंगनीज अयस्क के बदले मैसूर में करवार के लिये रेलवे, सड़क और पतन के उपकरण देने का प्रस्ताव किया था ?

†श्री ल० ना० मिश्र : मुझे नहीं मालूम।

विकास कार्यक्रम की क्रियान्विति

†*२३१. श्री कुमारन : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में गैर-सरकारी संगठनों का निकट सहयोग प्राप्त करने के लिये राज्य सरकारों के पास कोई योजना भेजी गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम हुए हैं ?

†श्रीम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) इस प्रकार की कोई योजना तो नहीं भेजी गयी है। हां, जनता का अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त करने और स्थानीय संसाधनों के उपयोग की दृष्टि से स्वेच्छा से कार्य करने वाले संगठनों को विकास कार्यक्रमों के निकटतम सम्पर्क में लाने के तरीकों के सम्बन्ध में योजना आयोग के विचार अवश्य राज्य सरकारों को भेजे गये हैं। योजना आयोग के दिनांक १६ मार्च, १९५८ के पत्र संख्या पी० सी० पब/८(२३)/५८ की एक प्रति लोक-सभा पटल पर रखी जाती है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २३]

†श्री कुमारन : यह देखा गया है कि मौजूदा स्थानीय संगठनों का, जो अधिक लोकप्रिय होते हैं, सहयोग प्राप्त करने के स्थान पर राष्ट्रीय विस्तार सेवा और सामुदायिक विकास अधिकारीगण नये संगठन बना रहे हैं। क्या सरकार या योजना आयोग इस आशय की हिदायतें जारी करेंगी कि जहाँ तक सम्भव हो इस प्रयोजन के लिये मौजूदा संगठनों का ही उपयोग किया जाय।

श्री ल० ना० मिश्र : योजना आयोग और राज्य सरकारों का यही प्रयास रहा है कि यथा-सम्भव मौजूदा सामाजिक और राजनीतिक संगठनों का ही सहयोग प्राप्त किया जाय। मैं नहीं समझता कि किसी नये संगठन की स्थापना की जा रही है।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण योजनायें

+

†*२३२. { श्री हाल्दर :
श्री ही० ना० मुकर्जी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सांख्यिकीय संस्था को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्य और गवेषणा प्रशिक्षण योजनाओं के लिये पिछले पांच वित्तीय वर्षों में कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त संस्था ने जो आंकड़े संकलित किये थे उसके भाष्य सहित क्रम-बद्ध रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की गयी है ;

(ग) यदि हां, तो कब से ; और

(घ) क्या राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण समीक्षा समिति की, जिसने पिछले वर्ष अपना सर्वेक्षण दिया था, सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये कुछ कार्यवाही की गयी है ?

†वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) अपेक्षित जानकारी का एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २४]

(ख) जी नहीं । १९५२ के बाद से १० प्रतिवेदन प्रकाशित हो चुके हैं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण समीक्षा समिति की नियुक्ति भारतीय सांख्यिकीय संस्था ने की थी और जहां तक सरकार को पता है, इस समिति का प्रतिवेदन इस संस्था को दिया गया है । बताया जाता है कि कुछ सिफारिशों को तो संस्था ने क्रियान्वित कर दिया है और कुछ विचाराधीन है ।

†श्री हाल्दर: कलकत्ते के कुछ प्रमुख दैनिक पत्रों ने भारतीय सांख्यिकीय संस्था के खिलाफ इस आशय के कुछ गम्भीर आरोप लगाये हैं कि वहां कुछ ऐसे बाहरी कार्यों पर धन व्यय किया जा रहा है जिनका उस संस्था के कार्य से कोई सम्बन्ध नहीं है । यदि ये आरोप सही ह, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मैं प्रश्न से जो कुछ समझ पाया हूं वह यह कि कलकत्ते के कुछ दैनिक पत्रों ने यह आरोप लगाया है कि संस्था का धन कुछ बाहरी कार्यों पर व्यय किया जा रहा है । यह बड़ा अस्पष्ट सा आरोप है । यह संस्था एक स्वशासी निकाय है जिसको सरकार से काफी आर्थिक सहायता मिलती है और इसका प्रबन्ध करने वाले निकाय में सरकार के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद हैं । लेकिन फिर भी यह एक स्वशासी निकाय है । राज्य-सनद प्राप्त लेखापाल^१ सके लेखे की परीक्षा करते हैं । अभी कुछ ही दिन पहले लोक-सभा में उसके बारे में एक सवाल पूछा गया था और मैंने उसका जवाब दिया था ।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : भाग (ख) से उत्पन्न : उपमन्त्री महोदया ने कहा था कि १० नमूना सर्वेक्षण प्रकाशित किये गये हैं । क्या राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के एकत्र किये हुए ऐसे और भी आंकड़े हैं जिनको संकलित और अन्तिम रूप देकर निकाला नहीं गया है ।

†श्रीमती लक्ष्मी मेनन : दस प्रतिवेदन प्रकाशित किये जा चुके हैं और ऐसे और भी प्रतिवेदन हैं जो प्रकाशन की अन्तिम अवस्था में पहुंच चुके हैं। ऐसे प्रतिवेदन ६ हैं और ६ प्रतिवेदन तैयार किये जा रहे हैं।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : वह हमें कब तक मिल जायेंगे ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : ये प्रश्न बड़े अस्पष्ट हैं। माननीय सदस्या किन रिपोर्टों का जिक्र कर रही हैं ? रिपोर्टें तो कई हैं और उनमें से कुछ लोक सभा पटल पर और पुस्तकालय में रखी जा चुकी हैं। वे असाधारण नियमितता और गति के साथ आ रही हैं। जहां तक मैं अन्दाज लगा पाया हूं, यह काम बहुत ही कुशलतापूर्ण ढंग से किया जा रहा है।

कागज बनाने की मशीनों का निर्माण

†*२३३. श्री पाणिग्रही : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कागज बनाने की मशीनों का निर्माण करने वाले कारखाने की स्थापना का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) क्या किसी विदेशी फर्म ने इस उपक्रम में सहयोग करने की उत्सुकता प्रगट की है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) दो पार्टियों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और वह विचाराधीन हैं।

(ख) जी हां।

†श्री पाणिग्रही : कागज बनाने वाली मशीनों का आयात करने में देश कितना धन व्यय कर रहा है ?

†श्री मनुभाई शाह : पिछले साल लगभग ४^१/_२ करोड़ रुपये की मशीनें मंगायी गयी थीं।

†श्री पाणिग्रही : भारत सरकार किन किन दो एजेन्सियों से पत्र-व्यवहार कर रही है ?

†श्री मनुभाई शाह : जी नहीं, यह भारत सरकार के क्षेत्र में नहीं है। जो दो प्रस्ताव विचाराधीन हैं वह दोनों गैर-सरकारी क्षेत्र में हैं।

†श्री पाणिग्रही : हमें जो मशीनें मिल रही हैं उन पर हमें कितने मूल्य की विदेशी मुद्रायें देनी पड़ती हैं ?

†श्री मनुभाई शाह : यदि माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि पिछले या चालू वर्ष में हमने कितना आयात किया, तो मैं उत्तर दे चुका हूं। पिछले वर्ष यह ४^१/_२ करोड़ रुपये का था; इस वर्ष ६ महीने के लिये यह २.३६ करोड़ का था। जहां तक इन दो योजनाओं का सम्बन्ध है, एक में १ करोड़ रुपयों की और दूसरी में २ करोड़ रुपयों की विदेशी मुद्रायें लगेंगी।

उर्वरक के कारखाने

†*२३४. श्री दामानी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक उर्वरक के कितने कारखाने पूरे हो जाने की आशा है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) द्वितीय योजना की अवधि में मूलतः ऐसे कितने कारखानों को पूरा कर लेने की योजना थी ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट, २, अनुबन्ध संख्या २५]

†श्री दामानी : क्या राजस्थान में, जहां कच्चा माल बहुत बड़े परिमाण में उपलब्ध है, उर्वरक का एक कारखाना खड़ा करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया है ? यदि नहीं, तो इसे भी कार्यक्रम में शामिल न करने के क्या कारण हैं ?

†श्री मनुभाई शाह : जैसा कि माननीय सभा और माननीय सदस्यों को पता है, राजस्थान वाले कारखाने को हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शामिल नहीं कर पाये थे। यह सच है कि राजस्थान में कच्चा माल बहुतायत से पाया जाता है और माननीय सदस्य को मैं यह आश्वासन दे सकता हूँ कि राजस्थान में उर्वरक का कारखाना स्थापित करने के लिये जल्दी से जल्दी प्रयास किया जायेगा।

†श्री पाणिग्रही : क्या रूरकेला के उर्वरक के कारखाने की स्थापना के लिये और टेंडर मांगे गये हैं ? यदि हां, तो क्या उनके बारे में अन्तिम निर्णय ले लिया गया है ?

†श्री मनुभाई शाह : जैसा मैं लोक-सभा पटल पर रखे गये विवरण में बता चुका हूँ, रूरकेला वाले कारखाने के लिये प्रारम्भिक कार्य पूरा हो चुका है और मशीनों के लिये आर्डर दिये ही जाने वाले हैं। आर्डर वास्तव में कब दिये गये इस की सूचना मैं माननीय सदस्य को दे दूंगा।

†श्री पाणिग्रही : हम किस देश में आर्डर दे रहे हैं ?

†श्री मनुभाई शाह : आर्डर अन्तिम रूप से देने से पहले उनका ब्यौरा अभी यहां प्रगट कर देना शायद उचित नहीं होगा। इस सम्बन्ध में अन्तिम निश्चय होते ही मैं माननीय सदस्य को बता दूंगा।

†श्री विश्वनाथ रेड्डी : क्या उर्वरक के कारखानों की स्थापना में उन राज्यों का पृथक् रूप से ध्यान रखा जाता है जहां बड़ी मात्रा में उर्वरक की खपत होती है ?

†श्री मनुभाई शाह : जैसा कि माननीय सदस्य को भली प्रकार ज्ञात है, भारत सरकार ने उर्वरक उत्पादन समिति नाम की एक समिति नियुक्त की थी। उसने भारत के सभी भागों का दौरा करके अपनी सिफारिशें दी थीं। हम कमीबेश उसी समिति की सिफारिशों को ही क्रियान्वित कर रहे हैं जिनमें खपत और कच्चे माल की उपलब्धि दोनों बातों का ध्यान रखा गया था।

†श्री विश्वनाथ रेड्डी : क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश में उर्वरकों की सबसे अधिक खपत होती है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में आंध्र में ही किसी फैक्टरी की स्थापना का विचार नहीं है ?

†श्री मनुभाई शाह : यह सच है, लेकिन माननीय सदस्य को यह जानकर खुशी होगी कि कुछ गैर-सरकारी पार्टियां आन्ध्र प्रदेश में भी एक कारखाने की स्थापना का प्रयास कर रही हैं। मैं यह तो नहीं कह सकता कि इस कारखाने की स्थापना की बात आयेगी या नहीं, लेकिन हम इस परियोजना के लिये अधिक से अधिक सहायता प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं।

†श्री तिरुमल राव : पहले एक अवसर पर खाद्य मंत्री ने यह बताने की कृपा की थी कि गैर-सरकारी क्षेत्र को उर्वरक का एक भी कारखाना स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। उस वक्तव्य का और मंत्री महोदय के इस वक्तव्य का मेल कैसे बैठेगा ?

†श्री मनुभाई शाह : वास्तव में बात इसकी ठीक उल्टी है। मेरे माननीय सहयोगी, खाद्य मंत्री महोदय ने सभा में यह कहा था कि गैर-सरकारी क्षेत्र को उर्वरक के कारखानों की स्थापना करने की अनुमति दी जायेगी।

†श्री मुरारका : क्या सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में बम्बई में तेल शोधनशाला के निकट एक उर्वरक के कारखाने की स्थापना का विचार छोड़ दिया है ?

†श्री मनुभाई शाह : जैसा वक्तव्य में संकेत किया जा चुका है, बम्बई की तेल शोधनशाला से निकलने वाली गैसों का उपयोग कर नाइट्रोजनस् उर्वरकों का उत्पादन करने के लिये बातचीत चलायी जा रही है और इसके मूर्त होने पर नाइट्रोजनस् उर्वरकों का उत्पादन और भी बढ़ जायेगा।

†श्री मुरारका : क्या इसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया जायेगा ?

†श्री मनुभाई शाह : यदि बातचीत सफल रही और सरकार के मौजूदा सक्त फार्मूले के अनुसार विदेशी मुद्राओं का प्रबंध हो सका तो निश्चय ही इसकी स्थापना की जायेगी।

†श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : क्या निवेली के निकट वाले उर्वरक के कारखाने पर भी विचार किया जायगा ?

†श्री मनुभाई शाह : यदि माननीय सदस्य विवरण को देखें तो पायेंगे कि निवेली वाले कारखाने का स्थान काफी प्रमुख है।

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न-काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

स्वांग रेलवे कोलियरी

†*२२१. श्री त० ब० विट्ठलराव : क्या श्रम और रोजगार मंत्री १६ नवम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या २७२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खान अधिनियम, १९५२ के उपबन्धों का उल्लंघन करने के आरोप में स्वांग रेलवे कोलियरी के मैनेजर के आचरण की जांच करने के लिये भारतीय कोयला खान अधिनियम १९२६ के विनियम ४८ के अधीन जो जांच अदालत नियुक्ति की गयी थी क्या तब से उसने अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी उपपत्तियां क्या हैं; और

(ग) सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

कीर्तीनगर बस्ती

*२३५. श्री नवल प्रभाकर : क्या पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुनर्वास आवास निगम ने दिल्ली की कीर्तीनगर बस्ती में अभी तक विकास कार्य पूरा नहीं किया है; और

(ख) यदि हां, तो वह कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) और (ख). कीर्तीनगर में जमीन की खुदाई, जमीन के हमवार करने, गलियों में रोशनी का प्रबन्ध और बारिश के पानी की नालियों के बनाने का विकास कार्य पूरा हो चुका है। साफ पानी का प्रबन्ध और स्युएज लाइनों के डाले जाने के अतिरिक्त बाकी सब काम इस साल के खत्म होने से पहले पूरा हो जायेगा। पानी का प्रबन्ध और स्युएज लाइनों के डालने का काम कई टेक्नीकल अड़चनों के कारण संभवतः सितम्बर १९५६ से पहले पूरा नहीं हो सकेगा। इस बीच दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन के साथ यह तय हुआ है कि इस कोलोनी के मकानों के लिये पानी के कनेक्शन नजदीकी इन्डस्ट्रियल एरिया में मंत्रालय द्वारा डाले हुए मेन में से दिये जावें।

भारत-पाकिस्तान राजनयिक मिशन

†*२३६. { श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री सूपकार :
श्री विभूति मिश्र :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री राम कृष्ण :
श्रीमती इला पालचौधरी :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और पाकिस्तान की सरकारें क्रमशः लाहौर तथा हैदराबाद (सिंध) और बम्बई तथा चंडीगढ़ स्थित अपने-अपने मिशनों को १ जुलाई, १९५८ से बन्द कर देने को सहमत हो गयी हैं;

(ख) क्या ये मिशन वास्तव में बन्द कर दिये गये हैं; और

(ग) किन कारणों के फलस्वरूप इन मिशनों को बन्द करना पड़ा ?

†वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां): (क) और (ख). जी हां। हैदराबाद (सिंध) स्थित भारत के सहायक उच्चायुक्त और चण्डीगढ़ स्थित पाकिस्तान के उप-उच्चायुक्त के कार्यालय १ जुलाई से लाहौर में भारत के उप उच्चायुक्त और बम्बई में पाकिस्तान के सहायक उच्चायुक्त के कार्यालय १० जुलाई, १९५८ से बन्द कर दिये गये हैं।

(ग) भारत सरकार ने अपने सहायक उच्चायुक्त के हैदराबाद के कार्यालय को बन्द करने का निश्चय इसलिये किया क्योंकि वहां काफी काम नहीं था और उसने पाकिस्तान से भी बम्बई स्थित

अपने इसी स्तर के कार्यालय को बन्द कर देने के लिये कहा। पाकिस्तान सरकार इसके लिये राजी हो गयी, लेकिन उसने यह सूचना दी कि उसने चंडीगढ़ में अपने उप उच्चायुक्त का कार्यालय बन्द कर देने का निश्चय किया है और यह भी कहा कि लाहौर में भारतीय मिशन के इसी स्तर के कार्यालय को बन्द कर दिया जाय।

त्रिपक्षीय समिति की रिपोर्ट

*२३७. { श्री भक्त दर्शन :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री, ३१ मार्च, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १३४१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मोटर परिवहन श्रमिकों के मोटर चलाने के घंटे नियत करने के बारे में नियुक्त की गई त्रिपक्षीय समिति ने जो रिपोर्ट दी थी, उसकी सिफारिशों को कार्यान्वित करने की दिशा में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : काम के घंटे, स्प्रेडओवर, और ओवरटाइम की अदायगी के सवालों पर कमिटी एक राय से किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। इस मामले को स्टैंडिंग लेबर कमिटी की अगली बैठक में रखने का निश्चय किया गया है।

निर्यात जोखिम बीमा निगम (प्राइवेट) लिमिटेड

†*२३८. { श्री वोडयार :
श्री दामानी :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात जोखिम बीमा निगम (प्राइवेट) लिमिटेड के कार्यों से भारत के निर्यात व्यापार के संवर्द्धन में किसी भी प्रकार की सहायता मिली है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). इस निगम ने १४ अक्टूबर, १९५७ को कार्य आरम्भ किया था। ८ जुलाई, १९५८ तक उसने ६,२४,८०,००० रुपयों के अधिकतम दायित्व की १०८ पालिसियां जारी की थीं। ये पालिसियां मुख्यतः छोटे और मध्यम पैमाने के निर्यात करने वालों के पक्ष में थीं। बड़े निर्यात करने वालों ने अभी निगम द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ नहीं उठाया है। लेकिन अभी से इस बात का अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि भारत के निर्यात व्यापार के संवर्द्धन में यह आयोग कितना योगदान कर सकेगा।

सिंगापुर में भारतीय

†*२३९. { श्री राधा रमण :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्टीमर से सिंगापुर पहुंचने पर भारतीय यात्रियों को उसके बावजूद भी काफी कठिनाई होती है कि उन के पास अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रमाणपत्र रहते हैं

क्योंकि उन्हें सिंगापुर से कई मील दूर ऐसी निरोधा१ में कम से कम दो दिन रखा जाता है हालत अत्यन्त असंतोषजनक है;

(ख) यदि ऐसा है, तो क्या भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में सिंगापुर की सरकार से कोई पत्र-व्यवहार किया है;

(ग) यदि किया है, तो उसका क्या परिणाम हुआ ?

†वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) भारत से बिना बर्थ वाले डेकों में जाने वाले यात्री सिंगापुर से चार मील दूर एक द्वीप में ४८ घंटे तक इस के बावजूद भी निरोधा में रखे जाते हैं कि उनके पास मान्य स्वास्थ्य प्रमाणपत्र रहता है ।

(ख) और (ग). इस मामले में ब्रिटेन की सरकार तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन से लिखा-पढ़ी की गई है । सिंगापुर के अधिकारियों ने बताया है कि इन निरोधात्मक उपायों से उपनिवेश में विदेशी बीमारियां नहीं फैलने पाई और इससे वास्तव में सात बार चेचक की बीमारी की संभावना रुक गई है । इन तयों की जांच की जा रही है और इस के अतिरिक्त कुछ और विषय-सामग्री एकत्रित की जा रही है जिस से सरकार इस मामले की आगे बढ़ा सके ।

चलचित्रों की निर्यात संवर्द्धन समिति

†*२४०. श्री वाजपेयी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री १६ अप्रैल, १९५८ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १६८३ के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या तब से चलचित्रों की निर्यात संवर्द्धन समिति स्थापित करने के प्रस्ताव का कोई अन्तिम निर्णय क्रिया है ?

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : जी, हां, उसके बाद चलचित्रों की निर्यात संवर्द्धन समिति की स्थापना का निर्णय हो गया है ।

उड़ीसा के मामलों में विदेशी शक्तियों का हस्तक्षेप

†*२४१. { श्री ओझा :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री वाजपेयी :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री सूपकार :
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री प्र० के० देव :
श्री दामानी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राज्य सरकार के मामलों में एक विदेशी शक्ति के तथाकथित हस्तक्षेप की शिकायत की है;

(ख) यदि की है, तो उस शिकायत में क्या सार पाया गया है; और

(ग) क्या इस मामले में कोई कार्यवाही की गई है या किये जाने का विचार है ?

†वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) से (ग). उड़ीसा सरकार से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है। चूँकि उसमें लगाये गये दोष सामान्य और अस्पष्ट थे, हमने और ब्यौरे मांगे हैं। इसके परिणामस्वरूप, उड़ीसा के मुख्य मंत्री ने यह वक्तव्य दिया कि राज्य सरकार के गृह-सचिव ने एक अंग्रेजी दैनिक पत्र को एक ऐसा पत्र लिखा था कि उसका भुवनेश्वर स्थित संवाददाता एक ऐसे विदेशी दूतावास से पैसा लेता है जो उड़ीसा की कांग्रेस सरकार को उखाड़ने के लिए बद्धिहित है। यह पत्र वापस ले लिया गया है। इसको देखते हुए, इस मामले में आगे कोई जांच-पड़ताल नहीं की गई।

योजनाओं के अन्तर्गत रोजगार दिलाने का कार्य

†*२४२. श्री आसर : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन व्यक्तियों की एक नियमित सूची रखी है जिन्हें या जिनको पहिली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में रोजगार दे दिया गया है या दिया जाने वाला है;

(ख) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में योजनाओं की सफलताओं को ठीक से निर्धारित करने का क्या आधार है; और

(ग) क्या सरकार इसके बाद से इस प्रकार की सूचियाँ रखने का विचार करेगी ?

† श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जी नहीं।

(ख) नमूने के सर्वेक्षण के आधार पर प्राक्कलन तैयार किये जा सकते हैं।

(ग) जी नहीं।

जापान को भारतीय लोह अयस्क प्रतिनिधि मंडल

†*२४३. { श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री वि० च० शुक्ल :
श्री राम कृष्ण :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री वाजपेयी :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के राज्य व्यापार निगम ने जापान को एक प्रतिनिधि मंडल उस देश को दिये जाने वाले लोह-अयस्क की कीमत तय करने के लिये भेजा है;

(ख) यदि भेजा है तो क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय हो गया है; और

(ग) यदि (ब) का उत्तर नकारात्मक है, तो फिलहाल मामला किस स्थिति में है ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). जी, हाँ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

कच्ची फिल्मों का वितरण

†*३४४. श्री ईश्वर अय्यर : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चलचित्र उद्योग को कच्ची फिल्मों के वितरण और मंभरण के लिए मद्रास स्थित प्रादेशिक समिति का क्या क्षेत्राधिकार है; और

(ख) क्या सरकार इस समिति में केरल राज्य के किसी व्यक्ति को राज्य सरकार के परामर्श से प्रतिनिधित्व देने का विचार कर रही है ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : कच्ची फिल्मों की प्रादेशिक सलाहकार समिति का क्षेत्राधिकार औपचारिक रूप से विहित नहीं किया गया फिर भी कच्ची फिल्म की प्रादेशिक समिति, मद्रास में मद्रास, मैसूर, आंध्र प्रदेश तथा केरल शामिल हैं ।

(ख) केन्द्रीय तथा प्रादेशिक समितियों के पुनर्गठन पर संभवतः पुनर्विचार होगा उस समय सबके हितों का ध्यान रखा जायेगा ।

सीमा विवाद

†*२४५. { श्री शिवनंजप्पा :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम के गोपालपाड़ा जिले के मान अचार के पास का बोरार्ईबाड़ी क्षेत्र काफी लम्बी अवधि से पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है;

(ख) क्या यह विवादग्रस्त क्षेत्र भारत-पाकिस्तान संयुक्त सर्वेक्षण समिति द्वारा भारत की सीमा में कर दिया गया है; और

(ग) यदि कर दिया गया है तो भारत की सरकार ने इस क्षेत्र पर कब्जा करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

†वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) यह मामला विचाराधीन है ।

सूती कारखानों के बंद होने की पूर्व सूचना

†*२४६. { श्री जाधव :
श्री तंगामणि :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री हेम बरुआ :
श्री टी० चं० शर्मा :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) आजकल भारत के कितने सूती कारखानों ने बन्द होने के नोटिस दिये हैं;
 (ख) बन्द होने के इन नोटिसों से संभवतः कितने श्रमिकों पर प्रभाव पड़ेगा; और
 (ग) इस स्थिति का सामना करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) ७ सूती कारखानों ने ।

(ख) ४,६०७ श्रमिकों पर ।

(ग) उत्पादन शुल्क में हाल ही में की गई कमी और वैज्ञानिक न विशेषकर कपड़े की साधारण तथा मोटी किस्मों के सम्बन्ध में, इस दृष्टि से किया गया है कि सूती कारखाने कपड़े के अपने संग्रह को समाप्त कर सकें तथा वे बन्द न होने पायें और बन्द कारखाने फिर से चालू हो जायें । इसके अतिरिक्त मोटी धोतियां और साड़ियां जो कि ३-७-५८ को गांठों के रूप में बंधी हुई पड़ी थी उन्हें पुरानी दरों पर बेचे जाने की रियायत दे दी गई है बशर्ते कि उत्पादन शुल्क ३०-६-१९५८ के पहिले ही चुका दिया जाये । अनुसूचित बैंक सरकार के कहने पर उनके द्वारा कारखानों को दी गई पेशगी की रकमों के लिये जमानत के अंश को काफी करने के लिये विचार करने को तैयार हो गये हैं ।

फोटो संबंधी सामान तथा चलचित्र प्रेक्षकों' का निर्माण

†*२४७. { श्रीमती मफीदा अहमद :
 श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :
 श्री वारियर :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार ने देश में फोटो सम्बन्धी सामान तथा ३५ मिलीमिटर फिल्म के पट्टी वाले प्रेक्षकों को बनाने की कोई कार्यवाही की है ; और
 (ख) यदि की है तो उसका क्या स्वरूप है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २६ ।]

सरकारी इमारतों पर नगरपालिका-कर

†*२४८. श्री वासुदेवन् नायर : क्या निर्माण, आवास, और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता के नगर निगम द्वारा वहां स्थिति भारत सरकार की इमारतों पर सामान्य नगरपालिका कर लगाया जाता है ;

(ख) क्या इन इमारतों से सम्बन्धित सेवा के खर्चों को चुकाने के लिये सरकार जिम्मेदार है ;

†मूल अंग्रेजी में

¹Film Projectors.

- (ग) यदि है, तो इस प्रकार लगाये गये कर की वार्षिक रकम क्या है ;
 (घ) क्या कोई राशि बकाया पड़ी है ; और
 (ङ) यदि पड़ी है तो वह कितनी है ?

†निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चंदा) : (क) जी हां, १-४-१९३७ के पहिले की जो सरकारी सम्पत्ति है उस पर सामान्य नगरपालिका कर लगाया जाता है ।

(ख) १-४-१९३७ के बाद की जो सम्पत्ति है उस पर सेवा के खर्चे देने के लिये सरकार तैयार हो गई है परन्तु वह १-४-१९५४ से ये खर्चे देने के लिये तैयार हुई है ।

(ग) से (ङ). कलकत्ता निगम ने अपना एक अलग कर निर्धारण किया है जिसे सरकार ने अभी तक स्वीकार नहीं किया । ऊपर (क) में उल्लिखित सम्पत्ति के सम्बन्ध में १-४-४८ से ३०-६-५७ तक के लिये मांगी गई रकम १,२४,८७,८६४ रुपये है । ऊपर उल्लिखित सम्पत्ति (ख) के लिये की गई कुल मांग २६,५१,४७३ रुपये है । निगम द्वारा किये गये कर निर्धारण के अनुसार ३०-६-५७ को समाप्त होने वाली अवधि के लिये ६६ लाख रुपये की बकाया रकम देय थी । केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग तब से १६ लाख रुपये उस मद में दे चुका है और अन्य सम्बन्धित विभागों से निगम के दावे का ३० प्रतिशत चुकान करने के लिये कहा गया है ।

रोजगार संभावनायें

†*२४६. { श्री बिमल घोष :
 श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा नियंत्रणों के कारण रोजगार की संभावनाओं पर पड़नेवाले प्रभाव का कोई हाल ही में मूल्यांकन किया गया है ; और

(ख) यदि किया गया है तो उसके क्या परिणाम हैं ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जी, नहीं ।

(ख) उसका प्रश्न ही नहीं उठता ।

जिप्सम खान् कर्मचारी संघ द्वारा हड़ताल का नोटिस

*२५०. श्री प० ला० बारूपाल : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिप्सम खान् कर्मचारी संघ ने बीकानेर जिप्सम लिमिटेड के प्रबन्धकों को ११ अगस्त, १९५८ से हड़ताल करने का नोटिस दिया था ;

(ख) यदि हां, तो उन कर्मचारियों की मांगें क्या हैं ; और

(ग) इस विषय में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†श्रम उप-मंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जी हां । २३ जुलाई, १९५८ को जिप्सम खान् कर्मचारी संघ ने प्रबन्धकों को मांगों की एक फेहरिस्त भेजी और नोटिस दिया कि यदि ११ अगस्त, १९५८ के पहले मांगें मंजूर नहीं होंगी तो उस दिन से मजदूर हड़ताल करेंगे ।

(ख) फेहरिस्त में शामिल की हुई मांगें ये हैं :—समझौते की शर्तों पर अमल न होना, बोनस की मंजूरी, ग्रेड बदलना, मंहगाई भत्ता बढ़ाना, ठेकेदारी पद्धति को समाप्त करना, इत्यादि ।

(ग) अजमेर के केन्द्रीय समझौता अधिकारी ने इस मामले में समझौते की कार्रवाई शुरू कर दी है और उनकी रिपोर्ट का इन्तजार है ।

वातानुकूलन उपकरण^१ का निर्माण

†*२५१. श्री विश्वनाथ राय : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वातानुकूलन उपकरण बनाने की कोई योजना विचाराधीन है ; और

(ख) क्या उस मद की आयात सन् १९५६ की तुलना में इस वर्ष बढ़ गई है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) वातानुकूलन उपकरणों के उत्पादन के लिये पहिले ही अनुज्ञप्त या पंजीकृत ८ एककों के अतिरिक्त "केरियर" शीतोष्ण नियंत्रण^२ तथा वातानुकूलन एकक बनाने की योजना विचाराधीन है ।

(ख) जी, हां ।

प्रधान मंत्री की तिब्बत यात्रा

†*२५२. { श्री ले० अचौ० :
श्री दिनेश सिंह :
श्री भक्त दर्शन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनकी प्रतस्तावित तिब्बत यात्रा स्थगित कर दी गई है ; और

(ख) यदि कर दी गई है, तो उसके क्या कारण हैं ?

†वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) जी, हां ।

(ख) चीन के जनवादी गणतंत्र ने स्थगन का सुझाव दिया था ।

उच्चतम न्यायालय की नई इमारत

†*२५३. { श्री रामम् :
श्री वें० प० नायर :
श्री वाजपेयी :
श्री राम कृष्ण :

क्या निर्माण, आवास, और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय की नई इमारत का कार्य पूरा हो गया है ;

†मूल अंग्रेजी में

^१Air conditioning Equipment.

^२Refrigeration.

- (ख) उक्त इमारत के लिये मूल अनुमान की कुल रकम कितनी है ;
 (ग) उसके निर्माण में खर्च की गई वास्तविक रकम कितनी है ; और
 (घ) क्या निश्चित कार्यक्रम के अनुसार कार्य पूरा हो गया है ?

†निर्माण, आवास, और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : (क) जी, हां ।

- (ख) ४५ लाख रुपये ।
 (ग) लगभग ६२ लाख रुपये ।
 (घ) कुछ हेर फेर हुआ है ।

लोह अस्यक का निर्यात

†*२५४. श्री वि० च० शुक्ल : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री १६ अप्रैल १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १६८४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के राज्य व्यापार निगम और उड़ीसा सरकार के बीच लोह अस्यक के निर्यात के लिये अच्छी सुविधायें देने के सम्बन्ध में जो चर्चा हुई थी उसका क्या परिणाम हुआ है ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : राज्य व्यापार निगम उड़ीसा सरकार की सहायता से प्रदीप बन्दरगाह से परीक्षण के बतौर जहाजें लाद रहा है । इस परीक्षण पर इस बन्दरगाह से आगे जहाज लादने तथा उसके विकास का कार्यक्रम निर्भर रहेगा ।

रघुपल्ली में बैराइट्स की खदानें

†*२५५. श्री त० ब० विठ्ठल राव : क्या श्रम और रोजगार मंत्री १४ फरवरी, १९५८ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १५६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रघुपल्ली गांव के कुड्डपट्ट में खान अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने के लिये राईट्स खान मालिकों के विरुद्ध दायर किया गया मुकदमा किस स्थिति पर है ; और

(ख) उस मुकदमें में सरकार का कुल कितना रुपया खर्च हुआ है ?

†श्रम उपमन्त्री (श्री आबिद अली) : (क) रघुपल्ली गांव के कुड्डपट्ट स्थित बेरीटी खानों के मालिकों के खिलाफ दायर किये गये मुकदमों का निर्णय हो चुका है ।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने ७१८.६८ रुपये खर्च किये हैं । प्रांतीय सरकार ने कितना खर्च किया है ; यह ज्ञात नहीं है ।

ग्राम्य औद्योगिक बस्तियां

†*२५६. श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ग्राम्य औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने के लिये क्या कार्यक्रम है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) वे स्थान कौन कौन से हैं जहां ऐसी बस्तियां स्थापित की गई हैं और जिनमें कार्य हो रहा है ; और

(ग) अब तक ग्राम्य औद्योगिक बस्तियों पर कुल कितना रुपया खर्च हो चुका है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग). लोक सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २७]

प्रधान मंत्री के लिये नये भवन का निर्माण

†*२५७. { श्री दी० चं० शर्मा :
श्री भक्त दर्शन :
श्री नवल प्रभाकर :

क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री २४ फरवरी, १९५८ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४१५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रधान मंत्री के लिये नया भवन बनाने का प्रस्ताव अभी किस स्थिति में है ?

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : इसके बाद प्रस्ताव आस्थ-गित कर दिया गया है ।

त्रिदलीय मूल्यांकन समिति

†*२५८. { श्री बोस :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री संगण्णा :
डा० राम सुभग सिंह :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री ७ मई, १९५८ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २०७० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम अधिनियमों, करारों, पंचाटों और समझौतों आदि, अंशतः दोषपूर्ण रूप से अथवा देरी से अपनाये जाने के मामलों की जांच करने के लिये कोई त्रिदलीय मूल्यांकन समिति नियुक्त की गई है ;

(ख) यदि की गई है तो क्या उसने अभी तक कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ; और

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने भी इस प्रकार की समितियां नियुक्त की गई हैं ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जी, हां ।

(ख) केन्द्रीय परिपालन तथा मूल्यांकन समिति १४ जून १९५८ को बनाई गयी थी । उसकी पहिली बैठक अगले माह के प्रारम्भ में होगी अतएव उसके प्रतिवेदन का प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और राजस्थान की राज्य सरकारों ने इस प्रकार की समितियां बना ली हैं और केरल, बिहार, मैसूर, पंजाब तथा त्रिपुरा की राज्य सरकारें इनकी स्थापना के लिये कार्यवाही कर रही हैं ।

अंतरिक्ष की प्रभुता^१

†*२५६. { सरदार इकबाल सिंह
श्री रामकृष्ण :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार अंतरिक्ष में प्रभुता के प्रश्न को संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष रखने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि कर रही है तो भारत सरकार के अंतरिक्ष में प्रभुता के सम्बन्ध में क्या विचार हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार कर रही है ?

†वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां): (क) से (ग). भारत सरकार इस प्रश्न के सभी पहलुओं पर विचार कर रही है और उसने संयुक्त राष्ट्र संघ में या अन्य कहीं कोई कार्यवाही नहीं की है ।

श्रमिकों का उद्योग प्रबन्ध में भाग लेना

†*२६०. { श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री हाल्दर :
श्री राधा रमण :
श्री नाथ पाई :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कुल कितने औद्योगिक एकक हैं जिन्होंने अब तक अपने प्रबन्ध में श्रमिकों को भाग देना शुरू कर दिया है ;

(ख) ऐसे कितने एकक हैं जो इस प्रकार भाग देने के परीक्षण अपनाने के लिये सहमत हैं ; और

(ग) लगभग कितनी अवधि में इस प्रकार भाग देने के आधार पर उद्योग कार्य करने लगेंगे ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) ग्यारह ।

(ख) बाइस ।

(ग) फिलहाल इस योजना को अपनाना स्वेच्छा पर निर्भर है ।

हथकरघे के कपड़े के लिये निगम

†*२६१. { श्री दामौनी :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघे के कपड़े के निर्यात की व्यवस्था करने के लिये कोई निगम स्थापित किया गया है ;

(ख) यदि किया गया है तो उसका गठन किस प्रकार का है और वह किस प्रकार कार्य करेगा ;
और

(ग) वह कहां स्थित है ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, नहीं। फिर भी, सरकार ने हथकरघा निर्यात संगठन स्थापित करने का निर्णय किर लिया है।

(ख) और (ग). ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

ग्राहम प्रतिवेदन

†*२६२. { श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री ही० ना० मुकर्जी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाउस आफ कामन्स में १२ जून को ब्रिटेन के विदेश मंत्री, श्री एलन नोबल द्वारा दिये गये उस वक्तव्य की ओर भारत सरकार का ध्यान आकर्षित हुआ है कि ग्राहम रिपोर्ट के बारे में ब्रिटेन भारत से परामर्श कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†वैदेशिक क्राय मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) जी हां।

(ख) राष्ट्र मंडल सरकारें अनेक विषयों के बारे में परस्पर परामर्श करती हैं और यह सूचना गोपनीय है।

मूंगफली और मूंगफली के तेल का निर्यात

†*२६३. श्री आसर : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने मूंगफली और मूंगफली की खल पर निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप राजस्व की कुल कितनी हानि हुई है ;

(ग) क्या निर्यात शुल्क समाप्त करने के पश्चात मूंगफली और मूंगफली के तेल के निर्यात में कोई वृद्धि हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो यह वृद्धि किस सीमा तक हुई है ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी हां।

(ख) कुछ नहीं इस धारणा पर कि यदि शुल्क जारी रहता तो निर्यात नहीं हो पाता।

(ग) पुराने निर्यातकर्ताओं को कोटा आवंटित किया गया है।

(घ) देश में अधिक कीमतों के कारण अभी तक निर्यात नहीं हो सका है।

नदी घाटी परियोजनायें

†*२६४. { श्री तंगामणि :
श्री वाजपेयी :
श्री उ० ल० पाटिल :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नदी घाटी योजनायें तथा अन्य वृहद निर्माण परियोजनायें पूरी होने पर फालतू हुए मजदूरों की विशाल संख्या को पुनः काम देने के लिये क्या व्यवस्था की गई है ;

(ख) निकट भविष्य में प्रत्येक राज्य में इस प्रकार कितने मजदूर बेकार हो जाने की संभावना है ; और

(ग) उन्हें पुनः काम देने की दिशा में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) से (ग). जानाकारी देने वाला विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २८]

लेबनान में भारतीय पर्यवेक्षक

†*२६५. { श्री वाजपेयी :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री शिवनंजप्पा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लेबनान में संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक दल के अन्तर्गत भारतीय सेना के कितने सैनिक एवं अन्य अधिकारी नियुक्त हैं ;

(ख) इन व्यक्तियों के कार्य का क्या स्वरूप है ;

(ग) भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कितना खर्च वहन किया गया है ; और

(घ) इन व्यक्तियों के कब तक लौटने की संभावना है ?

†वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) लेबनान में संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक दल के साथ १३ सैन्य अधिकारी नियुक्त किये गये हैं । अन्य कोई सैनिक वहां नहीं हैं ।

(ख) ये इसलिये नियत किये गये हैं कि लेबनान सीमा के पार किसी प्रकार किन्हीं व्यक्तियों अथवा शस्त्र अन्य वस्तु का अनुचित प्रवेश न हो ।

(ग) लगभग ६०,००० रुपये । इस राशि में इन अधिकारियों का सामान्य वेतन और भत्ता सम्मिलित नहीं है ।

(घ) निश्चित उत्तर देना सम्भव नहीं है । यह अभी परिस्थितियों पर निर्भर है ।

नागा क्षेत्र में विधि और व्यवस्था

†*२६६. { श्रीमती मफोदा अहमद :
श्री विभूति मिश्र :
श्री पांगरकर :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नागा पर्वत यूएनसांग यूनिट में विधि और व्यवस्था सम्बन्धी नवीनतम स्थिति कैसी है ?

†वदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव : (श्री जो० ना० हजारिका) : लोकसभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २६]

दिल्ली में वर्षा

*२६७. { श्री प० ला० बारूपाल :
श्री राधा रमण :
श्री सिद्धनंजप्पा :
श्री हेम राज :
श्री त्यागी :

क्या निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) २० और २१ जुलाई, १९५८ को दिल्ली व नई दिल्ली में जो भारी वर्षा हुई थी उस के कारण कितनी सरकारी इमारतों में पानी भर गया था ;

(ख) क्या ये इमारतें बनाते समय इस बात का ध्यान नहीं रखा गया था ; और

(ग) उक्त वर्षा के फलस्वरूप सरकारी इमारतों को कितनी हानि पहुंची ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : (क) से (ग). बाढ़ों व उसी तरह की मुसीबतों से बचने के साधनों का प्रबन्ध करने के लिये प्रधान मंत्री ने २३ जुलाई, १९५८ को जो समिति बनाई थी वह पहले ही इस मामले की जांच कर चुकी है। समिति की पहली रिपोर्ट १८-८-१९५८ को सभा की मेज पर रखी जा चुकी है। रिपोर्ट के चौथे ऐनेक्जर में इस का विवरण दिया गया है कि किन किन सरकारी इमारतों में पानी भर गया था, उन्हें कितना नुकसान हुआ और उन में पानी भर जाने के क्या कारण थे। जिन इमारतों में पानी भर गया था उनमें मुख्य ये थीं :—

कृषि भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट पर कई मन्जिलों वाला आकाशवाणी भवन, इन्द्रप्रस्थ स्टेट में केन्द्रीय राजस्व बोर्ड तथा अन्य भवन, आल इंडिया मेडीकल इन्स्टीट्यूट, भारत सरकार के छापा-खाने की इमारत, कनाट सर्कस में टेलीफोन एक्सचेंज भवन, शाहजहां रोड पर डी० जी० एस० एन्ड डी० हटमेंट्स, पंडारा रोड, नूरजहां रोड, प्रेस रोड, तुर्कमान रोड, फ़ायर ब्रिगेड लेन, बाराखम्बा भेन, अतुल ग़ोव लेन, फ़िरोजशाह रोड, और कैनिंग लेन के कुछ क्वार्टर। इन बाढ़ों का असर लाजपतनगर, जंगपुरा, निजामुद्दीन, सराय रोहिल्ला और गांधी नगर में विस्थापितों की नई बस्तियों पर भी हुआ।

इमारतों के बनाने में इस बात का ध्यान रक्खा गया था कि दिल्ली में आम तौर पर साल में कितना पानी बरसता है। लेकिन जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है, २०-२१ जुलाई को इतना अधिक

पानी बरसा जोकि यहां की नालियों और नालों से तुरन्त ही न निकल सका । इस की वजह से कुछ नीची सतह वाली जगहों में पानी भर गया ।

अनुमान है कि इन बाढ़ों से सरकारी इमारतों को जो हानि हुई है वह केवल कुछ हजार रुपये है ।

सिंगारेनी कोयला खान श्रमिक संघ कोत्तागुदम

†*२६८. श्री त० ब० विठ्ठल राव : क्या श्रम और रोजगार मंत्री ८ अप्रैल, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १५३१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगारेनी कोयला खान कम्पनी लिमिटेड के कर्मचारियों को सवारी भत्ता दिलाने और उपदान की योजना आरम्भ करने के लिये औद्योगिक न्यायाधिकरण को निर्देश करने के लिये सिंगारेनी कोयला खान श्रमिक संघ, कोत्तागुदम के आवेदन पत्र पर निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) और (ख). यह विषय अभी भारत सरकार के विचाराधीन है ।

नई दिल्ली में म्युनिसिपल मार्केट

†*२६९. श्री वी० चं० शर्मा : क्या पुनर्वास और अल्प संख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में (स्टेट एण्ट्री रोड पर उत्तर रेलवे के रिजर्वेशन और बुकिंग आफिस के बाहर) म्युनिसिपल मार्केट गिराया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या म्युनिसिपल मार्केट में स्थान प्राप्त व्यापारियों के लिये वैकल्पिक स्थान का प्रबन्ध किया जायेगा ; और

(ग) यदि हां, तो यह प्रबन्ध किस स्थान पर किया जायेगा ?

†पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) जी हां । इन स्टालों की आयु पूरी हो चुकी है अतः नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी इन्हें गिराने का इरादा रखती है ।

(ख) और (ग). कनाट सर्कस के स्टाल होल्डरों को सरकारी कर्मचारियों की उन विभिन्न बस्तियों तथा अन्य स्थानों में वैकल्पिक आवास देने पर विचार किया जायेगा जहां निर्माण, आवास और संभरण मंत्री मार्केट निर्माण करने का विचार रखता है ।

सिंगापुर में भारतीय

†*२७०. { सरदार इकबाल सिंह :
श्री राम कृष्ण :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवीन नागरिकता अधिनियम सिंगापुर में लागू कर दिया गया है ;

- (ख) इस अधिनियम का वहां के भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा है ;
 (ग) इस अधिनियम के अन्तर्गत अभी तक कितने भारतीयों ने नागरिकता ग्रहण की है ;
 और
 (घ) अन्य भारतीयों की वहां क्या स्थिति है ?

†वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री साहदत अली खां) : (क) जी हां ।

(ख) केवल जिन भारतीयों ने सिंगापुर की नागरिकता ग्रहण कर ली है सिंगापुर विधान सभा के निर्वाचन में मतदान करने के अधिकारी हैं । इस के अतिरिक्त भारत सरकार सिंगापुर के भारतीयों की अन्य किसी नियोग्यता से अवगत नहीं है ।

(ग) विश्वस्त सांख्यिकी उपलब्ध नहीं है । मोटे अनुमान के तौर पर यह कहा जा सकता है कि सिंगापुर के नागरिकों के रूप में कदाचित् १५,००० से १८,००० भारतीय पंजीकृत किये गये हैं ।

(घ) देखिये (ख) और (ग) का उत्तर ।

चपड़े की कीमत

†*२७१. श्रीमती रेण चक्रवर्ती : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चपड़े की कीमत हाल ही में गिर गई है और इस के फलस्वरूप उस का उत्पादन लाभप्रद नहीं रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो कीमत में गिरावट रोकने के लिये सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३०]

अभ्रक

†५१६. श्री राम कृष्ण : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में १९५७-५८ में कुल कितना अभ्रक उत्पादित किया गया है ; और

(ख) उपरोक्त अवधि में विदेशों को (देशवार) अभ्रक की कितनी मात्रा बाहर भेजी गई है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) १९५७-५८ में ५,५५,००० हंडरबेट कूड अभ्रक का अनुमानित उत्पादन हुआ है ।

(ख) प्रत्येक देश को किये गये अभ्रक का निर्यात बताने वाला विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३१] ।

पटसन मिलों का बन्द किया जाना

†५२०. श्री स० म० बनर्जी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) ३१ जुलाई, १९५८ तक जो पटसन मिलें बन्द की गई हैं, उन के क्या नाम हैं ;
- (ख) कितने श्रमिक बेकार हुए ;
- (ग) बन्द किये जाने के क्या कारण हैं ;
- (घ) इस विषय में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या पग उठाये गये हैं ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में जनवरी, १९५७ के बाद से बन्द की गई पटसन मिलों के नाम दिये गये हैं । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३२]

- (ख) लगभग ४६०० .
- (ग) दो मिलों के मामलों में वित्तीय कठिनाइयां और अन्य के मामलों में अभिनवीकरण ।
- (घ) सरकार द्वारा कोई विशेष पग नहीं उठाये गये हैं क्योंकि एक को छोड़ कर बाकी सब मिलों में करघों पर जितना काम होता था वह अन्य चालू मिलों में होने लगा है ।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण

†५२१. श्री आसर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) इस के आरम्भ होने से अब तक राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा कितनी बार सर्वेक्षण पूरे किये गये ;
- (ख) कितने दौरों के प्रतिवेदन अब तक प्रकाशित किये जा चुके हैं ;
- (ग) बाकी को प्रकाशित न करने के क्या कारण हैं ;
- (घ) प्रत्येक राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण दौरे संख्या ९ से १३ पर वास्तविक कार्य कब पूरा हुआ ;
- (ङ) प्रत्येक पर सर्वेक्षण शाखा द्वारा प्रतिवेदन कब तैयार किया गया ;
- (च) इन पांच ९ से १३ सर्वेक्षण दौर की क्या योजनायें हैं ;
- (छ) उपरोक्त पांच प्रतिवेदन कब प्रकाशित होंगे ; और
- (ज) देरी के यदि कोई कारण हैं तो वे क्या हैं ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) अब तक १३ दौर पूरे किये जा चुके हैं ।

(ख) और (ग). राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के पहले तीन दौर के प्रतिवेदन—दौर-वार प्रकाशित किये गये । तत्पश्चात् प्रतिवेदन बहुत से दौरों में एकत्रित आंकड़े देते हुए विषय-वार प्रकाशित कराये जा रहे हैं और दौर-वार नहीं ।

(घ) ९वां दौर—अक्टूबर, १९५५

१०वां दौर—मई, १९५६

११वां दौर—जनवरी, १९५७

१२वां दौर—अगस्त, १९५७

१३वां दौर—मई, १९५८

(ङ) जैसा कि भाग (ख) और (ग) में बताया गया है, अब प्रतिवेदन दौर-वार तैयार नहीं किये जाते ।

(च) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के ९वें और १०वें दौर में देश में रोजगार की स्थिति पर विशेष जोर डाला गया ।

११वें और १२वें दौर में कृषि श्रमिकों की दशा में जांच अध्ययन का मुख्य विषय था ।

१३वें दौर में आय, व्यय और रोजगार इत्यादि में जांच के अतिरिक्त, मुख्य अनाजों के प्रहल-क्षेत्र और उत्पादन दर के मूल्यांकन का कार्य परीक्षात्मक आधार पर लिया गया ।

(छ) भाग (ख) और (ग) के उत्तर में बताई गई स्थिति को ध्यान में रखते हुए यथा समय पूरी होने पर विषय-वार प्रतिवेदन प्रकाशित किये जायेंगे ।

(ज) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

स्थानीय विकास कार्य

†५२२. श्री पांगरकर : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ में बम्बई राज्य ने स्थानीय विकास कार्यों के लिये कितनी योजनायें भेजीं ;

(ख) योजनाओं का कुल मूल्य कितना है ;

(ग) जिलेवार योजनाओं का क्या स्वरूप है ; और

(घ) क्या उपरोक्त वर्ष में आवंटित कुल धन का पूर्ण रूप से उपयोग कर लिया गया है ?

†योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : (क) प्रत्येक राज्य को आवंटित राशि में से योजना आयोग को बिना भेजे हुए योजनाओं को स्वीकृत करने के लिये राज्य सरकारें सक्षम हैं । अतः बम्बई सरकार द्वारा योजना आयोग को कोई योजनायें नहीं भेजी गयीं और न ही उन का भेजा जाना अपेक्षित था । तथापि, राज्य सरकार ने १९५७-५८ में २२१० स्थानीय कार्य अनुमोदित किये ।

(ख) १,२१,८२,३९१ रुपये ।

(ग) पीने के पानी के सम्भरण से सम्बन्धित योजनायें, कृषि और ग्राम्य स्वच्छता में सुधार के लिये कार्य; छोटे पुल और पुलियाओं समेत गांव की सड़कें; स्कूल और चिकित्सालय भवन ; गोदाम ।

(घ) जी, नहीं । आवंटित ७५.३२ लाख रुपयों में से वास्तविक व्यय ४७.७७७ लाख रुपये हुआ ।

बम्बई में खादी संबंधी सहकारी समितियां

†५२३. श्री पांगरकर : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय बम्बई में किन स्थानों पर खादी सम्बन्धी सहकारी समितियां स्थित हैं; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा इन समितियों को किस प्रकार की सहायता दी गई ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में अपेक्षित जानकारी दी हुई है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३३]

(ख) खादी उद्योग के विकास के लिये सहकारी समितियों को खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग वित्तीय तथा अन्य प्रकार की सहायता (अर्थात् प्रशिक्षण, बिक्री और प्रौद्योगिकीय) देता है। आयोग रूई की खरीद के लिये ऋण और (१) खादी की बिक्री में अवहार, (२) सारांजम बिक्री में अवहार, (३) वस्त्र स्वावलम्बन सहायता, (४) एजेंटों को मानदेय, (५) हाथ की कताई में संवर्द्धन, (६) नुमाइशें, (७) प्रशिक्षण, (८) बुनकरों का पुनर्वास, (९) बिक्री भंडारों को सहायता, (१०) गवेषणा, (११) कला का पुनर्जीवन, (१२) खादी हुंडियां, (१३) कताई स्पर्धा और (१४) खादी के उत्पादन और बिक्री के लिये भी अनुदान और सहायता देता है।

उत्तर प्रदेश में छोटे पैमाने के उद्योग

†५२४. श्री स० म० बनर्जी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८-५९ और १९५९-६० में रोजगार बढ़ाने में सहायता देने के लिये उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में कितने छोटे पैमाने के उद्योग स्थापित किये जायेंगे ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३४]

उत्तर प्रदेश में कुटीर उद्योग

†५२५. श्री स० म० बनर्जी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८-५९ में उत्तर प्रदेश में कुटीर उद्योगों का विकास करने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को कितना धन स्वीकार किया गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : निम्नलिखित धन स्वीकार किया गया है :

उद्योग का नाम	ऋण	अनुदान	कुल
१. हस्तशिल्प .	३,०६,३८५		३,०६,३८५
२. रेशम कीट पालन .	२,४७,७११		२,४७,७११
३. हथकरघा .	२२,०१,०५३.६६		२२,०१,०५३.६६
४. पुराने ढंग की खादी .	७६,०००	७,५०,०००	८,२६,०००
५. अम्बर चरखा .	४,५६,६००	१०,३५,०००	१४,९१,६००
६. ग्राम उद्योग	१२,७७,६२५	१६,४१,६३०	२९,१९,२५५
	४५,७१,६७४.६६	३७,२६,६३०	८२,९८,३०४.६६

सीमा पर छापे

†५२६. { श्रीमती इला पालचौधरी :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री दशरथ देव :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में अब तक पूर्व और पश्चिम दोनों ओर भारतीय सीमा पर पाकिस्तान की सेना, पुलिस और असैनिक जनता द्वारा कुल कितनी बार गोली चलाई गई और छापे मारे ;

(ख) भारत को कुल कितनी जन और सम्पत्ति की हानि हुई ;

(ग) अब तक आक्रमणों के परिणामस्वरूप पाकिस्तान ने कुल कितने क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ।

†प्रधान मंत्री तथा वैंदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) से (ग) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में अपेक्षित जानकारी दी गई है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३५]

(घ) ठोरों को भगा ले जाने, चोरी इत्यादि जैसी छोटी घटनाओं के सम्बन्ध में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ बातचीत की जाती है । प्रमुख घटनाओं के मामले में पाकिस्तान सरकार से विरोध प्रकट किया गया है । जहां कहीं भी आवश्यक है, सुरक्षात्मक उपायों को और दृढ़ बनाने के लिये पग उठाये गये हैं ।

प्रथमरूप^१ तथा प्रशिक्षण कर्मशालायें

†५२७. श्री वि० च० शुक्ल : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-जर्मन प्रथमरूप तथा प्रशिक्षण कर्मशाला, नई दिल्ली और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के प्रभार में प्रविधिक सहायता मिशन के अन्तर्गत राजकोट में एक दूसरी ऐसी ही कर्मशाला स्थापित करने में क्या प्रगति की गई है ;

(ख) इन दो कर्मशालाओं में क्या विभिन्न प्रकार के अतिरिक्त पुर्जे और मशीनें बनायी जायेंगी ; और

(ग) किन परिस्थितियों में इन कर्मशालाओं को स्थापित करने के स्थान का निश्चय किया गया और क्या किसी अन्य स्थान पर भी विचार किया गया था ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) से (ग) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३६]

विदेशों में भारतीय शिष्टमंडल

†५२८. श्री अब्दुल सलाम : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय शिष्टमंडलों के प्रधानों के पदों की क्या संख्या है ;

†मूल अंग्रेजी में

^१Prototype

(ख) ऐसे कितने पदों पर सार्वजनिक व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है और

(ग) कितने पदों पर आई० सी० एस० पदाधिकारी नियुक्त हैं ?

प्रधान मंत्री तथा वंदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) ४४.

(ख) १६.

(ग) १६ (जिसमें १ सेवा-निवृत्त आई० सी० एस० पदाधिकारी और १६ स्थायी रूप से रखे गये भारतीय विदेश सेवा के पदाधिकारी)

नमक उद्योग संबंधी जांच समिति

†५२६. { श्री राम कृष्ण :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नमक उद्योग के कार्यकरण में जांच करने और इसके विकास के लिये उपायों की सिफारिश करने के लिये नौ सदस्यीय समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सीमेंट कारखानों में कर्मचारी

†५३०. { श्री राम कृष्ण :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री इस समय भारत में सीमेंट कारखानों में कर्मचारियों की अनुमानित संख्या बताने की कृपा करेंगे ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : लगभग २२,५०० ।

पार्लियामेंट स्ट्रीट में मुख्य डाक घर

†५३१. श्री राम कृष्ण : क्या निर्माण आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में पार्लियामेंट स्ट्रीट में मुख्य डाक घर के लिये बहु-मंजिली इमारत के लिये निर्माण में कितना समय लगा ;

(ख) अब तक निर्माण पर कितना व्यय हुआ ; और

(ग) इमारत में कितना आवास का उपबन्ध है ?

†निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : (क) इमारत पर लगभग २ १/२ वर्ष से निर्माण कार्य चल रहा है। यह आशा की जाती है कि यह अगले तीन महीनों में तैयार हो जायेगी।

(ख) २५.४ लाख रुपये।

(ग) २.०५ लाख वर्ग फुट।

काम दिलाऊ दफ्तर

†५३२. { श्री राम कृष्ण :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री रामन् :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३० जून, १९५८ को काम दिलाऊ दफ्तरों में कितने व्यक्तियों के नाम दर्ज थे।

(ख) १९५७-५८ में देश के विभिन्न काम दिलाऊ दफ्तरों में कितने व्यक्तियों के नाम दर्ज किये गये ; और

(ग) १९५७-५८ में कितनों को नौकरी दिलाई गई ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) १०,०१,५७३।

(ख) १८,६७,१८५.

(ग) २,०३,४०७।

सरकारी इमारतों में नारियल जटा की चटाइया

†५३३. श्री वें० प० नायर : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस मंत्रालय को सरकारी इमारतों में, यथासम्भव, नारियल जटा से बने हुये फर्शों का प्रयोग करने के लिये वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय से कोई परिपत्र प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष १९५७-५८ में सरकारी इमारतों के लिये कुल कितने मूल्य की नारियल जटा से बनी चटाइयां खरीदी गयीं ?

†निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) जी, हां।

(ख) सम्बन्धित परिपत्र वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय से मार्च, १९५८ के मध्य में जारी हुआ था। अतः वर्ष १९५७-५८ में नारियल-जटा से बने फर्शों की खरीद के बारे में इसका प्रभाव नहीं पड़ता।

कपड़ा मिलों का बन्द किया जाना

†५३४. { श्रीमती पार्वती कृष्णन् :
 श्री मुरारका :
 सरदार इकबाल सिंह :
 श्री राम कृष्ण :
 श्री जाधव :
 श्री नाथ पाई :
 श्री पांगरकर :
 श्री स० म० बनर्जी :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से वर्ष-वार, और राज्य-वार कितनी कपड़ा मिलें बन्द की गयीं ;

(ख) उस ही कालावधि में कितनी मिलों में बहु पारियां बन्द की गयीं ;

(ग) इन मिलों और पारियों के बन्द किये जाने के परिणामस्वरूप उत्पादन को कितनी हानि हुई ;

(घ) मिलों और पारियों के बन्द किये जाने के परिणामस्वरूप कितने कर्मचारी बेरोजगार किये गये; और

(ङ) स्थिति का सामना करने के लिये क्या पग उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने वाले हैं ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) से (घ). लोक-सभा पटल पर दो विवरण रखे जाते हैं जिनमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३७]

(ङ) मिलों के बन्द होने को रोकने के लिये और बन्द हुई मिलों के पुनः चालू होने के लिये मिलों को अपना स्टॉक निकालने में सहायता देने के लिये विशेषतः मोटे और माध्यमिक प्रकार के कपड़ों के मामले में उत्पादन-शुल्क में वर्तमान कमी और वैज्ञानिकन। इस के अतिरिक्त यदि उत्पादन-शुल्क ३०-६-१९५८ से पहले दे दिया जाय तो ३-७-५८ को मोटी धोतियों और साड़ियों की गांठों को पुराने दरों पर निकालने की रियायत दे दी है। सरकार की प्रेरणा पर रक्षित बैंकों मिलों को दिये गये अग्रिम धन पर उधार प्रतिभूति अन्तर में कमी पर अनुकूल रूप से विचार करने के लिये सहमत हो गये हैं।

†मूल अंग्रेजी में

नंगल उर्वरक तथा भारी पानी परियोजना

†५३५. { श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राम कृष्ण :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री पांगरकर :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री १८ मार्च, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १०१७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नंगल उर्वरक तथा भारी परियोजना स्थापित करने में अब तक क्या अग्रगतर प्रगति की गई है ; और

(ख) क्या वह विद्युत उपकरण प्राप्त हो गया था जिसके लिये एक ब्रिटिश सार्थ को आदेश दिया गया था ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) (हरी फसल इकट्ठा करने के गड्ढे^१ और थैले भरने के संयंत्र को इसकी सहायक इमारतों समेत छोड़ कर) समूचे कारखाने में असेनिक निर्माण-कार्य के लिये ठेका दिया जा चुका है। विद्युदंशन संयंत्र^२ के लिये पुर्जों और सहायी सामान के लिये इटली के एक सार्थ को आस्थगित भुगतान की शर्तों पर व्यादेश दिया गया है। भारी पानी संयंत्र के लिये व्यादेश अभी सरकार के परीक्षाधीन है और शीघ्र ही उसके दिये जाने की आशा है।

विद्युदंशकों का पहला पारेषण जिसमें समूचे संयंत्र का २५ प्रतिशत भाग है कारखाने में पहुंच गया है और दूसरा पारेषण जिसमें २५ प्रतिशत और है इटली से ११-७-५८ को जहाज पर लादा गया। विद्युदंशन भूमिक अम्ल^३ और अमोनियम सहयंत्रों के लिये इमारतों और खाली थैले रखने की इमारत पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है और निर्धारित लक्ष्य के अनुसार चल रहा है।

निर्माण के पहले दौर में स्थायी बस्ती में क्वार्टरों के निर्माण में ठीक प्रगति हो रही है। स्थायी बस्ती में केन्द्रीय मार्ग और मुख्य वृत सड़कों (वृत्त ७ के सिवाय) का निर्माण लगभग पूरा है। परनाले में मनुष्य के घुसने के छिद्र पर ढक्कन लगाने के अतिरिक्त कारखाना क्षेत्र से संयुक्त मुख्य नाली पर काम पूरा हो गया है। नंगल बांध रेलवे स्टेशन (नंगल बांध पुल समेत) से कारखाने के द्वार तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य लगभग पूरा हो गया है। कारखाने के द्वार से विद्युदंशन संयंत्र इमारत तक रेलवे लाइन बिछाने के कार्य में सन्तोषजनक प्रगति हो रही है।

(ख) जी, नहीं। उपकरण का आना १९५९ के आरम्भ में शुरू होगा।

आयात अनुज्ञप्तियां

†५३६. श्री मुरारका : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बची हुई आयात अनुज्ञप्तियों पर विदेशी मुद्रा की कुल कितनी राशि का बचन दिया हुआ है ;

†मूल अंग्रेजी में

^१Silos

^२Electrolysis Plant

^३Electrolysis nitric acid

(ख) क्या विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों को देखते हुये सरकार का उनका पुनर्विलोकन करने का विचार है ; और

(ग) यदि भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इस विदेशी मुद्रा की आवश्यकता को सरकार किस प्रकार पूरा करेगी ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) १ मार्च, १९५८ को बची हुई आयात अनुज्ञप्तियों के अन्तर्गत कुल ५३४ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा का बचन दिया हुआ है ।

(ख) और (ग). यथासम्भव विदेशी मुद्रा के व्यय में कमी करने के लिये प्रत्येक तिमाही में वाणिज्यिक आयात के सम्बन्ध में जारी की गई बची हुई आयात अनुज्ञप्तियों की स्थिति का पुनर्विलोकन किया जाता है ।

अपने आवश्यक बचन को पूरा करने के लिये विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में स्थिति पर माननीय सदस्य का ध्यान १३ अगस्त, १९५८ को लोक-सभा में दिये गये विदेशी मुद्रा सम्बन्धी वित्त मंत्री महोदय के वक्तव्य की ओर दिलाया जाता है ।

भारत का राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड

†५३७. श्री मुरारका : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा क्या वस्तुयें पूर्णरूप से निर्यात की जाती हैं ;

(ख) राज्य व्यापार निगम द्वारा यह कार्य संभाले जाने पर इनके निर्यात में वृद्धि हुई है या कमी हुई है ; और

(ग) निर्यात के लिये और किन वस्तुओं को राज्य व्यापार निगम लेना चाहता है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) लौह-अयस्क और सीमेन्ट ।

(ख) लौह-अयस्क के निर्यात में वृद्धि हुई है । राज्य व्यापार निगम द्वारा सीमेन्ट का वितरण-कार्य लिये जाने से पूर्व सीमेन्ट के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था, अतः इसकी वृद्धि अथवा कमी को बताने के लिये कोई तुलनात्मक आंकड़े नहीं हैं ।

(ग) ऐसी मदों की कोई पूर्व-निश्चित सूची नहीं है । इनका चुनाव स्थिति की अत्यावश्यकता पर निर्भर करता है ।

काश्मीर में रेशम-कीट पालन

†५३८. { सरदार इकबाल सिंह :
श्री राम कृष्ण :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों से प्राप्त रेशम के कीड़ों के संरक्षण और गुणन-कार्य के लिये काश्मीर में एक केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) जी, हां ।

(ख) काश्मीर में एक विदेशी नस्ल के बीज का केन्द्रीय स्टेशन स्थापित करने का निश्चय किया गया है जो प्रति वर्ष रेशम के कीड़ों की यूनियोवोल्टाइन और बाइवोल्टाइन की नस्ल के ६.२५ लाख मूल बीज का संभरण करेगा ताकि विदेशों से मूल बीजों के आयात पर निर्भर न रहा जाय । यह स्टेशन, जिस पर ६.५० लाख रुपये अनावर्ती व्यय और १,३३,८४० रुपये आवर्ती व्यय होने का अनुमान है, केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सीधे नियंत्रण में रहेगा ।

जम्मू तथा काश्मीर सरकार का भी एक मूल बीज केन्द्र स्थापित करने का विचार है जिस पर ४,६७,१०० रुपये अनावर्ती व्यय और ११,७२४ रुपये आवर्ती व्यय होगा ।

टीन की चादरों का आयात

†५३६. श्री झूलन सिंह : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिट्टी का तेल रखने, खाद्यान्न रखने, चाय के खोखे और लालटेन निर्माण के लिये भारत में कितनी टीन की चादरों और टीन के टुकड़ों का आयात किया गया ; और

(ख) क्या विदेशी मुद्रा की मितव्ययता को ध्यान में रखते हुये इस टीन की काली चादर और टर्न प्लेट से बदलने की सम्भावनाओं की जांच की गयी है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) विशेषतः इन कार्यों में प्रयुक्त होने वाली टीन की चादरों और टीन के टुकड़ों के प्रमुख आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । १९५६ से १९५८ तक टीन की चादरों (मुख्य और माध्यमिक) और टर्न प्लेट्स के कुल आयात के आंकड़े निम्न प्रकार हैं :

वर्ष	टीन प्लेट (मुख्य) (टन)	टीन प्लेट (माध्यमिक) (टन)	टर्न प्लेट (टन)
१९५६	४१,६४६	१४,६३०	८४५
१९५७	७,६६७	२०,२७८	५०२
१९५८ (जून तक)	१०,६३२	३,०८७	२५

१९५७ और १९५८ में टीन के टुकड़ों के आयात के बारे में आंकड़े निम्न प्रकार हैं :

१९५७	३३६१ टन
१९५८ (अप्रैल तक)	१५५१ टन

(ख) क्यों कि टीन प्लेट और टर्न प्लेट के मूल्यों में कोई अधिक अन्तर नहीं है, अतः टीन प्लेट के स्थान पर टर्न प्लेट का प्रयोग करना ठीक नहीं लगता । दोनों चीजों को उपयुक्त प्रयोगों के लिये आयात किया जाता है और एक को दूसरे के स्थान पर बदलने से विदेशी मुद्रा की बचत में बहुत कम स्थान है ।

डिब्बों के निर्माण के लिये काली चादरों के लमाने के प्रश्न का युद्ध के वर्षों में परीक्षण किया गया था और निम्न कारणों से वह अकार्यकारी समझा गया :

(१) काली चादरों के टुकड़ों में टांका लगाना कठिन है और टांका लगाने का कार्य बहुत अधिक कठिन और लम्बा तरीका है ।

(२) भंडार में रखते समय और देश में माल के लाने ले जाने के समय काली चादरों के बर्तन में टीन की चादर के वर्तनों की अपेक्षा चार गुना अधिक टपकते हैं ।

(३) एच० एस० डी० और वाष्पकारी तेल का आवश्यक उपभोक्ताओं को, जिसमें किसान लोग भी सम्मिलित हैं, उसके खराब होने और योग्यता को नष्ट होने से रोकने के लिये टीन के डिब्बों में संभरण करना पड़ता है; और

(४) काली चादरों से बने डिब्बे जल्दी खराब हो जाते हैं जिसके परिणाम स्वरूप बहुत सा मिट्टी का तेल बेकार जाता है । उन पर किसी पर्त के चढ़े बिना वह जल्दी खराब हो जाता है । प्रयोग से पहले उन पर बिजली से टीन की पालिस करनी पड़ेगी जिस के परिणाम स्वरूप लाभत अधिक बैठेगी और उसमें बहुत कम मितव्ययता होगी ।

गोमांस का निर्यात

†५४०. श्री झूलन सिंह : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या गोमांस के निर्यात की आज्ञा दी जाती है ;

(ख) यदि हां, तो पहले दो वर्षों में कितनी मात्रा निर्यात की गयी; और

(ग) इस कार्य के लिये कितने ढोरों का बध किया गया ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) जी हां ।

(ख) भारत में विदेशी व्यापार के सम्बन्ध में गोमांस के निर्यात के पृथक् रूप आंकड़े नहीं रखे जाते ।

(ग) सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है ।

पश्चिमी एशिया और मिस्र में आपतकालीन बल

†५४१. { सरदार इकबाल सिंह :
श्री राम कृष्ण :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अब तक प्रति वर्ष पश्चिमी एशिया और मिस्र में कुल कितना धन खर्च किया गया ;

(ख) संयुक्त राष्ट्र संघ को इस सम्बन्ध में भारत द्वारा प्रति वर्ष कुल किना धन दिया गया; और

(ग) इस सम्बन्ध में भारत द्वारा प्रति वर्ष कुल कितना धन खर्च किया गया ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) संयुक्त राष्ट्र संघ ने संयुक्त राष्ट्र आपतकालीन बल पर नवम्बर, १९५६ में इसकी स्थापना से ३१ दिसम्बर, १९५७ तक १७,१४०,६६० डालर खर्च किये। इसके अतिरिक्त इस अवधि के लिये १२,८५६,३१० डालर तक के बचन दिये हुये हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ को १ जनवरी, १९५८ से ३० अप्रैल, १९५८ तक २,२७०,०५१.७५ डालर भी वास्तव में खर्च किये हैं और इस काल के लिये १,३७२,०४६.३५ डालर तक के बचन दिये हुये हैं।

(ख) कुछ नहीं।

(ग) भारत द्वारा लगभग ४२.३८ लाख रुपये खर्च किये हैं। इसमें भारतीय सैनिकों के सामान्य वेतन तथा भत्ते, दिये गये सामान की लागत और अन्य विभिन्न खर्च सम्मिलित हैं। वर्ष-वार, आंकड़े इस प्रकार हैं :

१९५६ (नवम्बर, और दिसम्बर)	.	.	.	१.०१ लाख रुपये।
१९५७	.	.	.	२६.५६ लाख रुपये।
१९५८ (३० अप्रैल तक)	.	.	.	१४.८१ लाख रुपये।

समुद्री विधियों संबंधी सम्मेलन

†५४२. { सरदार इकबाल सिंह :
श्री राम कृष्ण :
श्री विभूति मिश्र :

क्या प्रधान मंत्री ७ मई, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २०४५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, १९५८ में हुये समुद्र विधियों सम्बन्धी सम्मेलन में क्या निर्णय किये गये तथा क्या सिफारिशों की गईं ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : राष्ट्र संघ के समुद्र-विधि सम्मेलन द्वारा तैयार किये गये समझौते लोक-सभा पटल पर रखे गये विवरण में दिये गये हैं। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३८]

ब्रिटेन के साथ कपड़ा-व्यापार

†५४३. { सरदार इकबाल सिंह :
श्री राम कृष्ण :
श्री बाजपेयी :
श्री विमल घोष :

क्या वाणिज्य तथा आंग्ल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तथा आंग्ल कपड़ा उद्योगों के बीच कोई ऐच्छिक समझौता हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो वह किस प्रकार का है; और

(ग) इस समझौते का ब्रिटेन को भारतीय कपड़े के निर्यात पर क्या असर पड़ेगा ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) हाल में ब्रिटेन को गये गैर-सरकारी भारतीय कपड़ा उद्योग शिष्टमंडल के नेता श्री कस्तूरभाई लालभाई द्वारा जारी की गई एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ब्रिटेन को भारत तथा पाकिस्तान से निर्यात किये जाने वाले सूती माल पर अधिकतम सीमा के सम्बन्ध में एक समझौता हो गया है। शिष्ट मंडल ने लंकाशायर के कपड़ा उद्योग के प्रवक्ताओं के साथ भी विचार-विमर्श किया था।

(ख) प्रेस विज्ञप्ति में निश्चित की गई अधिकतम सीमा की मात्रा का निर्देश नहीं किया गया था।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

भोपाल की भारी विद्युत उपकरण परियोजना

†५४४. { सरदार इकबाल सिंह :
श्री राम कृष्ण :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल की भारी विद्युत उपकरण परियोजना के प्रशिक्षण-एवं-उत्पादन स्कूल में कार्य प्रारम्भ हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस स्कूल में विभिन्न श्रेणियों में कितने व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) नहीं, श्रीमान्। उसमें कार्यक्रम के अनुसार जनवरी, १९५९ से कार्य प्रारम्भ होगा।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

भारतीय चलचित्र

†५४५. { सरदार इकबाल सिंह :
श्री राम कृष्ण :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे कौन कौन से देश हैं जिन्होंने १९५७ और १९५८ के दौरान में प्रदर्शन हेतु भारतीय चलचित्रों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाया था ;

(ख) वे कौन से भारतीय चलचित्र हैं जिन पर प्रतिबन्ध लगाया गया ; और

(ग) इस मामले में क्या कदम उठाये गये ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) से (ग). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३६]

कच्ची फिल्मों का आयात

†५४६. { सरदार इकबाल सिंह :
श्री राम कृष्ण :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस देश में कच्ची फिल्मों की कुल वार्षिक आवश्यकता कितनी है ;

- (ख) इस समय कच्ची फिल्मों का वार्षिक आयात कितना है ;
- (ग) किन किन देशों से कच्ची फिल्मों का आयात किया जाता है तथा उनका मूल्य कितना है ;
- (घ) इस समय देश में कच्ची फिल्मों के स्टॉक की स्थिति कैसी है ; और
- (ङ) सरकार द्वारा उसके आयात के लिये क्या कदम उठाये जाने का विचार किया जा रहा है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) २५०० लाख फीट प्रति वर्ष ।

(ख) और (ग). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है जिस में १९५५ से १९५८ (जनवरी-अप्रैल, १९५८) तक का कच्ची फिल्मों का देशवार आयात दिया गया है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४०]

(घ) ३० जून, १९५८ को कच्ची फिल्मों का घोषित स्टॉक ८५.८ लाख फीट था ।

(ङ) वर्तमान आधे साल में कच्ची फिल्मों के लाईसेंस पुराने आयातकों को ६० प्रतिशत सामान्य और ६० प्रतिशत 'साफ्ट' के कोटे के आधार पर दिये जाते हैं। कुछ आयात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से रुपये भुगतान पर भी किया जाता है और लाईसेंसों के निर्यात संवर्धन आधार पर भी प्रदान किये जाने का विचार किया जा रहा है ।

ईंधन इन्जेक्शन उपकरण तथा पम्प^१

†५४७. { सरदार इकबाल सिंह :
श्री राम कृष्ण :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५८ में अभी तक ईंधन इन्जेक्शन उपकरण तथा पम्पों का कुल कितना उत्पादन हुआ है ; और

(ख) इन वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) वर्ष १९५८ के पहले छै महीनों में ६२ लाख रुपये के मूल्य का उत्पादन हुआ जैसा कि लोक-सभा पटल पर रखे गये विवरण में व्यौरा दिया गया है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४१]

(ख) उनका उत्पादन बढ़ाने के लिये उपलब्ध विदेशी मुद्रा के अन्तर्गत निर्माता साथों को निर्माण के संमोदित कार्यक्रमों के अनुसार कच्ची सामग्री, अर्धनिर्मित और निर्मित पुर्जों के आयात के लिये प्रत्येक महायता दी जा रही है ।

†मूल अंग्रेजी में

^१Fuel injection

न्यूनतम मजूरियों का निर्धारण

†५४८. { सरदार इकबाल सिंह :
श्री राम कृष्ण :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री ७ मई, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २०४४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत निर्माण कार्यों में लगे हुये मजदूरों के लिये न्यूनतम मजूरियां निर्धारित करने वाली अधिसूचना संबंधी पुनरीक्षण समिति द्वारा की गई सिफारिशों की जांच कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जी, हां ।

(ख) पुनरीक्षण समिति द्वारा अपनी छठवीं बैठक में की गई सिफारिशों पर विचार कर लिया गया है और समस्त नियोजक मंत्रालयों से प्रार्थना की गई है कि वे समिति की सिफारिशों को दृष्टि में रखते हुये केन्द्रीय उपक्रम-क्षेत्र में मजूरियों की न्यूनतम दरों के पुनरीक्षण के लिये सीधे मुख्य श्रम आयुक्त को सुझाव प्रदान करें जोकि पुनरीक्षण समिति के सभापति हैं ताकि इन निर्दिष्ट प्रस्तावों पर पुनरीक्षण समिति की अगली बैठक में विचार किया जा सके। इस बीच के समय में निर्माण कार्यों में लगे हुये मजदूरों के संबंध में पुनरीक्षण समिति की तीसरी और पांचवीं बैठकों की सिफारिशें अधिसूचित की जा चुकी हैं और ५ अक्टूबर, १९५८ तक आपत्तियां तथा सुझाव आमंत्रित किये गये हैं ।

बन्दरों का निर्यात

†५४९. { सरदार इकबाल सिंह :
श्री राम कृष्ण :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैज्ञानिक गवेषणा के हेतु १ नवम्बर, १९५७ से ३१ मार्च, १९५८ तक और १ अप्रैल से ३१ जुलाई, १९५८ तक विदेशों को कितने बन्दरों का निर्यात किया गया ; और

(ख) उसके परिणामस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा का लाभ हुआ ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) १ नवम्बर, १९५७ से ३१ मार्च १९५८ तक ७२,३३८ और १ अप्रैल से ३० जून, १९५८ तक २,७०३ बन्दर निर्यात किये गये। जुलाई, १९५८ के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) १ नवम्बर, १९५७ से ३० जून, १९५८ तक ५८.७ लाख रुपये अर्जित किये गये। जुलाई, १९५८ के संबंध में जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है ।

पंजाब में अम्बर चर्खा केन्द्र

†५५०. { सरदार इकबाल सिंह :
श्री राम कृष्ण :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में इस समय अम्बर चर्खों के कितने केन्द्र हैं ; और

(ख) इन केन्द्रों में १९५६-५७ और १९५७-५८ में कितने चर्खे वितरित किये गये ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) ३० जून, १९५८ तक ८५५ अम्बर चर्खा केन्द्र स्थापित किये गये थे ।

(ख) १९५६-५७ और १९५७-५८ में वितरित किये गये चर्खों की संख्या निम्न प्रकार है :

वर्ष	वितरित किये गये चर्खों की संख्या
१९५६-५७	२४६२
१९५७-५८	८०६३

पालना कोयला खान का बन्द किया जाना

†५५१. { श्री दी० चं० शर्मा :
श्री बोस :
श्री मोहम्मद इलियास :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बीकानेर डिवीजन की पालना कोयला खान में खनन कार्य जून, १९५८ से बन्द कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) कितने मजदूर बेकार हो गये हैं ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जी हां, उक्त कोयला खान में भूमिगत खनन कार्य १६-६-५८ से बन्द कर दिया गया है ।

(ख) वर्तमान गड्ढों में से प्रायः समस्त लिगनाइट निकाला जा चुका था और मई, १९५८ के मध्य के लगभग उन गड्ढों में आग लग गई थी जिसके कारण वहां श्रम कार्य चलाना खतरनाक हो गया था ।

(ग) १५७ (भूमिगत मजदूर) ।

भारतीय सेना के एक हवलदार की पाकिस्तान में नजरबन्दी

†५५२. { श्री दी० चं० शर्मा :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री धूर्जटी प्रसाद दत्त पर, जो कि भारतीय सेना के एक हवलदार हैं, उनके अपने संबंधियों से मिलने के लिये पूर्वी पाकिस्तान जाने पर, पाकिस्तान सरकार के विरुद्ध षडयन्त्र का आरोप लगाया गया था और यद्यपि बाद में वह अभियोग में निर्दोष पाये गये उन्हें पुनः जेसोर जेल में हिरासत में रखा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) श्री धूर्जटी प्रसाद दत्त को १९४६ के पाकिस्तान विदेशी अधिनियम की धारा ३ के अन्तर्गत पाक-विरोधी कार्यवाहियों के लिये हिरासत में रखा गया है ।

पी० टी० आई० के एक संवाददाता का लेबनान सुरक्षा पुलिस द्वारा नजरबन्दी

†५५३. श्री दी० चं० शर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया के संवाददाता श्री विलफ्रेड लेज़ेरस को ५ जून, १९५८ को लेबनान सुरक्षा पुलिस द्वारा हिरासत में रखा गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी, हां ।

(ख) श्री विलफ्रेड लेज़ेरस ने लेबनान में तथाकथित असफल राज्य पर्यत्क्षेपण के संबंध में एक सन्देश ४ जून, १९५८ को टेलीग्राफ कार्यालय में दिया था । लेबनान की सरकार ने इस सन्देश के भेजे जाने पर आपत्ति उठाई । अतः उन्हें पूछताछ के लिये हिरासत में लिया गया था और बाद में छोड़ दिया गया था ।

अखिल भारतीय मध्यवर्ग परिवार बजट सर्वेक्षण

†५५४. { श्री दी० चं० शर्मा :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री तंगामणि :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या प्रधान मंत्री २ मई, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १९६९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अखिल भारतीय मध्य वर्ग परिवार बजट सर्वेक्षण के संबंध में और क्या प्रगति हुई है ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मध्य वर्ग परिवार जीवन-यापन सर्वेक्षण से संबंधित प्रारम्भिक क्षेत्र-कार्य और कर्मचारी वर्ग का प्रशिक्षण समाप्त हो गया है और मसूदा ४५ चुने हुये केन्द्रों में मुख्य सर्वेक्षण प्रारम्भ कर दिया गया है ।

पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों का पुनर्वास

†५५५. श्री विभूति मिश्र: क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि चम्पारन जिले में बहुत से स्थानीय भूमिहीन श्रमिक विभिन्न फार्मों पर पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों के पुनर्वास कार्यक्रम के कारण बेरोजगार हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार स्थानीय शरणार्थियों को कोई रोजगार देने का विचार कर रही है ; और

(ग) उनका पुनर्वास किस प्रकार किया जायेगा ?

†पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० रो० नास्कर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग). उत्पन्न नहीं होते ।

लघु उद्योग

५५६. श्री नवल प्रभाकर : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने (१) किसी व्यक्ति को, और (२) सहकारी समितियों को दिल्ली में लघु उद्योगों के विकास के लिये अब तक कोई ऋण दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों में दिये गये ऋणों का व्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) जी, हां ।

(ख) पिछले दो वर्षों में दिल्ली प्रशासन द्वारा दिये गये ऋणों का व्यौरा नीचे दिया जाता है :—

वर्ष	सहकारी समितियों को दी गई धनराशि		अन्य लोगों को दी गई धन राशि		योग	
	सं०	राशि रुपये	सं०	राशि रुपये	सं०	राशि रुपये
१९५६-५७	३	१८,५००	१७५	६,६६,०००	१७८	६,८४,५००
१९५७-५८	५	६,८००	२३१	१४,६०,६००	२३६	१४,७०,७००

प्रलेखीय चलचित्र

५५७. { श्री भक्त दर्शन :
श्री रामेश्वर टांटिया :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५८-५९ के उत्पादन कार्यक्रम में कितने प्रलेखीय चल-चित्र शामिल किये गये हैं ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) वे किन किन विषयों पर तैयार किये जायेंगे ?

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) और (ख). एक विवरण लोक-सभा की मेज पर रख दिया गया है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४२]

कपास का आयात

†५५८. श्री ही० ना० मुकर्जी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में अच्छी किस्म की कपास के आयात पर कितनी राशि व्यय की गई है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : १९५४-५५, १९५५-५६ और १९५६-५७ में विदेशी कपास के आयात पर व्यय की गई राशि निम्न प्रकार है :

वर्ष	आयात का मूल्य रुपये
१९५४-५५	५३,३८,३१,६६०
१९५५-५६	४८,१३,३४,६५०
१९५६-५७	५०,४१,८३,३७७

निर्यात जोखिम बीमा निगम (प्राइवेट) लिमिटेड

†५५९. { श्री बोडयार :
श्री दामानी :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात जोखिम बीमा निगम (प्राइवेट) लिमिटेड किन किन जोखिमों का बीमा करता है ;

(ख) क्या कोई मामले ऐसे उत्पन्न हुये हैं जिनमें बीमे का दावा और भुगतान किया गया हो ;

(ग) यदि हां, तो वाणिज्यक और राजनैतिक जोखिमों के मामले अलग अलग कितने हैं ; और

(घ) अपने प्रादुर्भाव के समय से निगम के कार्य का परिणाम कैसा रहा है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) निर्यात जोखिम बीमा निगम जिन जिन जोखिमों का बीमा करता है उनका विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४३]

(ख) एक मामला आया है और उसका भुगतान माल के बिक जाने तथा कमी की राशि का निश्चय किये जाने के पश्चात् किया जायेगा।

(ग) केवल एक मामला है जो वाणिज्यिक जोखिम से संबंधित है।

(घ) निगम ने ८ जुलाई, १९५८ तक १०८ पालिसियां जारी की हैं जिनका अधिकतम दायित्व ६,२४,८०,००० रुपये है।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम

†५६०. श्री बोड्यार : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम की उसकी स्थापना के समय से महत्वपूर्ण उपलब्धियां क्या हैं ; और

(ख) निगम के कार्यों पर अभी तक कुल कितनी राशि व्यय की गई है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) और (ख). राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम की जून, १९५८ तक की प्रगति की समीक्षा की एक छपी हुई प्रति (पुस्तकालय में रखी गयी देखिये एल० टी० ८३४) सहित एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४४]

दक्षिण भारत में मुद्रणालयों की स्थापना

†५६१. श्री थानुलिगम नादर : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री १३ मार्च, १९५८ के अतारंकित प्रश्न संख्या १२२२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण भारत में प्रस्तावित दो मुद्रणालयों की स्थापना के लिये भूमियां अर्जित की जा चुकी हैं ;

(ख) मुद्रणालयों की स्थापना के लिये और क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) उनके कब तक पूर्ण हो जाने की संभावना है ?

†निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) जी, हां ।

(ख) मुद्रणालयों के लिये मशीनों के आयात के लिये विदेशी मुद्रा की अनुपलब्धता के कारण कोई प्रगति नहीं की जा सकी ।

(ग) इस अवस्था में कोई निश्चित तारीख नहीं बताई जा सकती है ।

हैदराबाद तथा बंगलौर में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों की इमारतें

†५६२. पंडित द्वा० ना० तिवारी : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद तथा बंगलौर में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के लिये (जो अभी किराये की इमारतों में हैं) अनेक मंजिलों की इमारतें बनाने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या प्राक्कलन और योजनायें तैयार कर ली गई हैं ;

(ग) कार्य कब तक प्रारम्भ होगा ; और

(घ) इन दो स्थानों में अभी कितने किराये का भुगतान किया जा रहा है ?

†निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : (क) से (ग). इन स्थानों में सामान्य संग्रह में कार्यालयों की इमारतें बनाने के लिये इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है । परन्तु हैदराबाद

और बंगलौर में उपयुक्त भूखंड प्राप्त करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। यदि ये सफल हो जायेंगे तो इमारतें बनाने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा। इस समय डाक विभाग की हैदराबाद में मुख्य डाकघर की इमारत बनाने की एक योजना है। उस विभाग द्वारा प्राक्कलन की जांच की जा रही है। आयकर तथा केन्द्रीय आबकारी विभाग ने भी बंगलौर में एक कार्यालय की इमारत का प्राक्कलन मंजूर कर दिया है और कार्य के शीघ्र प्रारम्भ हो जाने की आशा है।

(घ) बंगलौर में : लगभग ६,६०० रुपये प्रतिमाह।

हैदराबाद में : लगभग ७,७०० रुपये प्रतिमाह।

यूगोस्लाविया को सिलाई मशीनों का संभरण

{ श्री दी० चं० शर्मा :
{ श्री बोड्यार :
‡५६३. { श्री दलजीत सिंह :
{ श्री शिवनंजप्पा :
{ श्री मोहन स्वरूप :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और यूगोस्लाविया के बीच यूगोस्लाविया को ४८,००० सिलाई मशीनों के संभरण के लिये एक समझौते पर हस्ताक्षर हुये हैं ;

(ख) यदि हां, तो समझौते की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस सौदे के परिणामस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा के अर्जन का अनुमान है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) और (ख) . यूगोस्लाविया को ४७,५०० मशीन-शीर्षों के संभरण के लिये एक समझौता किया गया है। यह संभरण दिसम्बर, १९५६ तक पूर्ण कर देना है। भुगतान भारत में यूगोस्लाव व्यापारिक संघठन द्वारा रखे जाने वाले विशेष रुपये के लेखे द्वारा किये जायेंगे।

(ग) उत्पन्न नहीं होता क्योंकि अर्जन रुपयों में है।

ग्राम्य आवास कार्यक्रम

‡५६४. { श्री कोडियान :
{ श्री बाल्मीकी :

क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम्य आवास परियोजना कार्यक्रम द्वारा अभी तक क्या प्रगति की गई है ?

†निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें ग्राम्य आवास परियोजना कार्यक्रम के कार्यान्वयन की दिशा में विभिन्न राज्यों द्वारा की गई प्रगति दी गई है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४५]

†मूल अंग्रेजी में

‡Machine heads.

पश्चिमी बंगाल में रेशम कीट पालन

†५६५. श्री घोषाल : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने, जिसकी बैठक मई के महीने में बम्बई में हुई थी, पश्चिमी बंगाल में रेशम कीट पालन के सुधार के लिये कोई योजना अपने हाथ में ली है ; और

(ख) यदि हां, तो वह किस प्रकार की है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) और (ख) . हां, श्रीमान् । ५ मई, १९५८ को हुई एक बैठक में केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने पश्चिमी बंगाल में एक कते रेशम के कारखाने की स्थापना के लिये पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा प्रस्तुत एक योजना पर विचार किया था । योजना का उद्देश्य रेशम की कतरन को जो इस समय निर्यात कर दिया जाता है, अच्छी किस्म के कते रेशम के धागे के उत्पादन के लिये उपयोग में लाना है । उसमें ३७ लाख रुपये पूंजी लागत के रूप में और ११.११ लाख रुपये प्रति वर्ष आवर्तक व्यय के रूप में व्यय होने का अनुमान है । विदेशी मुद्रा की कठिन स्थिति के कारण योजना का विचार अस्थगित कर दिया गया है क्योंकि लगभग २३.७३ लाख रुपये की मशीनों का आयात किया जाना है ।

राजनयिक पारपत्र

†५६६. श्री दलजीत सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में अभी तक कुल कितने राजनयिक पारपत्र जारी किये गये हैं ; और

(ख) इन पारपत्रों के लिये कुल कितने प्रार्थनापत्र विचारार्थ पड़े हुये हैं ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) और (ख) . विदेशों में पारपत्र जारी करने वाले दस प्राधिकारियों से अभी तक उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं, परन्तु शेष द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार आंकड़े निम्न प्रकार हैं :—

(क) १६४ ।

(ख) ३ ।

हथकरघा निर्यात व्यापार

†५६७. सरदार इकबाल सिंह : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री २२ अप्रैल, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २६०२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार को हथकरघा निर्यात व्यापार के बारे में भारत सरकार को मंत्रणा देने के लिये फोर्ड प्रतिष्ठान के अधीन अमरीकी विशेषज्ञों का जो दल भारत आया था उनके प्रतिवेदन पर क्या कार्य वाही की गई है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लालबहादुर शास्त्री) : प्रतिवेदन पर विचार किया जा चुका है और एक हथकरघा निर्यात संस्था स्थापित करने का निश्चय किया गया है । उसका व्योरा तैयार किया जा रहा है ।

कपड़े की मिलें

†५६८. श्री जाधव : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निम्नलिखित की उद्यत्त संख्या क्या है :

(१) कपड़ा मिलें :

(१) चालू हैं । (२) जो बन्द हो गई हैं ।

(२) हथकरघे :

(१) चालू हैं । (२) जो बेकार पड़े हैं ।

(३) विद्युत् करघे :

(४) अम्बर चरखें ; और

(५) साधारण चरखें ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (१) कपड़ा मिलें :

(क) सूती :

(i) चालू ४४७; (ii) जो बन्द हो गई हैं ३२ ।

(ख) ऊनी/‘बंस्टैंड’

(i) चालू १२२; (ii) जो बन्द हो गई हैं ५ ।

(ग) कृत्रिम रेशम :

(i) चालू ३७७०; (ii) जो बन्द हो गई हैं १ ।

(२) (i) और (ii) ठीक-ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(३) (क) सूती :

२७,७०३ हथकरघा सैक्टर में ७०३ विद्युत् करघों के समेत ।

(ख) ऊनी : ४०४२ ।

(ग) कृत्रिम रेशम : ४४,५०० ।

(४) ३०-६-१९५८ तक २,११,७३६ अम्बर चरखे बनाये गये हैं ;

(५) ठीक-ठीक संख्या उपलब्ध नहीं है ।

गड़े हुये धन की वसूली

†५६९. श्री रघुनाथ सिंह : क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्रमशः पाकिस्तान और भारत में अब तक कुल कितना गड़ा हुआ धन प्राप्त हुआ है ?

†पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : भारत में गड़े धन की खोज के कार्य में पाकिस्तानी निष्क्राम्य व्यक्तियों की जो नगदी, सोना और नोट प्राप्त हुये उनका मूल्य २ लाख रुपये है ।

इसके अतिरिक्त जेवारात और अन्य बहुमूल्य वस्तुयें भी प्राप्त हुई हैं जिनके ठीक ठीक मूल्य का पता नहीं लग सकता क्योंकि पाकिस्तान के 'लेजान' अफसर द्वारा सामान का प्रमाणपत्र देने पर उनका निर्यात करने की अनुमति दे दी गई थी। पश्चिमी पाकिस्तान में गड़े धन की खोज करते समय विस्थापित व्यक्तियों की ६६ लाख रुपये की सम्पत्ति प्राप्त हुई है।

दिल्ली में औद्योगिक बस्ती

†५७०. श्री कुन्हन : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या दिल्ली में नज्जफगढ़ रोड पर औद्योगिक बस्ती का निर्माण पूरा हो गया है ;
- (ख) यदि हां, तो कितने मकान अलाट किये जा चुके हैं ;
- (ग) उनकी 'अलाटमेंट' (आवंटन) का क्या तरीका है ?
- (घ) क्या बस्ती में बाजार और स्कूल की व्यवस्था की गई है ; और
- (ङ) यदि नहीं, तो ये सुविधायें देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) राजसहायता प्राप्त औद्योगिक बस्तियां बनाने की योजना के अधीन नज्जफगढ़ रोड, दिल्ली पर १३८० मकान बन चुके हैं।

(ख) पानी, बिजली और नालियों की व्यवस्था करने के लिये मकान की अलाटमेंट रुकी हुई थी परन्तु अब यह सब हो चुका है और ७१० मकान अलाट किये जा चुके हैं और शेष सितम्बर, १९५८ तक अलाट हो जायेंगे।

(ग) मकानों की अलाटमेंट दिल्ली प्रशासन द्वारा बनाई गई एक तदर्थ समिति द्वारा की जा रही है जिसमें नियोजकों और कर्मचारियों के कार्मिक संघ के दो-दो प्रतिनिधि और भूतपूर्व दिल्ली विधान सभा के सदस्यों में से दो स्वतंत्र व्यक्ति चुने गये हैं।

(घ) अभी नहीं।

(ङ) दिल्ली प्रशासन ने उस समय की दिल्ली नगरपालिका समिति को लगभग एक वर्ष पूर्व स्कूल के लिये जमीन दी थी। वहां तम्बू लगाकर एक प्राइमरी स्कूल खोलने का प्रबन्ध किया जा रहा है।

बस्ती में एक बाजार बनाने के लिये भी आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गोदी श्रमिकों के लिये खंड दर^१ योजना

†५७१. श्री तंगामणि : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोदी श्रमिकों के लिये खंड-दर योजना का अभिनवीकरण करने के लिये स्थापित की गई जीजी भाई समिति ने कलकत्ता का दौरा समाप्त कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो समिति ने क्या सिफारिशों की हैं ; और

(ग) यदि ऊपर के भाग (क) का उत्तर नाकारात्मक हो तो समिति का अन्तिम प्रतिवेदन कब तक मिलने की आशा है ?

†मूल अंग्रेजी में

^१Piece rate.

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). समिति का प्रतिवेदन १३-८-५८ को मिला था और उसका परीक्षण किया जा रहा है ।

चंडीगढ़ परियोजना

†५७२. { सरदार इकबाल सिंह :
श्री राम कृष्ण :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने चंडीगढ़ परियोजना के लिये और अधिक व्यय करने का सुझाव दिया है ;

(ख) क्या योजना आयोग ने इस निवेदन पर विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ?

†योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : (क) से (ग). राज्यों के पुनर्गठन के पश्चात् राजधानी परियोजना के मंत्री ने जनवरी, १९५७ में यह सुझाव दिया कि चंडीगढ़ में हो रहे निर्माण कार्यों पर ७.५६ करोड़ रुपये का और खर्च किया जाये । अप्रैल, १९५७ में योजना आयोग ने चंडीगढ़ में द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के दौरान में होने वाले निर्माण कार्यों और राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप प्रस्तावित निर्माण कार्यों की स्थिति का पुनरावलोकन करने और उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए एक कार्यकारी दल नियुक्त किया । कार्यकारी दल ने अक्टूबर, १९५७ में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था । प्रतिवेदन का परीक्षण किया गया और योजना आयोग के उप-सभापति ने अप्रैल, १९५८ में पंजाब के मुख्य मंत्री को एक पत्र भेजा जिसमें योजना आयोग के सुझाव भी दिये गये थे । उनके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है ।

इंग्लैंड में भारतीय

†५७३. सरदार इकबाल सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंग्लैंड में कुछ स्थानों पर भारतीय लोगों को 'बालरूम' में प्रवेश नहीं करने दिया जाता ;

(ख) क्या लन्दन स्थित भारतीय दूतावास को ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ग) यदि हां, तो इन शिकायतों का ब्यौरा क्या है ;

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) उसके क्या परिणाम हुए हैं ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) हाल ही में उच्च आयुक्त के ध्यान में यह बात लाई गई है कि एक भारतीय विद्यार्थी को वल्वरहैम्पटन के एक बालरूम में प्रवेश नहीं करने दिया गया ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) से (ङ). इस घटना का उल्लेख स्थानीय समाचार पत्रों में किया गया था और उच्च आयोग ने पूछताछ की थी। पता चला कि ८ जून को एक भारतीय छात्र श्री उदित कुमार दास गुप्त अपनी मकान मालिकन के साथ, जो कि अंग्रेजी महिला हैं परन्तु उन्होंने एक भारतीय से विवाह कर रखा है, वल्वरहैम्पटन में स्काला बालरूम में गया। डांस-हाल के द्वार पर यह नोटिस लगा था कि "काले व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकते" द्वार पर नियुक्त व्यक्ति उस महिला को भीतर जाने देने को तैयार था परन्तु उसने भारतीय छात्र को भीतर जाने से रोक दिया। वह महिला भी भीतर नहीं गई और छात्र के साथ लौट आई। छात्र ने फिर वल्वरहैम्पटन नगरपालिका के 'मेयर' और 'टाउन क्लर्क' के पास शिकायत भेजी। टाउन क्लर्क ने उत्तर में इस घटना पर खेद प्रकट किया और साथ में यह भी लिखा कि वह इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं कर सकता क्योंकि स्काला एक प्राइवेट स्थान है जिस पर उसका कोई प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं है। टाउन क्लर्क ने वह शिकायत, लाइसेंस की मंजूरी के साथ, सम्बन्धित लाइसेंस देने वाले जस्टिसों के पास भेज दी क्योंकि उस स्थान को सार्वजनिक नांच के लिए प्रयुक्त करने के लाइसेंस के नवीकरण का आवेदन पत्र शीघ्र ही आने वाला था।

डांस-हाल के प्रबन्धकों के लाइसेंस के नवीकरण सम्बन्धी आवेदन पत्र का सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र के संसद् सदस्य वल्वरहैम्पटन टाउन काउन्सिल के एक काउन्सिलर, अन्तर्राष्ट्रीय मित्रता संघ की वल्वरहैम्पटन शाखा के सचिव और वल्वरहैम्पटन फ़ैडरल फ्री चर्च काउन्सिल के एक प्रतिनिधि ने विरोध किया। लाइसेंस का नवीकरण तो कर दिया गया। जस्टिसों के सभापति ने लाइसेंस के नवीकरण की घोषणा करते समय यह आशा प्रकट की है कि प्रबन्धकों विरोधियों द्वारा दिये गये बयान को स्मरण रखेंगे।

यह भी पता चला है कि वल्वरहैम्पटन टाऊन काउन्सिल ने सर्वसम्मति से इस बात का समर्थन किया है कि विनोद-मेलों और स्केटिंग रिक के लिये नये उप-नियम बनाये जायें जिन में काले और गोरे में कोई भेदभाव न किया जाये।

स्काला बाल-रूम के प्रबन्धकों ने एक वादकालीन आज्ञा के लिये आवेदन पत्र दिया था जिसके अनुसार वे चाहते थे कि वल्वरहैम्पटन संगीतज्ञ संघ अपने सदस्यों को इस बात के लिये राजी न कर सके कि वे उन स्थानों पर अपने संगीत कार्यक्रम न रखें जहां काले लोगों को प्रवेश नहीं करने दिया जाता। इस प्रस्ताव को लंडन उच्च न्यायालय में सुना गया और अस्वीकृत कर दिया गया। प्रबन्धकों ने यह वादकालीन आज्ञा की स्वीकृति न देने के खिलाफ कोर्ट आफ अपील से अपील की। कोर्ट आफ अपील ने भी प्रबन्धकों की अपील ठुकरा दी है।

यूरेनियम के निक्षेप

†५७४. सरदार इकबाल सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या आंध्र में यूरेनियम निक्षेपों का पता चला है ;
- (ख) आंध्र में ये किन-किन स्थानों पर पाये गये हैं ; और
- (ग) कुल कितनी मात्रा में यूरेनियम मिलने का अनुमान है ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) और (ख).
आंध्र राज्य के कुछ जिलों में यूरेनियम अयस्क के निक्षेपों का पता चला है। उन स्थानों
के नाम बताना लोक-हित में नहीं है।

(ग) अभी यह निर्धारित नहीं किया गया कि निक्षेप कैसे और कितने हैं। इन निक्षेपों
में उपलब्ध अयस्क की किस्म और मात्रा का पता तभी चलेगा जब वह विस्तृत कार्य समाप्त
हो जायेगा जो इस समय किया जा रहा है।

सड़क परिवहन निगम

†५७५. सरदार इकबाल सिंह : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने योजना आयोग द्वारा सड़क परिवहन निगम स्थापित करने
के प्रस्ताव पर अपनी राय व्यक्त की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या
४६]

पाकिस्तान से व्यापार

†५७६. सरदार इकबाल सिंह : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री २ मई, १९५८ के
अंतरांकित प्रश्न संख्या ३१३२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत
से पाकिस्तान को निर्यात की जाने वाली किन वस्तुओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : एक विवरण, जिसमें भारत
से गत ५ वर्ष में निर्यात की गई वस्तुओं का उल्लेख किया गया, सभा-पटल पर रखा जाता
है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४७]

हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड

†५७७. श्री न० रा० मुनिस्वामी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की
कृपा करेंगे कि १९५७-५८ में हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड, पिम्परी में
पैनिसलीन का कितना उत्पादन हुआ और देश की कितनी मांग देशीय उत्पादन से पूरी
हुई ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : १९५७-५८ में पिम्परी
में २१४.३ लाख मैगा यूनिट पैनिसलीन का उत्पादन किया गया। पैनिसलीन की मांग
घटती बढ़ती है और इसके बहुत से कारणों में से कुछ एक ये हैं कि वे कितनी मात्रा में
और किस मूल्य पर उपलब्ध है। रोगों का प्रकोप कितना है आदि आदि। वर्तमान
मांग, जो लगभग ६७० लाख मैगा यूनिट थी, का लगभग ३२ प्रतिशत भाग देशीय उत्पादन
से पूरा हुआ।

पश्चिमी तिब्बत के साथ व्यापार

†५७८. श्री हेम राज : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५, १९५६ और १९५७ में भारतीय व्यापारियों ने पश्चिमी तिब्बत के क्रमशः रडौक और गरटौक स्थानों पर कितना व्यापार किया ;

(ख) भारतीय व्यापार अभिकर्ता ने भारतीय व्यापारियों की क्या सहायता की ; और

(ग) पूर्वी, मध्य, दक्षिणी और पश्चिमी तिब्बत के किन-किन स्थानों पर भारतीय व्यापार अभिकर्ता नियुक्त किये गये हैं ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) तिब्बत की रडौक और गरटौक जैसी मंडियों में कितना व्यापार किया गया इसका हिसाब नहीं रखा जाता है। निर्दिष्ट ३ वर्षों में पश्चिमी तिब्बत को भारत से जो कुल निर्यात किया गया उसका मूल्य नीचे दिखाया जाता है :—

	रुपये
१९५५	५७,२६,५०५
१९५६	५०,०४,३१०
१९५७	४५,५६,६२०

(ख) तिब्बत में भारतीय व्यापार अभिकर्ता जो भी सहायता हो सकती है करते हैं जैसे कि स्थानीय नियमों के अन्तर्गत साधारण व्यापार करते समय भारतीय व्यापारियों के सामने जो कठिनाइयां खड़ी होती हैं उन्हें वे स्थानीय प्राधिकारियों से मिलकर दूर करते हैं, उनके जान और माल की हिफाजत करते हैं, उचित दर पर परिवहन के साधन जुटाते हैं और १९५४ के सीनो-भारतीय करार के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त मंडियों में इमारतें और गोदाम किराये पर दिलाते हैं।

(ग) यतूंग, ग्यांत्से और गरटौक।

साइकिल उद्योग

†५७९. श्री पांगरकर : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में साइकिल उद्योग में कितनी विदेशी पूंजी लगी हुई है ;

(ख) इस समय इस उद्योग में कितनी भारतीय पूंजी लगी हुई है ; और

(ग) उक्त उद्योग में भारतीय पूंजी के विनियोजन को बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है।

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) ३६,८१,००० रुपये।

(ख) ३,३६,००,००० रुपये।

(ग) सामान्यतः विदेशी पूंजी के विनियोजन की स्वीकृति उन्ही हालतों में दी जाती है जब टैक्नीकल सहायता प्राप्त करना अथवा आयात किये गये पूंजीगत उपकरण के लिये विदेशी

मुद्रा की व्यवस्था करना हो। इस बात को सामने रखते हुए जब कभी उपयुक्त अवसर उत्पन्न होता है भारतीय पूंजी का अनुपात बढ़ाने का योजना परीक्षण किया जाता है।

त्रिपुरा सीमा पर पाकिस्तानियों द्वारा छापे

†५८०. श्री दशरथ देब : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष में त्रिपुरा के सीमा क्षेत्र पर पाकिस्तानियों ने कितनी बार छापे मारे ;

(ख) ये छापे किन-किन स्थानों पर किये गये ;

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) ऐसे आक्रमण भविष्य में न हों इसके लिये क्या प्रयत्न किये गये हैं।

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : त्रिपुरा प्रशासन ने सूचना दी है कि १ अगस्त, १९५७ से ३१ जुलाई, १९५८ तक अनधिक प्रवेश भारतीय राष्ट्रजनों पर आक्रमण ; ढोर चुराने और चोरियों आदि की ४९ घटनायें हुई हैं।

(ख) एक विवरण, जिसमें उन स्थानों के नाम जहां ये घटनायें हुईं, सभा-पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४८]

(ग) दिसम्बर, १९४८ के भारत-पाक करार के अन्तर्गत सम्बन्धित जिला दण्डाधीशों ने पूर्वी पाकिस्तान में सम्बन्धित दण्डाधीशों के पास विरोध पत्र भेजे थे। अधिक गम्भीर घटनाओं के बारे में त्रिपुरा प्रशासन ने पूर्वी पाकिस्तान सरकार और भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार के साथ बातचीत की थी।

(घ) सीमा पुलिस को अधिक सतर्क रहने के निदेश देने के अतिरिक्त, त्रिपुरा प्रशासन ने उपयुक्त स्थानों पर चौकियां मजबूत कर दी हैं।

प्लास्टिक निर्यात संवर्द्धन परिषद्

†५८१. श्री सुब्बया अम्बलम् : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्लास्टिक निर्यात संवर्द्धन परिषद् द्वारा भेजे गये प्रतिनिधिमण्डल ने कब और किन-किन देशों का दौरा किया ;

(ख) प्रतिनिधिमण्डल के जाने पर प्लास्टिक उत्पादों का निर्यात कहां तक बढ़ा और

(ग) १९५६-५७ और १९५७-५८ में जो निर्यात किया गया उसका मूल्य (देशवार) क्या है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) प्लास्टिक और लिनोलियम निर्यात संवर्द्धन परिषद् ने अभी तक केवल दो प्रतिनिधिमंडल भेजे हैं। पहला प्रतिनिधिमंडल इन देशों में गया था :—

देश	दौरे की तिथि
ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका	मार्च, १९५७
यूगैंडा	मार्च, १९५७
सूडान	मार्च, १९५७
इरीट्रिया	मार्च १९५७
इथ्योपिया	अप्रैल, १९५७
अदन	अप्रैल, १९५७

दूसरा प्रतिनिधिमण्डल इन देशों में गया था :—

श्रीलंका	मार्च, १९५८
थाइलैंड	मार्च, १९५८
बर्मा	मार्च, १९५८
मलाया	मार्च, १९५८
सिंगापुर	मार्च-अप्रैल, १९५८
दक्षिण-वियतनाम	अप्रैल, १९५८
हांगकांग	अप्रैल, १९५८
कम्बोदिया	अप्रैल, १९५८

(ख) और (ग) . एक विवरण, जिसमें १९५६-५७ और १९५७-५८ में हुए प्लास्टिक उत्पादों के निर्यात का मूल्य बताया गया है सभा-पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४६] विवरण से पता चलता है कि प्रथम प्रतिनिधिमण्डल के दौरे के बाद के वर्ष में प्लास्टिक उत्पादों का निर्यात बढ़ा है। इन प्रतिनिधिमंडलों के द्वारा हम विदेशी लोगों को यह बताने में सफल हुए हैं कि हमारे यहां उत्पादन का स्तर कितना ऊंचा है और उन्हें इस से लाभ होगा।

छोटे पैमाने के और कुटीर उद्योग

†५८२. श्री घोषाल : क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के लिये पश्चिमी बंगाल में छोटे पैमाने के और कुटीर उद्योग स्थापित किये जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वे कौन से उद्योग हैं और कहां खोले जा रहे हैं ?

†पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) जी हां।

(ख) उन उद्योगों में धान कूटना, ईंटें बनाना, कुवट पालन, मत्स्य पालन, फर्नीचर बनाना, लिनन की वस्तुएं, चमड़े का सामान, जूते, सूती दरियां, हाथ का काता हुआ धागा, ऊनी कम्बल, पटसन की रस्सियां, दूध उत्पाद, रेशम की रीलें बनाना और बुनना आदि। अधिकतर इनकी स्थापना बस्तियों / उपनगरों अथवा उन स्थानों पर की जा रही है जहां विस्थापित लोग अधिक संख्या में बसे हुए हैं।

योजना गोष्ठियां

†५८३. सरदार इकबाल सिंह : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या योजना गोष्ठियों का पूर्वी प्रादेशिक सम्मेलन हाल ही में हुआ था ;
- (ख) यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों ने इस में भाग लिया ; और
- (ग) इन गोष्ठियों की मुख्य सिफारिशें क्या थीं ?

†योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : (क) जी हां, यह दार्जिलिंग में २६ और ३० मई, १९५८ को हुआ था।

(ख) एक सूची सभा-पटल पर रखी जाती है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५०।]

(ग) सम्मेलन की मुख्य सिफारिशें ये हैं कि उसमें योजना गोष्ठियों को ये करने के लिये कहा गया :—

- (१) ग्रामों का अध्ययन करने और उसके आधार पर ग्राम योजनायें तैयार करना जिससे स्थानीय संसाधनों का विकास करके उनकी आवश्यकतायें पूरी की जा सकें।
- (२) नगरीय जनता जिस में छात्र भी शामिल हैं, में यह देखना कि कितने लोग योजना को समझते हैं ; और
- (३) अध्यापक और छात्र अपनी संस्थाओं में अल्प बचत योजनायें चालू करें।

आगे चलकर यह निर्णय भी किया गया कि प्रत्येक योजना गोष्ठी अपने सदस्यों और कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेने वालों की एक सूची रखे। समय-समय पर योजना गोष्ठियों की सूचियों का पुनरीक्षण यह देखने के लिये किया जाये कि कितने सक्रिय सदस्य हैं।

कंटाई का नमक

†५८४. श्री प्रमथ नाथ बनर्जी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला मिदनापुर, के कंटाई स्थान पर बनाया जाने वाला नमक वैसा ही होता है जैसा कि तूतीकोरिन में बनता है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने गोदाम को खरीदने पर १०० मन नमक का क्या भाव रखा है ; और

(ग) क्या सरकार कंटाई क्षेत्र में नमक के और सहकारी कारखाने खोलने के बारे में विचार कर रही है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) जी हां ।

(ख) कंटाई में बनाये जाने वाले नमक की कोई दर सरकार ने निश्चित नहीं की है ।

(ग) कंटाई की भूमि राज्य सरकार की है जो इस मामले पर विचार कर रही है ।

उच्चतम न्यायालय की नई इमारत

†५८६. श्री वें० प० नायर : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय की नई इमारत को फर्निश करने पर फर्नीचर के मूल्य समेत कुल कितना खर्च हुआ ; और

(ख) फर्नीचर पर बिछाई गई नारियल जटा की चटाइयों आदि का मूल्य क्या है ?

†निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : (क) उच्चतम न्यायालय की इमारत को फर्निश करने और उसके फर्नीचर पर लगभग ८,७३,००० रुपये खर्च हुए । इस में वे वस्तुयें शामिल नहीं जो स्थानान्तरण के समय से स्टॉक में थीं ।

(ख) लगभग ४,००० रुपये ।

उद्योगों के लिये केन्द्रीय मंत्रणा परिषद्

†५८७. श्री राम कृष्ण : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ७ अगस्त, १९५८ को नई दिल्ली में हुई उद्योगों की केन्द्रीय मंत्रणा परिषद् की बैठक में किन-किन विषयों पर चर्चा की गई ;

(ख) परिषद् ने किस प्रकार के संकल्प पारित किये और सिफारिशें कीं ; और

(ग) इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) से (ग) . एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५१ ।]

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

†श्री जाधव (बाराबंकी) : श्रीमान्, मैंने जयपुर में धारा १४४ प्रख्यापित की जाने के फलस्वरूप वहां की जनता के नागरिक अधिकारों के अपहरण के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी।

†अध्यक्ष महोदय : मैंने उसे नामंजूर कर दिया है। क्योंकि वह राज्य का विषय है। स्थगन प्रस्ताव में यह कहीं नहीं बताया गया कि केन्द्र से उसका क्या संबंध है। माननीय सदस्य से मैंने कहलवा दिया था कि उसके संबंध में वह प्रश्न पूछ सकते हैं या कोई चर्चा उठा सकते हैं लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैं क्या कर सकता हूँ।

†श्री ब्रजराज सिंह (फ़ीरोजाबाद) : आपने कल गुजरात की परिस्थिति का उल्लेख हो जाने दिया था। जयपुर की परिस्थिति भी उसी प्रकार की है।

†अध्यक्ष महोदय : कभी-कभी सभा में ऐसी बातें उठा दी जाती हैं जिन्हें यहाँ नहीं उठाया जाना चाहिये था।

†श्री यादव : इसके विरोध में, मैं पांच मिनट के लिये सदन से बाहर जा रहा हूँ।

[इसके पश्चात् माननीय सदस्य सदन के बाहर चले गये]

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अभी सभा में नये-नये हैं। उन्हें नहीं मालूम कि माननीय सदस्यों को अध्यक्ष के विनिर्णय का विरोध नहीं करना चाहिये। मैं इस तरह की बातों पर कोई कार्यवाही नहीं करना चाहता।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियमों में संशोधन

†पुनर्वास उपमंत्रि (श्री पू० शे० नास्कर) : मैं विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, १९५४ की धारा ४० की उप-धारा (३) के अन्तर्गत विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियम, १९५५ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ :—

(एक) जी० एस० आर० संख्या ३९३/आर० अमेन्डमेंट २१, दिनांक १७ मई, १९५८।

(दो) जी० एस० आर० संख्या ५९४/आर० अमेन्डमेंट २२, दिनांक १२ जुलाई, १९५८।

(तीन) जी० एस० आर० संख्या ५९५/आर० अमेन्डमेंट २३, दिनांक १२ जुलाई, १९५८।

(चार) जी० एस० आर० संख्या ६१९/आर० अमेन्डमेंट २४, दिनांक १९ जुलाई, १९५८।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ८१५/५८]

रबर नियमों में संशोधन

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : मैं रबर अधिनियम, १९४७ की धारा २५ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत रबर नियम, १९५५ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ६ अगस्त, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६८२ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ। [पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० ८१६/५८]

केन्द्रीय रेशम बोर्ड नियमों में संशोधन

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : मैं केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, १९४८ की धारा १३ की उपधारा (३) के अन्तर्गत केन्द्रीय रेशम बोर्ड नियम, १९५५ में कुछ संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ :—

(एक) एस० ओ० संख्या १३४४, दिनांक १२ जुलाई, १९५८।

(दो) एस० ओ० संख्या ६८३, दिनांक ६ अगस्त, १९५८।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० ८१७/५८]

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन द्वारा स्वीकृत अभिसमय व सिफारिशें

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ :—

(एक) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन द्वारा जून, १९५७ में जैनेवा में हुए अपने ४०वें अधिवेशन में स्वीकृत अभिसमय व सिफारिशें।

(दो) उपरोक्त अभिसमयों और सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी अथवा की जाने वाली कार्यवाही का विवरण।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० ८१८/५८]

अविलम्बनीय लोक-महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

यमुना में बाढ़ और सरकार द्वारा की गई कार्यवाही

†श्री नौशीर भरूचा (पूर्व खानदेश) : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्त्व के निम्न विषय की ओर गृह-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाता हूँ और यह प्रार्थना करता हूँ कि वह उस के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

“यमुना में बाढ़ और उस के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही।”

†गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) : मैं इसे पढ़ कर सुनाता हूँ ।

यमुना का पानी रेलवे पुल के पास २ अगस्त, १९५८ को ढाई बजे दोपहर के समय समुद्र की सतह से ६७०.३ फीट ऊपर हो गया था । ५ अगस्त, १९५८ को शाम के पांच बजे उसने ६७२ फीट के खतरे के निशान को छू लिया था । ८ अगस्त, १९५८ को शाम के साढ़े पांच बजे इस बाढ़ का सब से ऊंचा स्तर ६७३ फीट तक पहुंच गया था । ९ अगस्त, १९५८ को आठ बजे सुबह पानी की सतह गिरने लगी और १० अगस्त, १९५८ को ग्यारह बजे सुबह खतरे के निशान तक उतर गई । १८ अगस्त, १९५८ को दो बजे दोपहर के समय वह ६६७ फीट तक उतर गई थी ।

इस बाढ़ से यमुना के दोनों किनारों पर बसे ३१ गांवों पर प्रभाव पड़ा । अनुमान है बाढ़ के पानी का प्रसार २० वर्गमील में था और २०,००० एकड़ फसली भूमि पानी में डूब गई थी । इस से खरीफ फसल पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है, उस की बोआई हो चुकी थी । गन्ने की खड़ी फसल को भी इस से थोड़ा नुकसान पहुंचा है । बाढ़ से प्रभावित गांवों के २०० कच्चे मकान पूरी तौर पर या आंशिक तौर पर बैठ गये हैं । इसके अलावा शहर में भी मकानों को नुकसान पहुंचा है ।

इन बाढ़ों से जिन १२ गांवों पर बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ा था, उनके निवासियों को स्थायी रूप से दूसरी जगह बसाने के लिये जमीन ले ली गई है । उन सभी परिवारों को अलग-अलग व्यक्तिगत रूप से मकान बनाने के लिये जमीन का आवंटन किया जा चुका है । कुल १,८०० परिवारों को दूसरे स्थानों पर बसाने का विचार किया जा रहा है । इन में से प्रत्येक परिवार को अधिक से अधिक १,५०० रुपयों के ऋण मकान बनाने के लिये दिये जा रहे हैं ।

इन बाढ़ों से कम से कम कष्ट होने देने के लिये नावें चलाई गई थीं, जिस से कि प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को बाहर निकाला जा सके । अपर रिज रोड के दोनों ओर के सरकारी रक्षित वन को बाढ़-ग्रस्त गांवों के मवेशियों के चरने के लिये खोल दिया गया है । अभी इस समय ८,००० मवेशी उन में चर रहे हैं । इन बाढ़ों के फलस्वरूप किसी भी व्यक्ति की जान नहीं गई ।

इन गांवों के लोगों को चार सौ सिरकियां बांट दी गई हैं । एक हफ्ते में हम चारे की तकावी देने की जरूरत पर भी विचार कर लेंगे । बाढ़ का पानी उतरना शुरू होते ही और जमीन के कुछ थोड़े सूखते ही स्वास्थ्य रक्षा के उपाय शुरू कर दिये गये थे । यमुना के दायें किनारे पर बसे गांवों में पानी बहुत अधिक भर गया था, ताजे वाला से आने वाले बाढ़ के पानी और यमुना पुल के स्तर से कहीं अधिक अनुपात में । इस का एक कारण तो शायद यह था कि मुहम्मदपुर, रामजानपुर की उपनगराओं में पानी अधिक आ गया था । फिर कभी आने वाली बाढ़ों से अधिकाधिक गांवों को बचाने के लिये एक इंजीनियरिंग सर्वेक्षण किया जा रहा है ।

दिल्ली के देहाती क्षेत्रों में बाढ़ का पानी भर जाने की समस्या का एक महत्त्वपूर्ण पहलू यह है कि इन क्षेत्रों से जल निस्सारण इतना नहीं हो पाता । दिल्ली के देहाती क्षेत्र से जल निस्सारण करने वाले दो बड़े बड़े नालों में बुरी तरह रेत भर गई है । और इस का फल यह होता है कि भारी वर्षा के बाद पानी निकल नहीं पाता और कहीं फैल कर फसलों को डुबा देता है । इन में से एक नजफगढ़ का नाला है और उस का सर्वेक्षण किया जा चुका है । उस के सुधार के लिये केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने जो कुछ उपाय बताये थे उन पर अमल किया जा चुका है । अब नांगलोई नाले का ऐसा ही सर्वेक्षण किया जा रहा है । दिल्ली के बाढ़ ग्रस्त होने वाले देहाती क्षेत्रों की समस्या का हल करने के लिये यही कुछ कार्यवाही की गई है ।

प्रधान मंत्री ने बाढ़ के हाल ही बाद एक समिति नियुक्त की थी कि वह दिल्ली में इस प्रकार की बाढ़ें न आने देने और ऐसी विपत्ति को बार बार न आने देने के लिये उपाय निकाले । शायद उस समिति का अन्तरिम प्रतिवेदन माननीय सदस्यों तक पहुंच भी चुका है ।

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

“वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और भारत सरकार की तत्सम्बन्धी नीति पर विचार किया जाये।”

पश्चिमी एशिया के सम्बन्ध में शायद मैं ने १४ तारीख को सभा में एक विवरण रखा था। आज पश्चिमी एशिया का मामला ही विश्व में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। हमारे पास समय थोड़ा है अतः मैं अधिक बातें नहीं कहूंगा। मैं तो यह चाहूंगा कि माननीय सदस्यों को अपनी राय देने और आलोचना करने के लिये ज्यादा समय मिले और यदि आप को सहूलियत हो तो मैं उत्तर कल दे दूंगा। तो मैं दो मामलों का जिक्र करूंगा, एक पश्चिमी एशिया की स्थिति और दूसरा भारत-पाक सीमा पर होने वाली गड़बड़। भारत-पाकिस्तान सीमा पर झगड़ों के बारे में अभी कुछ समय हुए मैं ने वक्तव्य दिया था। उस के बाद से कोई खास बात नहीं हुई है। दोनों ओर से कभी कभी गोलियां चलती हैं। पाकिस्तानी अखबारों में इन घटनाओं को बहुत असाधारण ढंग से पेश किया जाता है। शायद पाकिस्तान के लोग यही समझते होंगे कि भारतीय सेनायें उन की ओर अग्रसर हो रही हैं। यह एक बिल्कुल गलत बात है। किन्तु यदि लोगों को निरन्तर गलत खबरें ही दी जायें तब वह समझने लग जाते हैं कि शायद वे सच्ची ही हों। एक बात से आप को पता लग जायेगा कि पाकिस्तानी शासकों के दिमागों में कितनी द्विविधा और भ्रम है। दो दिन हुए मुझे पाकिस्तानी प्रधान मंत्री का एक लम्बा पत्र मिला जो उन्होंने लंदन से भेजा था और जो भारत पाकिस्तान सीमा की घटनाओं के बारे में था। पत्र के आखिर में उन्होंने कहा था :

“मैं ने अखबारों में आप का लोक-सभा में ११ तारीख को दिया गया वक्तव्य पढ़ा है जिस में आप ने सीमा संबंधी झगड़ों के बारे में मुझ से बातचीत करने पर आमादगी जाहिर की है। सीमा के झगड़ों के बारे में किसी उपयुक्त समय और स्थान पर आप से बातचीत कर के मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। सेक्रेटरियों की बैठक, जो कि २३ अगस्त को कराची में होने वाली थी, बाद में हो सकती है जब हम मिल लें।”

इस के अतिरिक्त पाकिस्तान के उच्चायुक्त ने हमें बताया था कि सेक्रेटरियों की बैठक नियुक्त समय पर नहीं हो सकेगी क्योंकि पाकिस्तान के विदेश सचिव न्यूयार्क में हैं तथा उस तिथि को नहीं लौट सकेंगे। अतः उन्होंने ने सुझाव दिया कि यह बैठक हफ्ते बाद हो। मैं ने प्रधान मंत्री को उत्तर में लिखा है :

“मैं सहर्ष आप से मिल कर सीमा संबंधी झगड़ों पर बातचीत करूंगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि यदि सेक्रेटरी पहले मिल लें और इन मामलों पर विस्तृत रूप से विचार कर लें तो अधिक अच्छा होगा। अतः मैं आप को इसी प्रक्रिया के अपनाने की सलाह दूंगा। क्योंकि इस से अधिक लाभ होगा। किन्तु यदि आप पहले ही मिलना उचित समझते हैं तो मैं उस के लिये भी सहमत हूँ।”

मैं इसे इस कारण पढ़ रहा हूँ कि आज के अखबारों में एक असाधारण वक्तव्य है। मुझे अफसोस है कि मेरे पास अखबार नहीं है। खैर, मुझे वह याद है और मैं आप को बताता हूँ। कराची लौटने पर अखबारी प्रतिनिधियों को पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने बताया कि यह बात तो मूर्खतापूर्ण होगी कि प्रधान मंत्रियों की बैठक सेक्रेटरियों की बैठक से पहले हो हालांकि अपने खत में यह बात उन्होंने ही लिखी थी। तब किसी ने बताया कि सचिवों की बैठक तो स्थगित हो गई है। जब उन्होंने ने कारण पूछा तब किसी ने कहा कि भारत की प्रार्थना पर ऐसा हुआ है। यह भी उलटी बात थी क्योंकि हम तो किसी भी मामले को स्थगित नहीं करना चाहते।

यह सब बातें मैं इस कारण कह रहा हूँ कि आप समझें कि वहाँ कोई साफ साफ चीज को देखता ही नहीं। सीमा सम्बन्धी घटनाओं के बारे में खबरें कराची पहुंचते पहुंचते बहुत कुछ तोड़ मरोड़ दी जाती हैं।

खैर, कोई भी भारतीय यह नहीं चाहता कि सीमा पर इस प्रकार से गोलीबारी होती रहे और निर्दोष लोग मारे जाते रहें। इस का कोई नतीजा नहीं निकलता सिवाय इस के कि वहाँ रहने वाले लोगों को बड़ी परेशानी और मुसीबत उठानी होती है और वे निराश हो जाते हैं। यह कहना गलत है कि हम इन्हें रोकना नहीं चाहते। किन्तु जब एक ओर से गोली आती है तो दूसरी ओर घबराहट हो ही जाती है। उस की प्रतिक्रिया होती है और इस प्रकार एक कड़ी बंध जाती है। हमारी ओर नुकसान होने की ज्यादा संभावना है क्योंकि हमारे गांव सीमा से ज्यादा पास हैं, करीमगंज जैसे कस्बे हैं, दूसरी ओर गांव सीमा से दूर हैं।

भारत और पाकिस्तान के बीच इस बात का बहुत पहले निश्चय हो चुका है कि क्षेत्रों की अदला-बदली एक साथ होगी आंशिक रूप से नहीं। होता यह है कि जब पाकिस्तान के पक्ष में कोई निर्णय हो जाता है तो हम उस क्षेत्र को उसे सौंपने को तैयार हो जाते हैं किन्तु तभी जब कि हमारे पक्ष में हुआ निर्णय भी कार्यान्वित हो। इस में देर होती है और इसी बीच में वह गड़बड़ कर देते हैं और गोली चला देते हैं, कई बार गांवों पर कब्जा करने की कोशिश भी करते हैं, जैसे त्रिपुरा में लखीमपुर गांव है। खैर, मैं इस के ब्यौरे में नहीं जाना चाहता।

मुझे वह अखबार मिल गया है और मैं आप को उसे पढ़ कर सुनाता हूँ। श्री नून ने कहा कि पाकिस्तान ने सचिवों की बैठक स्थगित करने की बात नहीं कही। उन्होंने कहा “यह एक मूर्खतापूर्ण सुझाव है कि सचिव प्रधान मंत्रियों के मिलने के बाद अपनी बैठक करें, लेकिन अपने खत में उन्होंने ने यही चीज मुझे लिखी थी। रिपोर्ट में कहा गया है “श्री नून ने कहा कि उन्होंने ने अपने विदेशी सचिव से २३ अगस्त तक लौटने के लिये कहा था। जब उन का ध्यान दिल्ली और कराची में हुई सरकारी घोषणा की ओर दिलाया गया कि सम्मेलन पाकिस्तान की प्रार्थना पर स्थगित किया गया है तो हवाई अड्डे पर मौजूद एक पदाधिकारी ने उन्हें बताया कि बैठक भारत की प्रार्थना पर स्थगित की गई है। श्री नून ने तब कहा कि तब हमें भी कोई आपत्ति नहीं है। जब उन का ध्यान उन के इस पत्र की ओर दिलाया गया कि सचिवों की बैठक मंत्रियों के बाद हो तब उन्होंने ने इस बात का कोई जवाब न दिया।”

आज प्रातः मुझे पाकिस्तान सरकार का सन्देश उन के उच्चायुक्त के द्वारा प्राप्त हुआ है जिस में कहा गया है कि वह इस पर सहमत हैं कि पहले सचिवों की बैठक हो और फिर सुविधानुसार प्रधान मंत्री आपस में मिलें। हम तो इस पर सहमत हैं ही। अब शायद सचिवों की बैठक इस महीने के ३० को होगी। मैं अगले महीने प्रधान मंत्री श्री नून से मिलने को तैयार हूँ।”

पश्चिमी एशिया के मामले का जहां तक सवाल है, वह इस समय संयुक्त राष्ट्र सभा के समक्ष है और जैसा कि समाचार पत्रों से पता चल रहा है वहां बड़ी “राजनयिक सरगरमी” हो रही है। लोग मर रहे हैं, संकल्पों के प्रारूपों पर कथायें की जा रही हैं तथा समर्थन प्राप्त करने के यत्न हो रहे हैं।

कई पत्रों में इन संकल्पों के मसौदे के बारे में खबरें आई हैं। हमारा उद्देश्य कभी भी संकल्पों द्वारा किसी की निन्दा करने का नहीं रहा, चाहे हम यह समझते हों कि किसी देश ने गलती की है क्योंकि निन्दा इत्यादि से झगड़ा और मनमुटाव बढ़ता ही है।

पश्चिमी एशिया के बारे में आरम्भ से ही हम यह कहते आये हैं कि जहां तक संभव हो शांति से काम लिया जाय और यह बात बड़ी दुर्भाग्य पूर्ण है कि वहां विदेशी सेनायें भेजी गईं और इस समस्या

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

का हल तब तक नहीं हो सकता जब तक कि विदेशी सेनायें लेबनान तथा जोर्डन से हटा नहीं ली जातीं । हम एक कदम और आगे बढ़ गये स्थिति को संभालने के लिये—हमने इस पर भी सहमति दी थी कि यदि फौजें हटाली जायें तो हम लेबनान में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यवेक्षकों का रहे चले आना और यदि आवश्यक हो, तो उन की संख्या का बढ़ाया जाना मंजूर करते हैं । हम ने कहा कि इस हालत में पर्यवेक्षकों को जोर्डन भी भेजा जा सकता है । किन्तु हम ने यह बात स्पष्ट कर दी थी कि हम किसी प्रकार के पुलिस दल के भेजने पर सहमति न देंगे ।

हमारी बुनियादी नीति यही है । लेकिन सेनायें हटाने से समस्या स्वतः नहीं सुलझ जायेगी । हां, यह जरूर है कि एक स्थिति पैदा हो जाती है जिस में समस्याओं पर सीधे तरीके से विचार किया जा सकता है । संयुक्त राष्ट्र महा सभा के समक्ष रखे गये कुछ संकल्पों में इस बुनियादी स्थिति का ध्यान नहीं रखा गया था । कुछ में कहा गया था कि विदेशी सेनायें बाद में हटाई जायें जब कि कुछ शर्तें पूरी हो जायें । किन्तु शर्तों पर सेनायें हटाने वाली बात हम ठीक नहीं समझते ।

मैं फिर से यह नहीं कहना चाहता कि किस कारण से ये सेनायें वहां भेजी गयीं । प्रत्यक्षतः ये सेनायें लेबनान में जा कुछ वहां हो रहे या उस कारण नहीं भेजी गयी थीं क्योंकि वह तो नियंत्रण में था ही और संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक वहां मौजूद थे ही और जोर्डन में जो हो रहा था उस कारण से भी नहीं भेजी गयी थीं यद्यपि वहां कुछ होने का भय लोगों को था, किन्तु सेनायें भेजने का कारण वास्तव में यह था कि इराक में क्रांति हो गई थी और इस के फैलाव का भय था । अब इराक की नयी सरकार को यद्यपि सब ने नहीं तो बहुत से देशों ने मान्यता दे दी है जिन में पूर्वी यूरोप के देश तथा एशिया के देश हैं । यह स्थायी तथा लोकप्रिय सरकार है ।

लेबनान में कुछ प्रगति हुई है । जनरल शेहाब वहां के प्रेजीडेंट चुने गये हैं । किन्तु अभी तक पुराने राष्ट्रपति श्री शामून अपनी अवधि की अन्तिम तारीख यानी २४ सितम्बर तक अपने पद पर बना रहना चाहते हैं । इस से कुछ अनिश्चितता पैदा हो गई है, विशेषतः जब संयुक्त राष्ट्र महा सभा को बैठक चल रही है । लेबनान का प्रतिनिधित्व वहां कौन करे? पुराने शासन का व्यक्ति या नये का ? दोनों की विदेशी नीति एक दूसरे से बहुत भिन्न है । इसलिये कठिनाइयां हो गई हैं । अमेरिका ने कहा है कि वह अपनी सेनायें वहां से हटाने को तैयार है यदि लेबनान की वैध सरकार उन से ऐसा कह दे, अब तो वैध सरकार श्री शामून ही की है और वह नहीं चाहते और इस बात को हर कोई जानता है कि पांच सप्ताह बाद नये प्रेजीडेंट सेनायें हटाने के लिये अवश्य कहेगा; उन्होंने ने अपने विचार तो प्रकट कर ही दिये हैं । इसी बीच में अमेरिका ने थोड़ी सेनायें हटा ली हैं । हमारी समझ में यह मामला संकल्पों में रखे गये शब्दों से हल न होगा यद्यपि संकल्पों का अपना महत्त्व होता है क्योंकि संकल्प एक तरह से समस्त राष्ट्रों की इच्छा को प्रकट करते हैं । किन्तु सारा महत्त्व तो संकल्पों के पीछे जो उद्देश्य होता है उस पर ही निर्भर है । यदि उद्देश्यों में इन परिवर्तनों की ओर ध्यान न दिया गया तो उन का क्या महत्त्व होगा और उन से क्या हासिल हो सकता है ।

पश्चिमी एशिया की स्थिति की बुनियादी चीज अरब राष्ट्र की जागृति है । सारे अरब देशों में यही लहर चल रही है । मेरे कहने का आशय यह नहीं कि एक अरब राष्ट्र होना चाहिये । इस बात को सोचना तो उन राष्ट्रों का काम है । वहां चाहे दो राष्ट्र हों या तीन लेकिन सब में राष्ट्रीयता की भावना जाग उठी है । प्रेजीडेंट नासिर इस अरब राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रतीक बन गये हैं और सारे अरब देशों में उनका सम्मान होता है; इस में किसी को सन्देह नहीं होना चाहिये । मैं यह नहीं कहता कि सारे अरब देश एक देश बन जायें ।

दूसरी चीज यह है कि राष्ट्रीय भावना के जागरण के पश्चात् आर्थिक विकास वहां साथ साथ नहीं चला। लेकिन फिर भी वे इस तरफ चल रहे हैं। आज से २ या ढाई वर्ष पूर्व स्वेज नहर का झगड़ा हुआ था और अंग्रेज, फ्रांसीसी तथा इजराइल की सेनाओं ने मिस्र पर आक्रमण किया था। सारी दुनिया में मिस्र के प्रति सहानुभूति थी और लोकमत उस की ही तरफ था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी उधर ही राय दी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि पीछे ले जाने वाली ये बातें सफल नहीं हो सकतीं। इन का नतीजा सिर्फ एक युद्ध हो सकता है।

गत दो सप्ताह में हालात बड़े नाजुक रहे। दो तीन अवसर ऐसे आये जब कि विश्व युद्ध आरम्भ हो जाने का बहुत ज्यादा खतरा था। थोड़ी सी बात से युद्ध आरम्भ हो सकता था। एक बार जब युद्ध छिड़ जाये तब रोका नहीं जा सकता। खैर वह स्थिति बची; अब वह नाजुक दौर निकल गया है किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि वह खतरा बिल्कुल ही टल गया है। किन्तु कठिनाई यह है कि ऐसी स्थिति में लोग सुस्त हो जाते हैं और "राजनयिक सरगरमी" आरम्भ हो जाती है। आज न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र सभा में यह सरगरमी चल रही है; लेकिन अफसोस यह है कि जिन देशों के बारे में यह होती है उन को पूछा नहीं जाता। पूरी तरह तो उन को अवहेलना नहीं हो सकती। क्योंकि उन के प्रतिनिधि वहां हैं। किन्तु उन से सलाह कम ली जाती है। इसलिये मैं कहता हूँ कि हम एक अवास्तविकता के वातावरण में रह रहे हैं। अब देखिये जहां तक संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रश्न है उस में चीन का प्रतिनिधित्व ही नहीं है। यह भी बड़ी असाधारण सी बात है। यह बड़ी हैरानी की बात है कि एक तथ्य को स्वीकार ही नहीं किया जा रहा है। यदि बड़े बड़े तथ्यों को स्वीकार न करते हुए निष्कर्ष निकाला जाये तो वह गलत ही होगा। तो जब पश्चिमी एशिया के बारे में भी निर्णय इसी प्रकार के होते हैं और वास्तविक शक्तियों की उपेक्षा की जाती है। तब कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं। तब ही ऐसी चीजें होती हैं जिन से लोग स्तंभित हो जाते हैं जैसे कि ईराक में हुई क्रान्ति।

आज कल "अप्रत्यक्ष आक्रमण" की बड़ी चर्चा है। लीग आफ नेशन्स में निश्शस्त्रीकरण पर बहस हुई थी जिस में मुझे याद है कि "आक्रमण" शब्द की व्याख्या करने का प्रयास किया गया था। बस इस का कोई लाभ न हुआ, केवल प्रतिवेदनों में ही वृद्धि हुई। निश्शस्त्रीकरण के बजाय दूसरी जंग छिड़ी। अब इस "अप्रत्यक्ष आक्रमण" की चर्चा है पता नहीं इस की परिभाषा कौन करेगा। मैं समझता हूँ कि शीत युद्ध की सारी बातें ही अप्रत्यक्ष आक्रमण है। इस का मतलब है किसी पर दबाव डालना। यह प्रचार का तरीका है दबाव का तरीका है सैनिक धमकियां देने का तरीका है और यही अप्रत्यक्ष आक्रमण है। आज पश्चिमी एशिया में अप्रत्यक्ष आक्रमण ही तो हो रहा है। बगदाद संधि के सदस्यों और उन के विरोधियों में यही कुछ तो चल रहा है। दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं और प्रचार आदि कर के उस को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार की बातों से कभी भी किसी को लाभ नहीं पहुंच करता। मैं ने कई बार इस बात को सभा में कहा है कि पश्चिमी एशिया तथा अफ्रीका की समस्या इस तरह सैनिक तरीके से हल नहीं की जा सकती। उन्हें कुछ समय के लिये स्थगित किया जा सकता है। लेकिन दबाया नहीं जा सकता। इस के साथ मैं यह भी कहूंगा कि यह सोचना गलत होगा कि किसी राजनैतिक समस्या को आर्थिक प्रश्नों के सम्बन्ध में कार्यवाही कर के नहीं सुलझाया जा सकता। मुझे इस बात पर प्रसन्नता है कि राष्ट्रपति आईजनहावर ने पश्चिमी एशिया को सहायता देने के बारे में कहा है। किन्तु इस से बड़े बड़े राजनैतिक मसलों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। पहले यदि ठीक राजनैतिक कार्यवाही की जाये तभी आर्थिक सहायता का लाभ पहुंच सकता है। यह निश्चित है कि पश्चिमी एशिया के देशों की जनता की सद्भावना से ही यह समस्याएँ हल की जा सकती हैं।

अभी मैंने युद्ध के दो सप्ताह पूर्व के खतरे का उल्लेख किया—एक ऐसा युद्ध जिस में परमाणु बम और अन्य हथियार उपयोग किये जायेंगे और मानवीय सदस्य उस के भयंकर परिणामों के बारे में

स्वतः सोच सकते हैं। किन्तु इस के अतिरिक्त मैं अणु बमों के प्रयोगात्मक विस्फोटों का भी उल्लेख करूंगा। कई लोग कहते हैं कि इन विस्फोटों से कोई ज्यादा हानि नहीं होती। अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ की महा सभा की वैज्ञानिक समिति ने एक प्रतिवेदन दिया है। इस समिति में १५ राष्ट्र थे। दो वर्ष के अध्ययन के बाद उन्होंने यह जानकारी दी। उसमें लिखा है कि परमाणु बमों के प्रयोगात्मक विस्फोट से विश्व के वातावरण में रेडियम-धर्मी तत्वों की वृद्धि होती जा रही है जिस से वर्तमान तथा भविष्य के लोगों के लिये बहुत खतरे पैदा हो गये हैं। इन खतरों के बारे में हमारी जानकारी बहुत थोड़ी है और इन पर लोक नियंत्रण नहीं कर सकते। आगे उसमें कहा गया है एक निष्कर्ष यह है कि रेडियम-धर्मी थोड़े से तत्वों से भी बड़े भयंकर रोग अर्थात् अंगों का मुड़ना इत्यादि पैदा हो जाते हैं। वर्तमान ज्ञान के आधार पर वैज्ञानिक इस के दूर-वर्ती प्रभावों को बताने में समर्थ नहीं किन्तु वातावरण में रेडियम-धर्मिता की थोड़ी सी वृद्धि से लाखों लोगों पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिये मानव जाति को बड़े सतर्क रह कर चलना चाहिये। ये बातें संयुक्त राष्ट्र संघ की एक महत्वपूर्ण समिति ने अपने प्रतिवेदन में दी हैं।

तो आज की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की पृष्ठभूमि यही है। इस बार युद्ध टल गया है। संभवतया आगे भी टलता जाये। किन्तु यदि चीजें इसी तरह चलीं, इसी तरह सैनिक धमकियां दी जाती रहीं, और विस्फोट होते रहे तथा अणु शस्त्रों का संग्रह होता रहा, तो कोई समय ऐसा आ सकता है कि हम युद्ध से न बच सकें।

बताया जाता है कि अमरीका तथा रूस की अणुबम बनाने की क्षमता बहुत ज्यादा है और वे इन का बड़ा संग्रह कर रहे हैं। एक चीज और याद रखिये इन परीक्षणों के अलावा बहुत से देश अणु-बमों का हजारों की संख्या में संग्रह कर रहे हैं। यदि ये चाहें तो सारी दुनिया में बम गिरा कर उसे भस्म कर सकते हैं क्योंकि इन के पास इतनी सामग्री मौजूद है। इसलिये मैं आप को बता रहा हूँ कि हमारे सामने कितने बड़े बड़े खतरे हैं। इस बर्बादी से बचने का केवल मात्र एक ही रास्ता हमारे सामने है और वह यह कि हम इन सब बातों पर एक नये ढंग से सोच विचार करें। मैं मानता हूँ कि दुनिया का कोई भी देश, कोई भी व्यक्ति, जो देश के शासन के जिम्मेदार हैं, ऐसा नहीं कर सकता कि सेनायें बिल्कुल ही न रखे। लेकिन इसी के साथ यह भी सिद्ध हो चुका है कि सैनिक तरीके से समस्या का हल करने की नीति असफल रही है और यदि इस पर चला गया तो यह [और बुरी] तरह असफल होगी।

इसलिये, मेरा कहना है कि यद्यपि हमें देश की रक्षा के लिये सारे उपाय करने चाहियें और यह उचित ही है किन्तु अब समय आ गया है कि हम खास तौर पर, बड़े बड़े राष्ट्र दूसरे ढंग में मोर्चे, और बातें करे। और दूसरे ढंग से कार्य करें।

†अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†आचार्य कृपालानी (सीतामढ़ी) : आज की अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति कुछ ऐसी है कि चीजें साफ़-साफ़ नहीं दिखाई पड़तीं। इस की खास घजह यही है कि बड़े-बड़े देश एक अजीब तरह से पेश आ रहे हैं। वे दूसरों की जिन बातों की बुराई करते हैं, अपनी बारी आने पर खुद उन्हीं बुरी चीजों पर अमल करने लगते हैं। हम इस परिस्थिति की छानबीन कर के और कुछ लेखा जोखा कर के ही उन की असलियत जान सकते हैं।

†मूल अंग्रेजी में

ईराक के राष्ट्रीय विद्रोह से घबरा कर, अमरीका और ब्रिटेन ने लेबनान और जोर्डन में अपनी फौजें उतार दी हैं। लेबनान के राष्ट्रपति की यह शिकायत गलत साबित हो चुकी है कि उन के देश में कुछ विदेशी शक्तियां गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। इस से एक बड़ी पेचीदा समस्या यह उठ खड़ी हुई है कि क्या किसी देश के घरेलू झगड़ों को शान्त करने के लिये, वहां की सरकार के बुलाने पर भी, किसी विदेशी सेना को जाना चाहिये ?

हम ने तो पंचशील के हवाई सिद्धान्तों के अनुसार इस का जवाब दे दिया है कि नहीं। लेकिन यह सवाल इतना आसान नहीं है। एक समय था कि हम ने खुद ही इंग्लैण्ड की सरकार पर यह दोष लगाया था कि उस ने स्पेन की जनवादी सरकार को फ्रान्को के विद्रोह से नहीं बचाया। स्पेन में भी तो स्पेन का ही एक फौजी गुट वहां की जनवादी सरकार पर हमला कर रहा था। इसलिये हम एक हवाई सिद्धान्त नहीं बना सकते कि किसी भी हालत में किसी भी विदेशी सेना को, किसी देश की वैध सरकार के बुलाने पर भी, हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि किसी भी लोकप्रिय और अहिंसक सरकार के मामलों में विदेशी सेना को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये।

लेबनान और जोर्डन की सरकारें लोकप्रिय नहीं हैं। इसलिये अमरीका और ब्रिटेन को वहां अपनी फौजें नहीं उतारनी चाहिये थीं। और, लेबनान के प्रश्न पर तो सुरक्षा परिषद् विचार ही कर रही थी। इसलिये अमरीकी हस्तक्षेप तो और भी अनुचित है।

मिस्र की भांति, इस बार, श्री ख्रुश्चेव ने पाश्चात्य देशों को धमकी नहीं दी, शायद इसलिये कि इस बार पाश्चात्य देश एक थे। जो भी हो, इस प्रश्न पर उन्होंने ने शिखर सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव रखा। लेकिन उस से कोई फल नहीं निकला। मुझे बड़ी खुशी है कि शिखर सम्मेलन का विचार त्याग दिया गया है। यह इसलिये कि याल्टा और कासाब्लांका की भांति, इन शिखर सम्मेलनों में होता यही है कि बड़े-बड़े राष्ट्र अपनी धूर्तता के बल पर छोटे-छोटे देशों का बंटवारा कर लेते हैं, अपने-अपने प्रभाव-क्षेत्र निश्चित कर लेते हैं। इन सम्मेलनों में राजनीतिक धूर्त ही बैठते हैं। उन में से कोई भी छोटे-छोटे देशों की भलाई नहीं सोचता। ऐसे लोगों को दूसरे देशों के भाग्यों के निबटारे का कोई भी नैतिक अधिकार नहीं। इसलिये शिखर सम्मेलन एक अनैतिक व्यापार है। यदि हमें शिखर सम्मेलन में बुलाया भी जाये तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उद्बम रखने वाले देश ही उस में असफल फैसले करेंगे। हम तो सिर्फ एक दर्शक की तरह बैठे ही रहेंगे। वे हमें कोरिया और इंडोचीन का एकीकरण नहीं करने देंगे। वे बड़े-बड़े देश तो छोटे-छोटे देशों का विभाजन करने में ही दिलचस्पी रखते हैं। मैं इसलिये भी खुश हूं कि मैं नहीं चाहता कि हमारा देश श्री ख्रुश्चेव की दया पर आश्रित रहे। वे अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति में भारत को जिस तरह आगे-आगे पेश करते हैं, उस से सन्देह पैदा होता है।

इसलिये मैं खुश हूं कि शिखर सम्मेलन नहीं हुआ। यह अच्छा है कि अब यह मामला संयुक्त राष्ट्र संगठन को सौंप दिया गया है। अब कोई न कोई उचित हल निकल ही आयेगा।

इस से पाश्चात्य जनवाद को एक सबक सीखना चाहिये कि जनतांत्रिक देश तानाशाहियत ढंग से काम कर के सफल नहीं हो सकते। इस में रूस ही, हंगरी की तरह सफल हो सकता है। जनतंत्र को संसार का जनमत भी देखना पड़ता है। इसीलिये वह मिस्र में असफल रहा था। अमरीकी जनता खुद ही लेबनान में अमरीकी हस्तक्षेप के विरुद्ध है।

हम ने सदा ही अरब राष्ट्रवाद का समर्थन किया है। लेकिन हमें दुःख इस बात का है कि अरब देशों में कोई भी राजनीतिक दल नहीं है और इसीलिये वहां सेना के नेतृत्व में विद्रोह होते हैं। आशा है कि यह सैनिक नेतृत्व जनतांत्रिक शासन को अपनायेगा।

[प्राजाय कृपलानी]

हमारे प्रधान मंत्री ने अरब देशों को सलाह दी है कि वे इजरायेल को अनदेखा न करें। इजरायेल ने भी यह स्पष्ट कह दिया है कि वह अपना और अधिक विस्तार नहीं करना चाहता। हम चाहते हैं कि अरब देशों और इजरायेल के बीच आसानी से कोई समझौता हो जाये। यह इसलिये भी एशिया और अफ्रीका के कम विकसित देशों को इजरायेल से कुछ सीखना चाहिये। इजरायेल की कृषि सहकारी समितियों और श्रमिक आन्दोलन का तरीका हमारे लिये अनुकरणीय है। अरब देश भी इजरायेल से सहायता और राय ले सकते हैं।

पंचशील की बात लीजिये इस हमान् सिद्धान्त का जन्म ही पाप में हुआ था। इस सिद्धान्त का जन्म ही ऐसे समय में हुआ था जबकि हम ने नैतिक रूप से एक ग़लत चीज़ का समर्थन किया था। हम ने पंचशील का प्रस्ताव ही तब रखा था जब तिब्बत जैसे प्राचीन और स्वतंत्र देश की स्वतंत्रता का अपहरण हुआ था और हम ने उस का अनुमोदन किया था।

प्रधान मंत्री पंचशील की बड़ी दुहाई देते हैं। लेकिन रूस और चीन ने तिब्बत, हंगरी और युगोस्लाविया जैसे छोटे-छोटे स्वतंत्र देशों के मामलों में इस सिद्धान्त को धता बता दी है। उन्होंने पंचशील के सभी सिद्धान्तों को तिलांजलि दे दी। मैं एक हद तक यह तो समझ सकता हूँ कि रूस युगोस्लाविया पर इसलिये नाराज़ है कि मार्शल टिटो रूस को भूमध्य सागर तक नहीं फ़ैलने देते। लेकिन, चीन क्यों उस के खिलाफ इतनी चिल्लपों मचाता है; उसे क्या शिकायत है? इस की जड़ में यही बात है कि ये देश उन सभी को अपना शत्रु समझते हैं जो इन की विचाराधारा से सहमत नहीं होते।

मैं तो कहता हूँ कि हंगरी के इम्मेनज़ की फांसी के साथ-साथ, पंचशील का सिद्धान्त भी सूली पर चढ़ गया था। रूस ने वह सब से बड़ा अनैतिक कार्य किया है। लेकिन, रूस का सौभाग्य यही है कि बड़े-बड़े जनतांत्रिक देशों ने भी वैसे ही घृणित और अनैतिक कार्य किये हैं। अरब देशों में अमरीका और इंग्लैण्ड के हस्तक्षेप ने इम्मेनज़ की फांसी के विरुद्ध उठने वाले संसार-व्यापी आन्दोलन की जड़ ही काट दी।

फ्रांस ने भी अल्जीरिया में ऐसे ही वीभत्स कृत्य किये हैं। लेकिन एक अनैतिक कार्य किसी दूसरे पड़ोसी के दूसरे अनैतिक कार्य का औचित्य तो सिद्ध नहीं कर सकता। यह नैतिकता नहीं है। यह बौद्धिक बेईमानी है।

ऐसे संसार में, हम कहां हैं? हमारा देश काफी बड़ा है। हम संसार के कम विकसित देशों की रहनुमाई कर सकते हैं। हमें उन के सामने पहले तो आदर्श पेश करना चाहिये कि छोटे-छोटे, कम-विकसित देश भी कोई बहुत बड़ी विदेशी सहायता के बिना, अपने ही संसाधनों के बल पर आत्म-निर्भर बन सकते हैं। हमें विदेशी ऋणों पर आश्रित नहीं रहना चाहिये।

दूसरी चीज़ हमें यह करनी चाहिये कि हम शिखर सम्मेलनों की बात छोड़ दें, और छोटे-छोटे शांति-प्रेमी देशों का एक फेडरेशन बनायें। बड़े-बड़े देश आज पाप में पगे हैं, उन से शान्ति की आशा नहीं की जा सकती।

तीसरी चीज़ यह करनी चाहिये कि हम छोटे-छोटे देश एक साथ बैठ कर जुल्म और अन्याय से पिण्ड छड़ाने का रास्ता निकालें। उसे अनदेखा करना कायरता होगी। हमें अहिंसक ढंग से उसका विरोध करना चाहिये। हम इस कार्य के लिये उपयुक्त भी हैं। हम ने अहिंसा के बल पर ही अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर दिखाई है।

जहां तक पाकिस्तान का प्रश्न है, ऐसे हमले तो करता ही रहेगा। पाकिस्तान के शासक गुट का हृदय-परिवर्तन नहीं हो सकता। यह इसलिये कि पंचशील के सिद्धान्त की भांति ही, यह पाकिस्तान भी एक पाप में ही जन्मा था। केवल एक रास्ता यही है कि पाकिस्तान की जनता अपने शासकों के कुकृत्यों को समझ ले।

हमें इन छोटे-छोटे पाकिस्तानी हमलों से डरना नहीं चाहिये। हम ब्रिटिश साम्राज्य जैसे शक्तिशाली प्रतिद्वन्दी को अहिंसा के बल पर मात दे चुके हैं। यह प्रश्न मैं सरकार पर ही छोड़ता हूँ।

†श्री अ० क० गोपालन (कासरगोड) : आज इस चर्चा के समय लेबनान और जोर्डन में अमरीकी और ब्रिटिश फौजें मौजूद हैं। तनाव और भी बढ़ गया है।

कृपालानी जी की बातों का उत्तर, मैं बाद में दूंगा। जहां तक शिखर सम्मेलन की बात है, उसे आइजनहावर ने ही असफल बनाया है, या अब कृपालानी जी कहते हैं कि उस का असफल होना ही ठीक है। वैसे संसार की सारी जनता तो शिखर सम्मेलन ही चाहती है।

आचार्य जी के सारे भाषण से यही गूँज निकलती है कि सारी अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति में आज तनाव इसीलिये है, मध्यपूर्व में यह स्थिति इसीलिये है कि रूस ने युगोस्लाविया के साथ दुर्व्यवहार किया है। पंचशील और शिखर सम्मेलन उन के हिसाब से व्यर्थ हैं।

उन्होंने किसी भी समस्या का कोई हल नहीं बताया। उन्होंने पंचशील को समझा ही नहीं। पंचशील का मतलब यह तो नहीं होता कि यदि कोई पड़ोसी बुरा है तो उस से बात ही न की जाये।

उन के हिसाब से तो सारी दुनिया और सभी लोग बुरे हैं, और दुनिया को अगर कोई खतरा है तो बस यही कि सोवियत यूनियन और युगोस्लाविया में परस्पर कोई टक्कर हो। मैं आचार्य जी का सम्मान करता हूँ, पर मुझे उन से ऐसे भाषण की उम्मीद नहीं थी। वे सभी को धूर्त बताते हैं, और इसीलिये शिखर सम्मेलन को बेमतलब समझते हैं।

हम तो उन से यह सुनना चाहते थे कि दूसरा विश्व युद्ध रोकने के लिये हमें क्या करना चाहिये।

प्रधान मंत्री ने स्वयं ही कहा है कि अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति बड़ी चिन्ताजनक है। यह बिलकुल सच है। अमरीकी बेड़ा सिंगापुर तक भेज दिया गया है। इस से तो तनाव और भी बढ़ गया है।

लेबनान और जोर्डन पर इस अमरीकी और ब्रिटिश हमले की पृष्ठभूमि क्या है? इस की जड़ में बगदाद पैक्ट है, जो १९५५ में हुआ था? इसी बगदाद पैक्ट के जरिये अमरीका और ब्रिटेन ने पश्चिमी अरब देशों के राष्ट्रवाद को कुचलने की कोशिश की थी। लेकिन वे कोशिश करने पर भी इस पैक्ट में जोर्डन को शामिल नहीं कर सके थे। इसीलिये मिस्र पर आक्रमण किया गया था। उस के बाद, १९५७ में अमरीकी साम्राज्यवाद ने सीरिया पर आक्रमण किया था। सोवियत संघ और चीन ने साम्राज्यवादियों के इन अभियानों को असफल बना दिया था। इस के बाद ही, मिस्र और सीरिया ने अपना संयुक्त अरब गणराज्य स्थापित कर लिया और उस में यमन भी शरीक हो गया। यह सब साम्राज्यवादी अरब राष्ट्रवादी एकता के कारण ही हुआ। इस से साम्राज्यवादियों के पैर फूल गये और इसीलिये अब उन्होंने अरब देशों पर यह आक्रमण किया है। असल में साम्राज्यवादी ईराक के नये राष्ट्रवादी शासन को कुचलना चाहते थे। इसी के लिये लेबनान के राष्ट्रपति शामौन को उन्होंने अपना कठपुतला बनाया था। लेकिन यहां भी साम्राज्यवादियों को मुंह की खानी पड़ी और बगदाद पैक्ट के चिथड़े उड़ गये।

इस संकट की जड़ यही है कि साम्राज्यवादी मध्य-पूर्व के तेल क्षेत्रों पर अपनी जकड़ बनाये रखना चाहते हैं। अमरीका और इंग्लैण्ड वहां लेबनान और जोर्डन की सहायता के लिये नहीं गये हैं। वे सीरिया और मिस्र पर चढ़ बैठने की योजनायें बना रहे थे।

मध्य पूर्व से जितना भी तेल निकलता है, उस के ६० प्रतिशत पर पांच बड़ी अमरीकी फर्मों का एकाधिकार है। उस से अमरीकी फर्मों को बेशुमार मुनाफा होता है। १९५६ में उन्हें ६० लाख डालर का मुनाफा हुआ था। ये साम्राज्यवादी एकाधिकारी इन देशों के मजदूरों का भी शोषण करते हैं। यही कारण है कि वे मध्य-पूर्व के देशों को अपनी जकड़ में रखना चाहते हैं।

पश्चिमी एशिया में टर्की पाश्चात्य साम्राज्यवाद का गुर्गा बन कर रहा है। टर्की के वैदेशिक-कार्य मंत्री बहुत बाद तक भी ब्रिटिश सरकार को जोर्डन से ईराक तक सैनिक कार्यवाही करने के लिये उकसा रहे थे। पाकिस्तान भी एशिया में टर्की की राह ही चल रहा है। वह अपने देश को पाश्चात्य देशों का सैनिक अड्डा बना रहा है। यह सभी एक ही श्रंखला की कड़ियां हैं। भारत-पाक सीमा पर होने वाले पाकिस्तानी हमले भी, इन्हीं साम्राज्यवादी चालों के अंग हैं।

भारतीय व्यापार के लिये पश्चिमी एशिया अत्यन्त महत्वपूर्ण है। हमारे उन देशों के साथ सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक और यहां तक कि रक्त के सम्बन्ध भी हैं। इसलिये, हम उन का शोषण देख कर चुप नहीं बैठ सकते। इसीलिये डलेस इस बात पर तैयार नहीं हुए कि भारत को भी शिखर सम्मेलन में बुलाया जाये। सोवियत संघ ने शिखर सम्मेलन में भारत को भी बुलाने का प्रस्ताव इसलिये रखा था कि हमारी वैदेशिक नीति किसी भी गुट के साथ पक्षपात न करने की है। पता नहीं कृपालानी जी इसे बुरा क्यों समझते हैं।

शिखर सम्मेलन में बुलाया जाना हमारे देश के लिये गर्व का विषय होता। आज सभी देशों की जनता इसीलिये भारतीयों को आदर की दृष्टि से देखती है, हमें इसीलिये शिखर सम्मेलन में शामिल करने की बात सोची गई थी। उस में भाग ले कर हम विश्व के तनाव को कम करने में कुछ सहायता पहुंचा सकते थे।

पश्चिमी एशियाई देशों की समस्या का हल कराने के लिये भारत को पहलकदमी करनी चाहिये। ब्रिटेन कामनवैल्थ (राष्ट्रमंडल) में हमारे साथ है, लेकिन उस ने सदा ही मानवता के शत्रु का पार्ट अदा किया है। स्वेज़, साइप्रस, जोर्डन, कुवैत और कातार इस के उदाहरण हैं। साम्राज्यवादी ब्रिटेन के साथ हमारे हित एक नहीं हो सकते। हम शान्ति चाहते हैं, और ब्रिटेन अपना साम्राज्य बचाने के लिये आक्रमण करता है। हम पंचशील ले कर चलते हैं, और वह सशस्त्र हस्तक्षेप की नीति। अमरीकी उत्तेजना पर पाकिस्तान हमारे ऊपर हमले करता है, लेकिन ब्रिटेन ने कभी भी उस का विरोध नहीं किया।

इसलिये, हमें कामनवैल्थ से नाता तोड़ लेना चाहिये।

फ्रांस ने अभी तक पांडिचेरी को हमें विधिवत् वापिस नहीं किया है। दूसरी ओर वह अल्जीरिया के स्वातंत्र्य आंदोलन को कुचलने के लिये उस पर नृशंस हमले करता आ रहा है।

भारत इण्डोचीन के लिये बनाये गये अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग का सभापति है, इसलिये हमें उस की समस्या पर सोचना ही पड़ेगा। इण्डोचीन में अमरीका जिनेवा करार को विफल बनाने की कोशिश कर रहा है। वीतनाम के जनवादी गणराज्य ने तनाव कम करने के लिये कई फ़ैसले किये हैं। वह दक्षिणी वीतनाम के साथ व्यापारिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध जोड़ने के लिये तैयार है। इस सम्बन्ध में हमें पहलकदमी करनी पड़ेगी।

इण्डोचीन के राष्ट्रपति सुकर्ण ने घोषित कर दिया है उन के देश में अमरीका हस्तक्षेप कर रहा है ।

इधर पाकिस्तान हमारी सीमाओं पर हमले कर रहा है । पश्चिमी एशियाई देश पाकिस्तान सरकार का समर्थन नहीं करते । पाकिस्तान अपने यहां चुनाव भी नहीं कराता । हमें इस बात से खुशी है कि हमारे प्रधान मंत्री और पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के बीच वार्ता होने जा रही है । हमें पाकिस्तान के प्रधान मंत्री को जता देना चाहिये कि भारत की एक इंच भूमि भी पाकिस्तान को नहीं हथियाने दी जायेगी । वैसे हम शान्तिपूर्ण वार्ता के लिये तैयार हैं ।

आज की परिस्थिति में शिखर सम्मेलन कर के ही तनाव कम किया जा सकता है । साथ ही एशियाई और अफ्रीकी देशों को भी अपना कोई संगठन बनाना चाहिये । शिखर सम्मेलन को अणु-शस्त्रों पर प्रतिबन्ध लगाने और विदेशी हस्तक्षेपकारी सेनाओं को वापिस बुलाने के प्रश्न पर फ़ैसले लेने चाहिये ।

हम भारत सरकार की शान्ति प्रिय नीति का समर्थन करते हैं । उस से विश्वशान्ति कायम करने में बड़ी सहायता मिलेगी ।

†श्री जोकीम आलवा (कनारा) : अरब जाति के लोगों का आतिथ्य सत्कार संसार में प्रसिद्ध है । वह सब कुछ बेचकर भी अतिथि का सत्कार करने में विश्वास रखते हैं और अपने आश्रय में आये हुए व्यक्ति को पूरा संरक्षण देते हैं । परन्तु इन अरबों को पश्चिमी शक्तियां गत ३०० वर्षों से पद-दलित कर रही हैं और उस का कोई अन्त दिखाई नहीं दे रहा था । अतः अरबों ने अब अंगड़ाई ली है और वे शक्ति का प्रयोग कर अब मुक्ति के लिये प्रयत्नशील हो रहे हैं । अरब-अफ्रीकी राष्ट्रों का यही इतिहास है । अरब राष्ट्र हमारे भी लगभग निकट पड़ौसी ही हैं और हमें उनसे अच्छे सम्बन्ध रखने हैं । हमारी वैदेशिक सेवा को इस प्रकार के नवयुवकों को प्रशिक्षित करना होगा, जो उन से सम्पर्क स्थापित करने निकलें और उन की भाषा में ही उन से बातचीत कर के, उन की सद्भावना प्राप्त करने का यत्न करें ।

अरब देशों में सभी पश्चिमी राष्ट्रों का शोषण चलता रहा है । अब अमेरिका मालिक बन रहा है । यह भी समाचार अखबारों में प्रकाशित हुआ है कि वह भारतीय सागर तक आ रहा है । आखिर ऐसा क्यों ? क्या वह हमें अपनी शक्ति दिखाना चाहता है । हमें उन से पूछना चाहिये कि उन को मनरो सिद्धान्त कहां है । जिस के अनुसार यह तय हुआ था कि कोई राष्ट्र अपने जहाज अरब सागर, बंगाल की खाड़ी अथवा भारत के आस पास सागर में नहीं लायेगा । यह हमारे देश की सुरक्षा को सचमुच एक खतरा होगा । और हमें इस के मुकाबले के लिये तैयार रहना चाहिये । आखिर हमें पता लगना चाहिये कि ये जहाज इन सागरों में किस के विरुद्ध आ रहे हैं । क्या वे बर्मा, लंका, मलाया की रक्षा करेंगे ? परन्तु उन से तो हमारे सम्बन्ध बहुत ही अच्छे हैं ?

आचार्य कृपालानी ने पुरानी बात नहीं छोड़ी । वह आज भी युद्ध की बात कर रहे हैं । मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि युद्ध जेल जाने की बात नहीं है । जिस आधार पर वह बातें कर रहे हैं वह गलत है । हमारा सिद्धान्त पंचशील का है और उसी द्वारा आज हम युद्ध से सन्तप्त संसार की रक्षा करना चाहते हैं । परन्तु मुझे एक बात का खेद है कि विभाजन के समय हमने सुरक्षा अनुपात का ध्यान नहीं रखा, यही कारण है कि हमें आज सुरक्षा सम्बन्धी खतरा है । हम कुछ नहीं कर सकते और पाकिस्तान बड़ी शान से हम पर हमले करता रहता है और अमेरिका उस की पीठ ठोकता है । यह

उस भूल का परिणाम है, जो हमने लार्ड माउंटबेटन के साथ विभाजन सम्बन्धी समझौता करते समय की है। हम ने विभाजन समझौते में प्रतिरक्षा अनुपात सम्बन्धी खंड के निर्माण की ओर ध्यान ही नहीं दिया।

शिखर सम्मेलन की बातचीत समाप्त हो गई है, अमेरिका ने इसे समाप्त किया है। श्री खुश्चेव ने भारत का समर्थन किया और हमें संसार के पांच बड़े राष्ट्रों में स्थान प्राप्त हुआ। अमेरिका चीन को नहीं चाहता, परन्तु राष्ट्र संघ के ८१ राष्ट्रों में से २९ ने चीन को मान्यता प्रदान कर दी है। चीन की उपेक्षा करना भारी भूल है। राजनीतिक क्रान्ति के पश्चात् आज वह आर्थिक क्रान्ति की दिशा में बढ़ रहा है। हमें अचूक लगे अथवा न लगे पर रूस भी आज एक बड़ी शक्ति है। अरबों में जो क्रान्ति आ रही है, वह भी एक वास्तविक तथ्य है। उन्होंने ने गरीबी और गुलामी के विरुद्ध विद्रोह किया है। पश्चिमी राष्ट्र इसे स्वीकार नहीं करते, वे इस क्रान्ति के मार्ग में रुकावटें पैदा कर रहे हैं। भारत इतिहास के तथ्यों को भूल जाना नहीं चाहता। हम ने अहिंसात्मक ढंग से क्रान्ति की। संसार ने उसे स्वीकार किया है और आज हम उन्हीं सिद्धान्तों को ले कर प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। परन्तु मुझे दुःख है कि हमारे विदेशी सेवा के अधिकारी ठीक ढंग से नहीं चलते। चाहिये यह था कि जब श्री डेनिस लन्दन में थे तो हमारे अधिकारी कुछ परदे के पीछे ही दौड़ धूप करते और भारत के शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होने के सम्बन्ध में पाकिस्तान ने जो आपत्ति उठाई थी उस के बारे में श्री डेनिस के मत परिवर्तन का यत्न करते। शायद वह पाकिस्तान की आपत्ति की उपेक्षा कर देते क्योंकि टर्की और ईरान को भारत के शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होने पर कोई भी आपत्ति नहीं थी। केवल प्रधान मंत्री के इस वक्तव्य से ही काम नहीं चल सकता कि हमारी सेवाओं की आवश्यकता हुई तो हम हाजिर हैं। थोड़ा कूट नीति से भी काम लेना ही चाहिये, परन्तु हम इस में असफल रहे हैं।

भारत की वैदेशिक सेवा के सम्बन्ध में मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। इस बात का खेद है कि हमें समय पर और ठीक ढंग से सारी विदेशीय घटनाओं की सूचना उपलब्ध नहीं होती। हमें रूस, अमेरिका अथवा ब्रिटेन द्वारा ही जानकारी प्राप्त होती है। सूचना प्राप्त करने के हमें अपने साधन स्वयं निर्माण करने चाहिये। हम विदेश शिष्टमंडलों पर भारी राशि खर्च कर रहे हैं, क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? यदि श्री नागी की हत्या करने के बारे में समाचार पहले प्राप्त हो जाता तो शायद हमारे प्रधान मंत्री श्री खुश्चेव से बातचीत कर के उन की जान बचा लेते। जब श्री बुलगानिन और श्री खुश्चेव भारत में थे तो हमारे प्रधान मंत्री ने उन से कई एक बातें स्वीकार करवा ली थीं।

मास्को में हमारे राजदूत श्री मैनन बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति हैं। उनकी वहां प्रत्येक बड़े व्यक्ति तक पहुंच है, परन्तु वह कई बातों की जानकारी प्राप्त न कर सके। हमारे राजदूतों को केवल अपने प्रधान मंत्री के नाम के जादू पर ही नहीं आश्रित रहना चाहिए प्रत्युत उन्हें स्वयं भी कुछ करना चाहिए ताकि हमें नीचा न देखना पड़े। यदि हमें पूर्व पश्चिम किसी भी दिशा में कुछ सूचना प्राप्त न होगी तो हम क्या कर सकेंगे। सरकार को और इस संसद को अच्छे योग्य व्यक्ति राष्ट्र संघ में भेजने चाहिए जो कि यहां कुछ प्रभाव रखते हों और वहां प्रभाव डाल सकें। इस सम्बन्ध में दल का विचार भी नहीं रखा जाना चाहिए। सभी दलों के लोग देश की समुचित सेवा के लिए प्रत्येक समय तैयार हैं। राष्ट्र संघ में, मंत्री मंडलीय स्तर का सार्वजनिक जीवन का कोई व्यक्ति अपने प्रतिनिधि के तौर पर भेजना चाहिए। मैं श्री आर्थर लाल के विरुद्ध नहीं हूँ, वह बहुत

अच्छे व्यक्ति हैं। परन्तु जब और देशों के विदेश मंत्री वहाँ हों, तो उनके वहाँ होने से बात बनती नहीं। इस सम्बन्ध में हमें किसी योग्य और श्रेष्ठ व्यक्ति का चुनाव करना चाहिए। यह काम देश भर में माना और जाना हुआ व्यक्ति ही कर सकता है। किसी अधिकारी के बस की यह बात नहीं। हमें संसार को बताना है कि हमारा राष्ट्र तटस्थ राष्ट्र है और उसका अहिंसा की नीति में विश्वास परन्तु हम विकिरण के प्रभावों को सहन करने में असमर्थ हैं।

अन्त में मेरा कहना है कि हमें साइप्रस के सम्बन्ध में चुप नहीं रहना चाहिए और इस सम्बन्ध में राष्ट्र संघ में राय देने से पीछे नहीं रहना चाहिए। साइप्रस के लोग दुःख उठा रहे हैं और ग्रीस के साथ विलय की उनकी मांग बिलकुल उचित है। हमें इसका समर्थन करना चाहिए और इधर उधर के प्रभाव में नहीं आना चाहिए।

†श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मैं संसार की उन बड़ी समस्याओं की ही बात करूंगा, जिन में हमारी रुचि अधिक है। मैं सब से पूर्व भारत-पाक सीमा पर हो रहे हमलों का उल्लेख करना चाहता हूँ। यह प्रसन्नता की बात है कि दोनों देशों के प्रधान मंत्री आपस में मिल रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि उनकी यह भेंट स्थायी रूप में सफल हो और दोनों देशों के बीच शांति स्थापित हो सके। परन्तु इसके साथ ही यह कहना भी गलत है कि लोगों में इन हमलों के कारण भय पैदा हो रहा है। मैं सीमावर्ती राज्य का रहने वाला हूँ और मैं जानता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग गुलाम अब्बास और अल्लामा मशरकी की गति विधियों से भली प्रकार परिचित हैं और बाकी के सब हालात की भी जानकारी रखते हैं। जब मैं अपने क्षेत्र के मैलटा गांव में गया तो उन्होंने यह नहीं कहा कि हमें यहाँ से हटाया जाये, प्रत्युत उन्होंने यह मांग की कि सीमा के पास जो भूमि बिना सिंचाई के पड़ी है वह हमें दे दी जाये ताकि हम उस पर सिंचाई कर सकें। इसी प्रकार की भावना जो कि पंजाब में है आसाम और पश्चिमी पंजाब में भी पाई जाती है। यह ठीक है कि वहाँ गड़बड़ी है और इससे कुछ कठिनाइयों का सामना तो करना ही पड़ता है, परन्तु भय की कोई बात नहीं है।

हमें खेद है तो केवल यह कि पाकिस्तान का व्यवहार अच्छे पड़ोसियों का सा नहीं है। भारत के विरुद्ध वहाँ बराबर जहाद के नारे लग रहे हैं। और वह अरब देशों में भी भारत के विरुद्ध प्रचार करता रहता है, परन्तु हम पुरानी बातों को भूल कर भी यह चाहते हैं कि दोनों देशों में मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित हों। हमारी सरकार इस दिशा में प्रयत्न करती रही है और करेगी।

पंचशील के सम्बन्ध में मेरे मित्र ने कहा है कि उसकी उत्पत्ति पाप से हुई है। मैं पाप और पुण्य की बातें तो नहीं करना चाहता परन्तु इतना जानता हूँ पवित्र आदर्शों से पाप पर विजय प्राप्त की जा सकती है। पंचशील तो आज के युग का एक पवित्र सिद्धान्त हो गया है। संसार के सभी देशों को इसने शांति का मार्ग दिखाया है। भारत ही नहीं अन्य देशों ने इस तथ्य को स्वीकार किया है। परन्तु यह मैं स्वीकार करता हूँ कि बांडुंग सम्मेलन के बाद हम इस सिद्धान्त को कुछ भूलते हुए दृष्टिगोचर हो रहे हैं। परन्तु मैं यह विनम्र निवेदन करूंगा कि संसार और मानवता का कल्याण पंचशील के सिद्धान्त को स्वीकार करके उसके कार्यान्वित किये जाने में ही है। जितना इसका अधिक प्रचार होगा, उतना सभी राष्ट्रों के हित की बात होगी। जिन देशों ने इस सिद्धान्त को स्वीकार किया है, उन्हें इस दिशा में अवश्य कुछ करना चाहिए।

शिखर सम्मेलन के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है। इस सम्बन्ध में, मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता कि कौन हमारे पक्ष में, कौन विपक्ष में है। मेरा सुझाव तो यह है कि पुराने

बांडुग सम्मेलन की तरह का एक सम्मेलन बुलाया जाना चाहिए। इसमें अधिक देशों को निमंत्रित किया जा सकता है। संसार की शांति के लिए यह बड़ी आवश्यक चीज है। इस समय लोगों के दिलों और दिमागों में अनिश्चितता है वह दूर होनी चाहिए। ऐसे लोगों का पथप्रदर्शन किया जाना चाहिए जो कि विश्व शांति के समर्थक हैं।

विकिरण के सम्बन्ध में जापान बराबर कुछ न कुछ कर रहा है और उसने संसार के राष्ट्रों को इसके विरुद्ध सचेत करने की कोशिश की है। हमारे प्रधान मंत्री न भी इस खतरे की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। हम ने इस सम्बन्ध में एक पुस्तक भी प्रकाशित की है। हमें इस मामले में जापान का समर्थन करना चाहिए और उसे इस काम में पूरा प्रोत्साहन देना चाहिए।

हमारे प्रधान मंत्री ने ठीक ही कहा है कि विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहा है। शांति मानवता की सब से बड़ी समस्या है। इस दिशा में जो भी प्रयत्न हो, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। हमारी सरकार की नीति पंचशील पर आधारित है। इस शांति और सद्भावना वाली नीति का समर्थन किया जाना चाहिए, इसी में ही सब का कल्याण है।

श्री कालिका सिंह (आज़मगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, आज दुनिया में जो अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पैदा हो गई है वह बहुत भयानक है। इस वक्त जब हम अपनी वैदेशिक नीति निर्धारित करने जा रहे हैं तो उसे हमें यह देख करके निर्धारित करना होगा कि जो स्थिति इस वक्त मिडल ईस्ट में है, यूरोप में है तथा संसार के दूसरे भागों में है, उसका असर भारत के ऊपर क्या पड़ेगा।

आज जार्डन में अंग्रेज हैं और लेबनान में अमरीकी सेनायें आई हैं। रूस की तरफ से यह कहा जाता है कि ये सेनायें १०,००० या २०,००० तक ही सीमित नहीं हैं बल्कि इनकी संख्या ७०,००० तक पहुंच गई है, ये सेनायें समुद्र के किनारे पर हों, मैडिटरेनियन में हों, लेबनान में हों, जार्डन में हों या उसके आस पड़ोस में हों। ऐसी सूरत में हमें यह देखना है कि इसका असर भारत के ऊपर क्या पड़ सकता है।

सन् १९४७ में जब भारतवर्ष आज़ाद हुआ था, और ब्रिटेन द्वारा जब ट्रांसफर आफ पावर हुआ था, उसी वर्ष पैलेस्टाइन का भी बटवारा हुआ था और उसका भी ट्रांसफर आफ पावर हुआ था। उसका बटवारा उस तरह से नहीं हुआ जिस तरह भारत का हुआ था। उसका बटवारा ब्रिटेन ने यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी के जरिये से किया था। यू० एन० का पैलेस्टाइन मैंडेट ब्रिटेन के हाथ में था और बीसियों बरस से वह उसके हाथ में चला आ रहा था। ३० नवम्बर, १९४७ को उसका बटवारा हुआ और इज़राइल का राज्य बना था और जो दूसरा राज्य बना था उसको बाद में ट्रान्सजार्डन में मिला दिया गया था। यह आठवीं अरब स्टेट कायम की गई थी। १५ अगस्त १९४७ को जैसे भारत का बटवारा हुआ उसी तरह ब्रिटेन ने पैलेस्टाइन का बटवारा खुद न करके युनाइटेड नेशंस के जरिये से करवाया। ये दोनों चीजें सन् १९४७ में हुई थीं और एक साथ हुई थीं। चूंकि अंग्रेज हिन्दुस्तान को छोड़ रहे थे इस वास्ते रास्ता भी दें, मिडिल ईस्ट के रास्ते से दूर जाना भी उन्होंने यह जरूरी समझा था। उस वक्त ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी और अमरीका में रूज़वैल्ट की सरकार थी। अंग्रेजों और अमरीकनों दोनों की उस वक्त नीति ऐसी थी कि सन् १९४५ में जब यू० एन० चार्टर पर दस्तखत हुए थे। हिन्दुस्तान भी उसका मੈम्बर हो चुका था और चर्चिल ने चाहे न भी चाहा था, उसने कहा था कि जो अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर हुए हैं वह सिर्फ यूरोप भर ही लागू होगा, सारे संसार भर पर लागू नहीं होगा। लेकिन बाद में रूज़वैल्ट ने और रूस ने और लेबर सरकार के एटली साहब ने सभी ने मिलकर यह माना कि जो चार फ्रीडम्स एटलांटिक चार्टर में मानी गयीं वे

संसार के हर आदमी को दी गई हैं, उनका इम्प्लेमेंटेशन (कार्यान्वित होना) जरूरी है और व कार्यान्वित होनी चाहिए और इसी के मुताबिक बहुत से देशों को स्वराज्य प्राप्त हुआ। सन् १९४७ में इसी पालिसी के तहत पैलेस्टाइन का जो मैंडेट था वह भी ब्रिटेन ने सरेंडर किया और जो रास्ता था वह ब्रिटेन ने छोड़ दिया। भारत को उसने आजाद किया और इसका बटवारा किया।

लेकिन आज ११ बरस के बाद परिस्थिति कुछ बदली हुई है। अमरीका में रिपब्लिकन पार्टी की सरकार कायम है तो ब्रिटेन में कंज़रवेटिव सरकार बनी हुई है और आज मालूम यह हो रहा है कि जो बदली हुई नीति है उसके अन्तर्गत आज उस रास्ते के ऊपर आइज़नहावर डाक्ट्रिन जिस को कहा जाता है और जोकि एक नया डाक्ट्रिन है, उसके मुताबिक मिडल ईस्ट के ऊपर फिर से अंग्रेज़ फौलादी पंजा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। यही नीति एंथनी ईडन ने चली थी। साल भर पहले और तमाम एंग्लो अमेरिकन ब्लाक का पूरा समर्थन पहले पहल प्राप्त किया लेकिन बाद जो काम उन्होंने किया और जो तरीका अपनाया वह गलत अख्त्यार किया और गलत तरीका अपनाया और उन्होंने अमरीका का साथ पूरे का पूरा नहीं लिया और यह तब हुआ जब वह ईजिप्ट में कूद पड़े। इसका नतीजा यह हुआ कि ६ जनवरी १९५७ को उनको त्यागपत्र देना पड़ा। अब मैकमिलन साहब ने जो कुछ किया है बिल्कुल वही चीज़ की है जो एंथनी ईडन साहब चाहते थे लेकिन जो तरीका इस्तेमाल में वे लाये हैं वह तरीका अमरीका को साथ ले कर चलने का है। अमरीका ने उनसे कहा कि तुम लेबनान में चलो और बाद में हम जार्डन में आयेंगे और आज ईजिप्ट के खिलाफ उतरने के बजाये वे लेबनान और जार्डन, इन दो छोटे छोटे मुल्कों में उतरे हैं। लेकिन चीज़ वही है यानी नीति जो है कंज़रवेटिव सरकार की ब्रिटेन में और रिपब्लिकन सरकार की अमरीका में उसके मुताबिक वे मिडल ईस्ट के ऊपर बराबर कब्ज़ा जमाये रखना चाहते हैं। यह बात साफ मालूम हो रही है। कहा यह जाता है कि वहां पर आयल रिज़र्व हैं और बहुत बड़ी मात्रा में हैं, इतना ज्यादा मात्रा में कि ६२ प्रतिशत संसार का तेल वहीं पर है और १५ परसेंट जो आयल रिज़र्व है वह अमरीका में है और ११ प्रतिशत रशिया में तथा संसार के दूसरे भागों में है। आयल बहुत जरूरी चीज़ है, इसको मैं मानता हूं। वे आयल के पीछे ही नहीं हैं बल्कि मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे पुरानी जो उनकी साम्राज्यवादी नीति थी अंग्रेज़ों की, अमरीकनों की और रशियन डैमोक्रेसीस की क्या उस पर तो वे नहीं चल रहे हैं और क्या उस नीति पर वे वापस जाना तो नहीं चाहते।

यह कहा जा सकता है कि जिस प्रकार जार्डन में ब्रिटेन आया है उससे पुरानी नीति का एक नमूना हम को मिला है। जहां तक लेबनान का सवाल है वह इंडायरेक्ट एग्जेशन का सवाल है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून यह है कि अगर कोई देश जिस में कि लीगली कांस्टीट्यूटिड गवर्नमेंट हो, उसका हेड किसी को निमंत्रण दे दे तो वहां पर फौजें जा सकती हैं बशर्ते कि दो और चीज़ें उसके अन्दर हों। पहली चीज़ तो यह होनी चाहिए कि सिविल वार फोर्मेट करने के लिए कोई बाहर की ताकत कोशिश करती हुई साबित हो जाये, फोर्मेटिंग आफ सिविल स्ट्राइफ, और दूसरी यह है कि आर्डर्ड इंटरवैशन साबित होना चाहिए। जब ये दोनों बातें हों और अगर कोई लीगली कांस्टीट्यूटिड गवर्नमेंट किसी को निमंत्रण दे, तब वह बाहरी ताकत उसके मामले में दखल दे सकती है।

लेबनान में यह स्थिति थी कि अमरीका की पोज़िशन सेफ है। चाहे सम्मिट कान्फ्रेंस हो चाहे कुछ और हो अमरीका कह सकता है कि लेबनान में वह गया क्योंकि वहां पर यू० एन० आब्जरवर्स का जो ग्रुप है उसकी रिपोर्ट अंडर कंट्रोल थी और वहां दो महीने पहले से ऐसी

स्थिति पैदा हो चुकी थी कि वहां फारेन आर्मी जा सकती थी। एक छोटी सी किंगडम आफ क्वैत है जहां की आबादी दो लाख की है वहां पर अंग्रेज फौजें गई हैं और सिर्फ यह कहा है कि हैशेमाइट किंगडम आफ जार्डन की वजह से हम वहां गये हैं। हम को किंग हुसैन ने निमंत्रण दिया और उसके ऊपर हम चले गये। कोई भी स्थिति वहां ऐसी नहीं थी कि वहां रूस या यूनाइटेड अरब रिपब्लिक या कोई भी ऐसी पावर सचमुच एक बलवा की स्थिति पैदा करके सरकार को बदलना चाहती हो। अंग्रेजों की तरफ से यह कहा गया है कि हमारे सामने यह बात आई कि १७ जुलाई को जार्डन का जो बादशाह था उसको लोग निकाल देंगे। अगर कहीं के बादशाह को वहां के लोग निकालना चाहते हैं तो इसके लिए या उसको बचाने के लिए कोई फारेन आर्मी नहीं भेजी जा सकती है। जार्डन में जिस प्रकार अंग्रेज उतरे हैं, वे एक बहाना करके उतरे हैं और सिर्फ इसलिए उतरे हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो ने होने पाये तथा उसके पहले ही हम अपनी फौजें उतार दें ताकि बाद में कोई प्रश्न ही पैदा न हो फौजों को वापिस बुलाने का। इस तरह से मालूम हो रहा है कि अंग्रेजों ने फिर अपनी पालिसी बदल दी है और उनकी नीति वहीं पहुंच गई है जहां कि चर्चिल की नीति थी और उसी नीति के मुताबिक वे चल रहे हैं। आज कंज़रवेटिव सरकार की तथा रिपब्लिकन सरकार की बिल्कुल वही नीति हो गई है।

डलेस और मैकमिलन इन दोनों ने मिल करके एक ऐसी नीति अपनाई है कि हम को अब यह देखना है कि सचमुच मिडल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है, अरब में जो कुछ हो रहा है, उसका असर कहीं भारत पर तो नहीं पड़ेगा। वह हमारा रास्ता है और उस रास्ते का हमें जरूर खयाल रखना होगा और देखना होगा कि कहीं उस रास्ते से फिर अंग्रेज न आ जायें। इसकी एक वजह यह भी है कि उस रास्ते के पास ही बगदाद पैक्ट है जिसको कि अंग्रेजों ने बनाया है। हम यह भी जानते हैं कि बगदाद पैक्ट और सीटो पैक्ट ये दोनों पैक्ट हिन्दुस्तान का जो रास्ता उस तरफ है उसके बीच पड़ते हैं। यह भी कहा जा सकता है कि सीटो का हैडक्वार्टर बैकाक है और बगदाद पैक्ट का बगदाद है जो खत्म सा हो गया है। लेकिन बगदाद और बैकाक के बीच जो धुरी बनी हुई है, इसके बीच में काश्मीर पड़ता है और वहां पर ही गिलगिट एक ऐसा स्थान है जिस की तरफ अमरीका और इंग्लैंड बहुत दिनों से अपनी नज़रें लगाय बैठे हैं। सैकड़ों बरस से वह उनके कब्जे में रहा है और वे उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। अगर गिलगिट में व रहते हैं तो वहां से वे हिन्दुस्तान के ऊपर, रूसके ऊपर, चीन के ऊपर, मिडल ईस्ट के ऊपर इन सब जग हों के ऊपर नज़र रख सकते हैं और यह उनके लिये बहुत ही अच्छा फोकल प्वाइंट है। इससे अच्छा और कोई फोकल प्वाइंट नहीं हो सकता है। इसीलिये ११ बरस से गिलगिट को उन्होंने अपने कब्जे में फंसा रखा है। बगदाद पैक्ट तथा सीटो पैक्ट, इन दोनों पैक्टों के बीच काश्मीर पड़ता है। इस वास्ते हम को देखना है कि मिडल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है, भारत का उससे सीधा सम्बन्ध है या नहीं और यदि है तो हमें क्या करना चाहिये। हम यह नहीं कह सकते हैं कि दूसरों के मामले में हम कैसे दखल दें क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे रास्ते में मिडल ईस्ट है। पहले महायुद्ध में तथा दूसरे महायुद्ध में भी ब्रिटेन ने यहीं लड़ाइयां लड़ीं ताकि उसका रास्ता कायम रहे। यह लड़ाइयां उसने बसरा और मैसापेटोमिया में लड़ी थीं और इसीलिये लड़ी थीं कि उसका यह रास्ता कायम रहे। कहा भी जाता है कि जिस के कब्जे में मिडल ईस्ट रहेगा, उसी के कब्जे में दुनिया रहेगी। तो आज यह अंग्रेज वहां उतर रहे हैं। अमरीका तो वापस आ जायेगा। हम जानते हैं, अमरीका कहता भी है, कि वह किसी दूसरे मुल्क पर कब्जा नहीं करना चाहता। उस ने फिलिपाइन भी छोड़ दिया। अमरीका को कोई जरूरत भी नहीं है। उस की बड़ी भारी एकानमिक एम्पायर हो चुकी है। लेकिन ब्रिटेन को जरूरत है। ब्रिटेन जानता है कि उस के पास तेल नहीं है, उस के पास कोई ताकत नहीं है, वह जानता है कि उस के पास अगर कोई ताकत है तो वह डिप्लोमैसी

की ताकत है, यानी दो मुल्कों को आपस में लड़ा कर अपनी एम्पायर बना लेना। ब्रिटेन ने भारत को बांट दिया। आयरलैंड को अल्स्टर बना कर बांटा, इजिप्ट को स्वराज्य दिया तो सूडान बनाया, इसी तरह से इन्डो चाइना को बांट दिया, कोरिया में भी उस की यही नीति देखी गई, यानी उस ने वहां भी अमरीका से मिल कर उस का बटवारा किया। इजराइल का भी बटवारा किया। कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिस की आजादी को उस ने कुचला न हो, जिस को बांटा न हो। संसार में जहां कहीं भी हो सके, ब्रिटेन इसी नीति पर चल रहा है कि मुल्क की कम्यूनिटीज में झगड़ा हो, उस के एलिमेंट्स आफ पापुलेशन में झगड़ा हो और उन के जरिये अपना फायदा करे। भारत वालों को मालूम है कि उस ने अपना राज्य कायम करने के लिये यहां क्या किया। आज वही बदली हुई नीति हम मिड्ल ईस्ट में देख रहे हैं। बल्कि यह बात सामने आ रही है कि मुहब्बत किस की थी और वहां उन्होंने इजराइल को कायम किया। कहा जाता है कि अमरीका और रूस दोनों पार्टिशन के फेवर में थे और ब्रिटेन न्यूट्रल गया जिस वक्त फिलिस्तीन का बटवारा हुआ। लेकिन सन् १९४८ में ट्रांस जार्डन से, जो कि जार्डन नदी के बगल में था, संधि कर के, १५ मार्च को उस ने वहां पर अपने ट्रुप्स कायम कर दिये। एक तरफ वह वहां के बादशाह को सपोर्ट भी करता रहा ताकि वहां जम कर रहे और साथ में फिलिस्तीन को छोड़ने की बात भी चलती रही। लेकिन सन् १९४८ के बाद चलते चलते सन् १९५६ के मार्च में उस ने अंग्रेज कमान्डर इन चीफ को उस के ऊपर रखा, और जार्डन ने ही बाद में उस को बर्खास्त किया। क्यों बर्खास्त किया? क्योंकि उसी बादशाह को, जिस ने उसे बुलाया था मालूम हो गया कि अंग्रेज उस के यहां जमना चाहते हैं, अंग्रेज मिड्ल ईस्ट पर कब्जा करना चाहते हैं और बराबर वहां रहेंगे।

आज उसी बादशाह ने उन्हें फिर बुला लिया है। इस लिये बुलाया है कि जिस तरह से इराक की जनता को इराक के बादशाह पर विश्वास नहीं रह गया था उसी तरह से जार्डीनियन जनता को अपने बादशाह पर विश्वास नहीं रह गया है। आज हम को अपनी नीति इस प्रकार निर्धारित करनी है, यह देख कर निर्धारित करनी है, कि यह रास्ता जो मिड्ल ईस्ट का है उस पर भयानक विस्फोट हो सकता है और अगर फिर अंग्रेज चल कर वहां जम जाता है तो कश्मीर से लेकर मिड्ल ईस्ट तक वह अपना अस्त्रधार करना चाहेगा और उस से हमारी भारत की स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है। फिलिस्तीन को उन्होंने पावर ट्रांसफर करने के बाद सन् १९४७ में, आज दस या ग्यारह वर्ष बाद फिर उसी रास्ते पर छोड़ दिया है। आज हम ने अखबारों में देखा, जिस से हमें बड़ी खुशी हुई कि आज अरब नैशनलिज्म की बात जब चल रही है तो हम लोग अमरीकी रेजोल्यूशन के खिलाफ वोट देने जा रहे हैं। यह सही है। पंचशील के मुताबिक यह नीति बिल्कुल सही है कि हम अरब नैशनलिज्म का समर्थन करें। अरब नैशनलिज्म और इंडियन नैशनलिज्म दोनों एक ही चीज हैं, दोनों का एक ही नमूना है। मौलाना अबुल कलाम आजाद कहा करते थे कि अगर भारत आजाद होगा तो अरब भी आजाद होगा। अरब की आजादी और भारत की आजादी दोनों का एक ही मसला है। इसलिये यह बिल्कुल सही नीति है कि हम अरबों की आजादी के लिये लड़ते रहें और जो कुछ भी अरब नैशनलिज्म की मजबूती के लिये हो उसे हम पूरे जोर के साथ सपोर्ट करें।

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : मैं सामान्यतया भारत की वैदेशिक नीति का समर्थन करता हूं और इस सम्बन्ध में मैं संसार के प्रमुख विवादों और वैदेशिक कार्य मंत्रालय के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं।

प्रथम युद्ध के पश्चात् अटोमन साम्राज्य को समाप्त कर के कई एक नये राज्यों का निर्माण किया गया था और कई नये राष्ट्रों का अस्तित्व हुआ। परन्तु जो भी राष्ट्र बने, उन में लोक

तंत्र की वांछित प्रगति न हो सकी। अतः वहाँ सैनिक हलचलें हुईं। बगदाद समझौते को हम ने देखा है। बगदाद के उसमें न होने पर भी उसे कई एक तरह से शक्तिशाली करने का प्रयत्न किया जा रहा है। इस प्रकार की बातों से पश्चिमी राष्ट्रों के समक्ष बहुत भारी कठिनाइयाँ आ रही हैं। गुलामी और दवाब से लोक तंत्र विकसित नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति शाह फ़ैजल और नूरी की हत्या करने के कृत्य की सराहना नहीं कर सकता। परन्तु कई बार ऐसी बातें मजबूरी हालत में हो जाती हैं। गत बार ईराक के चुनावों में ६० प्रतिशत संसद् के सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हो गये थे और चुनाव एक मजाक बन के रह गया था और वहाँ जो कुछ हुआ यह सब उसी दमन का परिणाम था।

आजकल अरब राष्ट्रीयता का अभ्युदय हो रहा है। नासिर की तूती बोल रही है। अमेरिका और ब्रिटेन की भूल ने नागी की हत्या से बदनाम हुए ख़रुचेव को एक बार पुनः एशियाई राष्ट्रवाद के अभिरक्षक के रूप में संसार के समक्ष लाकर खड़ा कर दिया। आजकल दिन कुछ साम्यवादियों के पक्ष में चल रहे हैं। हमारी सरकार को अपना प्रभाव प्रयोग करके पश्चिमी एशिया के देशों से पश्चिमी राष्ट्रों की सेनाओं को हटवाना चाहिये। हस्तक्षेप करने की नीति अब समाप्त होनी चाहिये।

शिखर सम्मेलन के सम्बन्ध में निवेदन है कि भारत सुरक्षा परिषद् का सदस्य नहीं है और न ही इसका किसी पक्ष से सम्बन्ध ही है। सभी के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हैं और हम अपनी राय को बड़े साहस के साथ संसार के समक्ष रखते हैं। मैं इस नीति के लिये अपने प्रधान मंत्री को मुबारकबाद देता हूँ। परन्तु हम कुछ धीमी चाल से चल रहे हैं, गत दो वर्षों में संसार में हो रहे विद्रोह के चार प्रमुख केन्द्रों में हमारे प्रतिनिधि नहीं थे। १९५६ में पोलैंड में हमारा कोई कूटनीति प्रतिनिधि नहीं था, जो कि दिल्ली को तुरन्त सारी जानकारी दे सके। बुडापास्ट में जब खून की होली खेली गयी। तो भारत के कार्यालय का काम वहाँ एक प्रथम सचिव कर रहे थे। इसी प्रकार लेबनान, जोर्डन और काहिरा की बात है। मैं यह नहीं कहता कि हमारे कूटनीतिज्ञ, योग्य हैं, परन्तु हमारे वैदेशिक कार्य मंत्रालय की कमजोरी अवश्य है। यदि हम तेजी से नहीं चलेंगे तो संसार की घटनायें तो हमारे लिये नहीं रुकी रहेंगी।

अन्त में पाकिस्तान के सीमावर्ती हमलों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूँ। इससे काफी गड़बड़ी हो रही है। पाकिस्तान शायद इसलिये प्रोत्साहित हो रहा है कि वह जानता है कि हम उसे ईंट का उत्तर पत्थर से नहीं देंगे। हम शांति प्रिय राष्ट्र है परन्तु इस प्रकार की राष्ट्रीय अप्रतिष्ठा से विश्वास उठने लगता है। इसके अतिरिक्त रोज भारत के विरुद्ध युद्ध के नारे लगते हैं। अच्छा है कि भारत और पाक के प्रधान मंत्रियों की भेंट हो रही है। हमें पाकिस्तान से ३०० करोड़ रुपया लेना है। त्रिपुरा की सीमा को बन्द करना है। मैं प्रधान मंत्री से निवेदन करूँगा कि तुम्हें पाकिस्तान के प्रति कमजोर नीति को त्याग देना चाहिये। यदि इस प्रकार की कोई विपत्ति आयेगी तो सारा देश उनके साथ होगा। मैं और मेरा दल भी, इस मामले में उनको पूर्ण सहयोग देगा। अणु परीक्षणों को समाप्त कराने में भी हम प्रधान मंत्री के साथ हैं।

† राजा महेन्द्र प्रताप (मथुरा): आज प्रधान मंत्री ने सीमा सम्बन्धी झगड़ों तथा पश्चिमी एशिया की बाबत कहा। वास्तव में जब तक भारत तथा पाकिस्तान का युद्ध नहीं हो जाता तब तक सीमा सम्बन्धी झगड़े चलते ही रहेंगे। या दोनों को एक हो जाना पड़ेगा। जब तक बंगाल तथा पंजाब एक नहीं हो जाते तब तक स्थिति नहीं सुधर सकती।

पश्चिमी एशिया की स्थिति के बारे में हमारे प्रधान मंत्री ने जो कुछ कहा है वह ठीक ही है। किन्तु वास्तविक बात यह है कि आज दो विचारधाराओं की टक्कर है एक ओर लोकतंत्रात्मक शक्तियां हैं और दूसरी ओर साम्यवादी शक्तियां हैं। साम्यवाद रूस वालों के दिमाग में बैठ चुका है और इसी तरह लोकतंत्र की प्रणाली पश्चिमी देशों के लोगों के दिमागों में। रूस तथा अमेरिका दुनिया में अपना प्रभुत्व चाहते हैं। इनके पास अणु बम हैं। बात झगड़े की यही है।

यह बात भी समझने की है कि अभी राजनीति तथा लोगों की नैतिकता में समानता नहीं आई। कई लोग अभी इन क्षेत्रों में बच्चे ही हैं और कई आगे बढ़े हुए हैं। अतः मैं यह बात स्पष्टतया कहना चाहता हूँ कि इस सभा में राजनैतिक जागृति आनी चाहिये। मैं यह मानता हूँ कि इस सभा में बड़े बुद्धिमान व्यक्ति हैं किन्तु एक हिन्दू पंडित इस्लाम के बारे में क्या जानता है। इसी प्रकार से एक मुसलमान गायत्री मंत्र को क्या समझेगा। इसी प्रकार साम्यवादी लोग लोकतंत्र को और लोकतंत्र के समर्थक साम्यवाद को बुरा मानते रहेंगे। वास्तव में इन सब बुराइयों का उपचार संसार की एक सरकार बनाना है। उसकी राजधानी होनी लूलू में होनी चाहिये। तथा पांचों महाद्वीप स्वायत्त राज्य हों। ईरान से आसाम तक एक आर्य संघ हो और उधर ओमान से मराकू तक अरबे आजम राज्य बनाया जाये। हमारे प्रधान मंत्री शांति चाहते हैं किन्तु उन्हें स्वतः इस का तरीका नहीं आता। सब धर्मों को बुराइयों का मुकाबला करना चाहिये। हमें इन सब बातों के अतिरिक्त संयुक्त परिवार को बढ़ावा देना चाहिये।

† श्री रंगा(तेनाली) : राजा महेन्द्र प्रताप का यह आशय कदापि न था कि वह पाकिस्तान को स्वीकार नहीं करते। वास्तव में दूसरे लोग इन बातों से अनुचित लाभ उठाने का यत्न कर सकते हैं किन्तु मैं सभा के अधिकतर सदस्यों की ओर से यह कहना चाहता हूँ कि भारत पाकिस्तान के विरुद्ध कोई भी बुरी भावना नहीं रखता। हम शांति से रहना चाहते हैं। हमारी इच्छा है कि इन सब झगड़ों का शीघ्र ही निपटारा हो। हमारी प्रार्थना है कि हमारे प्रधान मंत्री जब पाकिस्तान के प्रधान मंत्री से मिलें तो दोनों की मुलाकात सफल हो। वह दिन दूर नहीं जब दोनों देश शांति से रहा करेंगे।

जहां तक हमारी वैदेशिक नीति का सम्बन्ध है उसमें हमारे प्रधान मंत्री ने अब इतनी परिवृत्ता ला दी है कि भारत बिना ज्यादा प्रयत्नों के सफलतायें प्राप्त कर सकता है। आज अरब के राष्ट्र हमारे प्रधान मंत्री पर इतनी श्रद्धा करने लगे हैं कि दुनिया उसे देख कर चकित रह जाती है।

मैं आचार्य जी के इस मत से भी सहमत हूँ कि अरब राष्ट्रों को इसराइल से भी शान्ति पूर्वक रहना चाहिये। इसी प्रकार इसराइल को भी अरब राष्ट्रों से सहयोग करना चाहिये। मैं आशा करता हूँ कि भारत इस समस्या का भी कोई हल निकालेगा।

हम यहां पर संसदीय लोकतंत्रात्मक प्रणाली के पक्षपाती हैं। इसी कारण हम पाश्चात्य देशों से सहानुभूति रखते हैं। किन्तु जब वह गलती करते हैं तब हमें बड़ा दुख होता है। जब अमरीका सा बड़ा देश ऐसी गलती करता है कि तब तो बड़ा ही दुख होता है। वह ३६ घंटे में ही यह दिखाने के लिये कि अतलांतिक पैकट जीवित है सारी जगह सेनायें भेजकर लोगों के सामने शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं।

अमरीकी लोगों को चाहिये था कि वे इस बात का विरोध करते। इंग्लैंड में श्रम दल के नेता ने इस नीति का विरोध किया था। इसी प्रकार रूस वालों ने बड़े अमानुषिक तरीके से नाज की हत्या की। श्री इमरे नाज ने युगोस्लाव राजदूतालय में पनाह ली थी और उनकी सुरक्षा

का वचन दिया गया था। इस लिहाज से रूस आज दुनिया का अपराधी है। इसे सुन कर हमें तो बड़ा ही दुख हुआ है। शायद रूस में मानवीय आत्मा का गला घोंटा जा रहा है।

मैं ईराक तथा लेबेनान के लोगों को धन्यवाद देता हूँ। अप्रत्यक्ष आक्रमण के सम्बन्ध में भी बातचीत हो रही है। अरब के लोग आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। वहाँ वही सामन्तशाही चल रही है। जब तक वे लोग जाग्रत नहीं होते तब तक उनमें से गरीबी नहीं जायेगी।

अमेरिका तथा ब्रिटेन के लोगों को ईराक की क्रान्ति पर खिन्न नहीं होना चाहिये। हम तो जोर्डन में भी वहाँ के लोगों की समृद्धि के इच्छुक हैं शाह हुसैन की समृद्धि में नहीं। हमारी इच्छा है कि वह लोग भी लोकतंत्र स्थापित करें।

उधर श्री आइजनहोवर के मत विचित्र हैं। उनके अनुसार वहाँ वही चीजें चलनी चाहियें। किन्तु हमारे प्रधान मंत्री ने उस मत को स्वीकार नहीं किया।

अल्जीरिया की स्थिति भी भयंकर है। क्या वहाँ यही बातें सदैव चलती रहेंगी। हम अल्जीरियावासियों की स्वतंत्रता की शुभ कामना करते हैं।

कुछ लोगों ने संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारे स्थायी प्रतिनिधि की आलोचना भी की। यह ठीक नहीं था क्योंकि वह अच्छा काम कर रहे हैं। माननीय मंत्री इस सम्बन्ध में अवश्य ही थोड़ा बहुत प्रकाश डालेंगे। वास्तव में महात्मा गांधी के आदेशों पर चलकर हमारे प्रधान मंत्री ने हमारे देश के लिये वास्तव में ही वह स्तर प्रदान कर दिया है कि हमें अब किसी प्रचार की इतनी आवश्यकता ही नहीं।

श्री ब्रजेश्वर प्रसाद (गया) : आज संसार की समस्या है कि स्थिति को रक्त बहाये बिना कैसे बदला जाये। यह कार्य अनुमति से हो सकता है, युद्ध से हो सकता है, राजनीति से संभव है।

समस्या के हल के लिये अरब राष्ट्रों को एक राजनैतिक संघ होना चाहिये तथा जोर्डन तथा लेबेनान भी उस में सम्मिलित होने चाहियें और तब जा कर इन को तटस्थ किया जाये। दूसरे तुर्की, ईरान तथा पाकिस्तान का निश्शस्त्रीकरण किया जाये तथा इन्हें भी तटस्थ बनाया जाये।

मैं श्री आइजनहावर के इस सुझाव का समर्थन करता हूँ कि एक अन्तर्राष्ट्रीय सेना भी होनी चाहिये। किन्तु उस के दो भाग हों। एक एशिया अफ्रीका देशों की सेना हो जो इन्हीं देशों में काम करे। इस के संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ ही करे।

अब मैं इसराइल के बारे में भी दो एक शब्द कहूँगा। इसराइल के प्रधान मंत्री ने कहा था कि अरब संघ के साथ मिलने से एक व्यवहार्य तथा काम चलाऊ हल निकल सकता है। इस के अलावा युद्ध की संभावना ही हो सकती है और सभी जानते हैं कि युद्ध के परिणाम कितने भयंकर होते हैं। विश्व में वास्तविक शान्ति तभी स्थापित हो सकती है जबकि अफ्रीकी-एशियाई देशों में पूर्ण शान्ति तथा एकता हो जायेगी। अमरीका को इन देशों से अपनी सेनायें हटा लेनी चाहियें। भारत तथा चीन का एकीकरण होना चाहिये। वास्तव में अमरीका को बीच पूर्व के देशों से निकल जाना चाहिये। यदि दिल्ली-पेकिंग-मास्को एक्सिस बन जाय तब यह काये स्वतः हो जाये उस के बाद इसी तरह धीरे धीरे वाशिगटन-मास्को एक्सिस बनेगा। यदि सीधे ही अमरीका तथा रूस की बन जाये तब हम लोग घाटे में रहेंगे और लकड़हारे ही रह जायेंगे। भारत चीन तथा रूस की एक उच्चस्तरीय बैठक होनी चाहिये।

श्री दासप्पा (बंगलौर) : हमारे देश की बीच पूर्व सम्बन्धी वैदेशिक नीति पर सब सहमत हैं। आज सारे पाश्चात्य देश सैनिक दृष्टि से ही विचार करते हैं। वास्तव में उन्हें इस समस्त स. स्या पर मानसिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से विचार करना चाहिये। अमरीका वाले वहां शक्ति के न होने के आधार पर सोच रहे हैं। जो गलत सिद्धान्त है। इसी कारण वह असफल रहे हैं।

मध्य पूर्व के सम्बन्ध में ये लोग आरम्भ ही से इसी प्रकार सोचते आ रहे हैं। पहले ड्रूमैन नीति थी फिर नाटो इत्यादि बने। इसी प्रकार से काम चलता गया।

अमरीका वालों से तो रूस की नीति सफल रही। उन्होंने ने सांस्कृतिक तरीके से अरबों को गांठा और यही तरीका सफल रहा। वहां के रूसी मुसलमानों के शेख को उन्होंने ने मक्का भेजा और इसी प्रकार कार्य करते रहे।

अरब राष्ट्रीयता जाग्रत हो रही थी किन्तु पश्चिमी देशों ने बगदाद पैक्ट बना कर और भी काम खराब कर लिया। वास्तव में इन्हें लोगों की भावनाओं का तो ध्यान रखना चाहिये था।

लेबेनान के प्रश्न पर अमरीका वालों ने वही गलती की जो अंग्रेजों ने स्वेज नहर के बारे में की थी। इतनी बड़ी भूल अमेरिका ने पहले कभी नहीं की।

आज यद्यपि अरब देशों को तेल के स्रोतों से बड़ी भारी आय होती है और १०,००० लाख डालर प्रतिवर्ष अरब देशों में आ जाता है किन्तु गरीब लोगों पर तो कभी भी कुछ व्यय नहीं होता। उन की हालत वैसी ही पिछड़ी हुई है जैसी कि पहिले थी।

इसलिये सब से पहले तो अरब राष्ट्रीयता की भावना को स्वीकार किया जाय। यही मूल-भूत बात है।

अब इसराइल का प्रश्न है। यह दुर्भाग्य की बात है कि वह देश पश्चिम की ओर देखता है। आज उन में तथा अरब देशों में कोई मैत्री नहीं है। जब तक इन देशों में मित्रता उत्पन्न नहीं होती तब तक हालात का सुधार नहीं हो सकता। उन राष्ट्रों को इसराइल को समझाना चाहिये।

विस्थापितों के प्रश्न पर इसराइल को सहानुभूतिपूर्ण विचार करना चाहिये। जब तक यह समस्या हल न होगी, तब तक अरब शान्त नहीं हो सकते।

जोर्डन भी स्वावलम्बी राज्य नहीं है। यहां के लोगों को भी अपने भाग्य के निर्माण करने का अवसर दिया जाये।

पाश्चात्य देशों ने एक और दुर्भाग्यपूर्ण रवैया अख्तियार किया है कि वह तुर्की को रूस के विरुद्ध एक दीवार के रूप में बनाना चाहते हैं। यह गलत तरीका है। तुर्की को तो दोस्ती के लिये प्रयुक्त किया जाये।

मैं समझता हूं भारत ठीक तरह से अपना काम करता जा रहा है। यही ठीक है कि नैतिकता को सर्वोपरि रखा जाय। हमारे प्रधान मंत्री राजनैतिक बातों में गांधीवाद ला कर विश्व की महान् सेवा कर रहे हैं।

श्री खाडिलकर (अहमद नगर) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले माह मध्यपूर्व में अचानक ही नाटकीय ढंग से एक घटना घटी है। हमारा पुराना अनुभव यह है कि जब कभी भी अन्तर्राष्ट्रीय हलचल होती है तो हमारा वैदेशिक कार्य विभाग और उस के प्रतिनिधि उत्तेजित हो जाते हैं और हमारे शांतिदूत श्री कृष्ण मेनन सारे संसार में घूमने लग जाते हैं परन्तु इस बार पिछले एक माह

[श्री खाडिलकर]

की घटनाओं के विषय में हमारा वैदेशिक कार्य मंत्रालय, और उस के प्रतिनिधि प्रायः पंगु से हो गये हैं और हमारे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध ढीले हो गये हैं। हमारी वैदेशिक नीति पहिले निष्पक्षता की थी फिर कहा गया कि वह तटस्थता की है। इस निष्पक्षता और तटस्थता की दुहाई देते हुए जब कभी भी संसार में शांति को खतरा होता था, हम युद्ध से बचने और शांति स्थापित करने के लिये प्रयत्नशील रहते थे। इस बार हम ने कुछ पत्रों का जवाब भर दिया है। एक बार शिखर सम्मेलन में कार्य करने के लिये श्री ख्रुश्चेव द्वारा हमारे नाम का उल्लेख किया गया था और हम ने उस में कार्य करना स्वीकार कर लिया था परन्तु वह अभी तक नहीं हुई। मैं अनुभव करता हूँ कि इस समय हम सुस्त से हो गये हैं और हम ने अगुआई करना पूर्णतः छोड़ दिया है।

संयुक्त राष्ट्र संघ में हमें इस मामले में अगुआई करनी थी। दोनों विरोधी शक्तिवाले दल संसार की राय की उपेक्षा कर रहे हैं क्योंकि उस के पीछे शस्त्रों का जोर नहीं है। यहां कुछ वक्ता उस नैतिक दृष्टिकोण से संतोष कर लेते हैं कि भारत अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक आध्यात्मिक सन्देश लेकर बढ़ रहा है परन्तु यह केवल आत्मवंचना है। मुझे समाचार पत्रों से ज्ञात हुआ है कि मार्शल टिटो ने, मैं यह नहीं कह सकता कि कर्नल नासर ने भी लिखा है कि नहीं, हमारे प्रधान मंत्री को लिखा है कि सुरक्षा परिषद् में एक ऐसा निर्णय होने वाला है जिस का न केवल मध्यपूर्व वरन् समस्त संसार की राजनीति पर दीर्घसूत्री प्रभाव होगा।

मध्यपूर्व में युद्ध के बाद ब्रिटेन ने अपनी हीन नीति का परिचय दिया और स्वेज नहर के संकट के पश्चात् यह अनिश्चित हो गया कि दूसरा विस्फोट कहां होगा। इस संकट से कर्नल नासर अरब की राष्ट्रीयता के प्राण बन गये। यदि हमारी सरकार ने इराक के पश्चात् कुछ और कार्यवाही की होती और घटनाओं की प्रतीक्षा न की होती तो शायद अच्छा होता। हमें एशिया और आफ्रिका के जनमत को देखना चाहिये कि यहां के लोग ही संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णय से सम्बन्धित हैं। हम क्यों न प्रधान मंत्री, श्री टिटो, और कर्नल नासर का एक छोटा सा सम्मेलन कर संयुक्त राष्ट्र संघ को यह बता दें कि हमारी इच्छाओं के विरुद्ध कोई निर्णय न किया जाय।

मध्यपूर्व में सेनायें उतारी जा चुकी हैं और वहां के विरोधी दल तथा हमारी सरकार ने भी इस पर आपत्ति की है परन्तु इस का कोई परिणाम नहीं निकला क्योंकि इस का निर्णय संयुक्त राष्ट्र में किया गया है या किया जाने वाला है, ऐसा समझ कर ही यह कार्यवाही की गई है।

मध्यपूर्व में तेल एक ऐसी वस्तु है जो राजनीति या कूटनीति का कारण है। उस में ब्रिटिश सरकार अधिक बद्धिहित है और इस के अतिरिक्त मध्यपूर्व के देशों का योधन नीति की दृष्टि से भी अत्यन्त महत्व है। सोवियत रूस का हित एक प्रकार से इतना ही है कि वह चाहता है कि योधन नीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण इस क्षेत्र को पश्चिमी शक्तियां छोड़ दें। उन की जगह में कौन आयेगा इस के लिये वे चिंतित नहीं हैं। हमारी अरब राष्ट्रीयता से पूर्ण सहानुभूति है परन्तु अभी उस का स्वरूप बन रहा है। यह नहीं कहा जा सकता कि आगे चल कर उस का क्या स्वरूप होगा। अभी मोरक्को से ले कर रूस के किनारे पर ईरान तक के देश अरब राष्ट्रीयता में शामिल हैं। उन की भाषा एक है, कैरो उन के लिये आध्यात्मिक तथा राष्ट्रीय चेतना का केन्द्र है। कुछ लोगों ने कहा है कि यह सैनिक तानाशाही स्थापित होगी और इस में उन्नतिशील तत्वों को सेना से ही प्रश्रय मिलेगा। तुर्की, मिश्री तथा ईराकी क्रान्ति के मूल में सैनिक अधिकारी ही रहे हैं लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि सैनिक जत्थे शक्ति ग्रहण करेंगे और तानाशाही स्थापित होगी परन्तु इस बात का खतरा अवश्य है कि वहां जो राज्य व्यवस्था होगी उस से शांति की मुरक्षा का प्रश्न हल नहीं होगा।

अतएव विदेशी सेनाओं को हटाये जाने अथवा विदेशी हस्तक्षेप को रोकने की मांग करने के पूर्व अरब तथा एशियाई देशों को एक साथ मिल कर यह कहने के लिये तैयार हो जाना चाहिये कि वे इस भाग में एक नई व्यवस्था स्थापित कर उन्नति के पथ पर आगे बढ़ेंगे। जब तक यह विश्वास उत्पन्न नहीं हो जाता तब तक केवल वार्ताओं से समस्या हल नहीं होगी।

मैं इजरायल के बारे में एक बात और कहना चाहूंगा। सन् १९४८ में यह देश एक शरणार्थी राष्ट्र के रूप में अरब देशों के बीच उसी प्रकार है जैसे भारत में पाकिस्तान। जिस प्रकार हम ने पाकिस्तान से समझौता कर लिया है उसी प्रकार अरब देशों को इजरायल से समझौता करना होगा तभी वहां शांति स्थापित हो सकती है।

मध्यपूर्व की स्थिति पर इतना कहने के बाद मैं हंगरी की उस दुर्घटना का उल्लेख करूंगा जिस में वहां की जनता ने तत्कालीन राज्य व्यवस्था के प्रति विद्रोह किया था पर तु वह स्वेज संकट के कारण कुछ दब सी गई थी। इमरे नागी को फांसी दिये जाने पर सारे गणतंत्रीय संसार की आत्मा को दुःख हुआ परन्तु उसी समय फौजों के उतार दिये जाने से इस बात की ओर संसार का ध्यान हट गया। भारत में हम चाहे जिस दल के हों परन्तु हम इस महान् दुर्घटना की उपेक्षा नहीं कर सकते। हम साम्यवादी सरकार के इस औपनिवेशिकता शोषण और उन की जातीयता की कड़ी निंदा करते हैं क्योंकि हम अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय क्षेत्र में मानवीय सम्बन्धों में मानव के मूल्य की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं। हमें इमरे नागी की मृत्यु के लिये उन्हें दोषी ठहराना ही चाहिये।

अपनी नयी राज्य व्यवस्था के सम्बन्ध में पार्टी कांग्रेस के समक्ष अपने भाषण में श्री ख्रुश्चेव ने बताया था “कि हम अहिंसा या गृह युद्ध के आधार पर समाज का निर्माण नहीं करना चाहते हैं। साम्यवादी प्रणाली जनमत पर आधारित होगी और यदि जनता उसे चाहती तो अन्य प्रणाली की स्थापना कर सकती है।”

दुर्भाग्य से सोवियत संघ ने जिस नैतिक नेतृत्व का पल्ला पकड़ कर अणु परीक्षण बन्द कर दिया था तथा मार्शल टिटो से सम्बन्ध स्थापित किये थे उसे हंगरी के मामले में ताक पर रख दिया गया। मुझे कार्ल मार्क्स के सिद्धान्तों से प्रेरणा मिली है और मैं यह चाहता हूं कि हमारी जनता बिना किसी बैर या विरोध की भावना के सोवियत संघ की नीति की परीक्षा करे। इसलिये मैं चाहता हूं कि हंगरी के मामले में हम सोवियत संघ को यह बतायें कि उसने मानवता की उपेक्षा की है। कुछ दिन हुये जब कि प्रोफेसर मिर्टल ने रूस की कांग्रेस पार्टी में बोलते हुये कहा था कि हमें मानवीय प्रभाव पर तथा मानवीय समाज पर अधिक ध्यान देना चाहिये। हम अपने प्रयत्नों से उन्हें इसकी ओर उत्साहित कर सकते हैं।

पाकिस्तान के बारे में हमारे प्रधान मंत्री अनेकों बार बोल चुके हैं। पाकिस्तान हमारे गांवों को लूटता है, सीमा उल्लंघन करता है और हमारे नागरिकों को भगाकर ले जाता है तथा उन्हें कैद कर लेता है। जब तक हम उसे कड़ाई का जवाब नहीं देंगे और अपनी सीमा को अच्छी तरह से मजबूत नहीं बनायेंगे, ऐसा ही होता रहेगा। हमारे प्रधान मंत्री को एक बार सीमा के बारे में समझौता कर लेना चाहिये और पाकिस्तान से कह देना चाहिये कि वह अपनी सीमा से ५० मील भीतर ही रहे यदि इस सम्बन्ध में सख्ती नहीं की गई तो हम काश्मीर के मामले के समान संयुक्त राष्ट्र संघ में दोषी ठहराये जायेंगे और वहां अपना बचाव करते फिरेंगे जैसा कि काश्मीर के मामले में हो रहा है। इसलिये पाकिस्तान को स्पष्ट तथा कड़े शब्दों में यह कह दिया जाए कि हम भविष्य में इस प्रकार की बातों को सहन नहीं करेंगे।

श्री एन्थनी पिल्ले (मद्रास उत्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, अधिकांशतः हमारी वैदेशिक नीति ठीक ही है परन्तु वह सन्तोषप्रद नहीं है। हमने जोरडन तथा लेबनान में सेनाओं के उतारे जाने का विरोध किया, हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के पुलिस दल के बारे में अपनी राय व्यक्त की परन्तु फिर भी बड़ी शक्तियों का जो नैतिक दिवाला निकला हुआ है, उसको हम सुधारने में असफल रहे हैं। अमेरिका तथा ग्रेट ब्रिटेन मध्यपूर्व में सेनाओं भेजने की अपनी कार्यवाही को यह कह कर उचित ठहराते हैं कि यथाविधि बनी हुई सरकार ने उनसे सहायता मांगी थी परन्तु रूस इसे एक आक्रमण समझकर उसका खण्डन करता है। कुछ समय पहिले जब रूस ने कादर सरकार द्वारा सहायता मांगे जाने पर अपनी फौजें हंगरी में भेजी थीं तब उन्हीं शक्तियों ने उसकी तीव्र आलोचना की थी। उस समय हमारे प्रधान मंत्री ने बड़े गर्व से कहा था कि संयुक्त राष्ट्रों ने पंचशील को अपना लिया है परन्तु आज ये सुन्दर सिद्धान्त अरब के शीत युद्ध में ठुकरा दिये गये हैं।

आज अरब की स्वतन्त्रता की लहर को दबाया नहीं जा सकता। जब तक पश्चिमी शक्तियां अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिये सामन्तशाही को बढ़ावा देती रहेंगी तब तक संयुक्त अरब गणतंत्र भी इन शक्तियों से बचने के लिये रूस से सैनिक सहायता मांगता रहेगा। स्वभावतः उसे वह सहायता रूस से उसी प्रकार मिलती रहेगी जिस प्रकार हंगरी को रूस के विरुद्ध संघर्ष में पश्चिमी शक्तियों ने सहायता दी थी।

हम निष्पक्षता की नीति अर्थात् शक्तिशाली गुटों पर निर्भर न रहने की नीति को अपनाये हैं। हम एक तीसरी शक्ति को जन्म दे सकते हैं। वर्तमान परिस्थितियों में अरब की जनता से यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि वह दोनों शक्तिशाली गुटों से तटस्थ रहे और भारत एक तीसरी शक्ति का नेतृत्व करता है अथवा उसका प्रेरक है। इस प्रकार के अन्य देश हैं जो हमसे यही आशा रखते हैं। कम से कम एशियाई और अफ्रीकी जनता भारत को तीसरी शक्ति का प्रेरक समझती है। और आशा करती है कि हम उसे जन्म देंगे। क्या हम उनकी इस आशा को पूरा कर रहे हैं ?

हम विदेशी सहायता पर निर्भर हैं अतएव हम अपने इस कर्तव्य को नहीं निभा पाये। हम ईराक को मान्यता देने में आगा पीछा करते रहे, और हम इमरे नागी को फांसी दिये जाने पर सोच विचार में पड़े रहे क्योंकि हम सभी पक्षों का समर्थन प्राप्त करना चाहते हैं। परन्तु अरब के मामले में हमें एक निश्चित पार्ट अदा करना था, चाहे हमें वैदेशिक सहायता मिलती या न मिलती क्योंकि तब हमारे पीछे एक ऐसी तीसरी स्वतन्त्र शक्ति रहती जो हमारी सहायता करती।

आज इस अरब राष्ट्रीयता से सर्व इस्लामिक आन्दोलन की चिनगारियां निकलने की सम्भावना है। अरब संसार तेल संसाधन का सब से बड़ा क्षेत्र है और वह परिवहन की कड़ी है इसलिये एशियाई देशों की अपेक्षा हमारा हित अधिक है क्योंकि हम भारतीय महासागर में स्थित हैं। अतएव मेरी यह नम्र स्वीकृति है कि जब घटनाओं ने हमें अरब की राष्ट्रीयता और साथ ही सर्व इस्लामिक आन्दोलन को नेतृत्व करने का अवसर दिया था तब हम ऐसा करने से चूक गये। यदि हमने लेबनान में फौजें उतारने के बारे में अमेरिका तथा जोरडन में ब्रिटेन द्वारा फौजें उतारे जाने के बारे में अन्य राष्ट्रों से साथ मिलकर उनकी आलोचना की होती तो हमें उनका नेतृत्व करने को मिल जाता।

हमने संयुक्त राष्ट्र संघ में पेश किये गये आइसनहोवर योजना की सीधी आलोचना नहीं की और उसका परिणाम यह हुआ कि लेबनान तथा जोरडन की कठपुतली सरकारों को सहायता मिल रही है तथा उन्हें बदलने की जनता की इच्छा को आक्रमण का नाम दिया जा रहा है। इन सरकारों को आर्थिक सहायता का बाना पहिना कर, उन देशों के शोषण को चालू रखने का ही प्रयास किया जा रहा है। अरब की राष्ट्रीयता अपने संसाधन अर्थात् तेल के लेन देन में पश्चिमी राष्ट्रों से स्वतन्त्र सौदा करना चाहती है और केवल तभी हो सकता है जब कि अरब के देश संगठित हों। आइसन-

होवर द्वारा पेश की गई योजना से इन छोटे छोटे अरब देशों में कुछ थोड़ी सी उस आर्थिक सहायता के कारण दुश्मनी हो जायगी जो कि उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिकरणों द्वारा दिये जाने का वचन दिया गया है ।

इन क्षेत्रों की रक्षा के लिये कुछ संयुक्त राष्ट्र सेना के साइप्रस में रखने का सुझाव है । हमें इसका विरोध करना चाहिये ।

हम सीमा दुर्घटनाओं की चर्चा करते हैं । हम जानते हैं कि पाकिस्तान केवल जातीय भावनाओं और धार्मिक बैर फैलाकर ही पनप सकता है । इस समस्या को समस्त अरब देशों अथवा समस्त इस्लाम के द्वारा ही हल किया जा सकता है । हमें इन अरब देशों को सीमा-दुर्घटनाओं का निरीक्षण करने के लिये बुलाना चाहिये ।

मेरी प्रार्थना यह है कि मध्य पूर्व देशों में साम्राज्यवादी हितों के ध्वंसावशेष हैं और आइसन-होवर की नीति यह है कि इस क्षेत्र से ब्रिटेन के चले जाने के बाद एक शक्ति शून्यता आ गई जो या तो रूस या अमेरिका द्वारा पूरी की जायगी । इसी को पूरा करने के लिये संयुक्त राष्ट्र के अभिकरणों का आश्रय लिया गया है ।

शिखर सम्मेलनों के द्वारा शांति स्थापित करने का प्रयास भी मध्यपूर्व की इन घटनाओं के फलस्वरूप नष्ट हो गया है । निशस्त्रीकरण के लिये तो शिखर सम्मेलन ठीक हैं परन्तु एशिया के लिये उनकी आवश्यकता समझ में नहीं आती । क्या हम इन शक्ति-गुटों पर इतने निर्भर हैं कि वे अविकसित देशों का भविष्य निश्चित करें ?

शिखर सम्मेलन का विचार छोड़कर संयुक्त राष्ट्र में अचानक चर्चा शुरू होने का कारण चीन द्वारा अभिषेध का उपयोग किया जाना है । मेरी राय में चीन ने अभिषेध इसलिये लगाया है कि वह नौकरशाही में उदारीकरण की इस नीति का पोषक नहीं है जो रूस की नीति है परन्तु वह कुछ सीमा तक वर्तमान तनावों को बनाये रखने की स्टालिनवाद का समर्थक है अतएव इस स्ख का भी ध्यान रखना चाहिये क्योंकि हम शेष संसार से अपनी मित्रता बढ़ाना चाहते हैं जिसमें साम्यवादी संसार की वर्तमान प्रवृत्तियां घातक हो सकती हैं ।

श्री अ० च० गुह (बारसाट) : महोदय, इस विवाद में बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूँ । मुझे प्रसन्नता है कि प्रधान मंत्री ने अपने भाषण का प्रारंभ हमारे पाकिस्तान के संबंधों से की है । प्रधान मंत्रियों प्रस्तावित सम्मेलन से सीमा घटनाओं का हल नहीं हो सकता क्योंकि इस संबंध में पिछले ११ वर्षों में हुए सम्मेलनों, वात्ताओं तथा पत्रव्यवहार का कोई असर नहीं पड़ा । त्रिपुरा, आसाम और पश्चिमी बंगाल की सीमा में स्थिति वैसी ही है और उस सभा तथा सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिये ।

यहाँ के समाचार पत्रों में सीमा घटनाओं के अपेक्षाकृत कम तथ्यों पर प्रकाश डाला जाता है परन्तु इस तथ्य को नहीं छिपाया जा सकता कि सीमा पर बसने वाले लोगों की जानें जाती हैं और उन्हें अपने घर द्वार तथा जान माल छोड़ कर भागना पड़ता है और वे घरहीन शरणार्थी हो जाते हैं । सरकार का यह कर्तव्य है कि वह इन सीमा पर बसने वाले लोगों की रक्षा करे चाहे हमारे तथा पाकिस्तान के सम्बन्ध कैसे भी क्यों न हो जायें । सीमा पर शीतयुद्ध का वातावरण है और वहाँ के लोग अत्यन्त आतंकित हैं अतएव हमारे प्रधान मंत्री इस ओर ध्यान दें कि सीमा पर बसने वाले लोगों को पाकिस्तान के राजनैतिक या अन्य प्रकार के इरादों के कारण कष्ट न उठाना पड़े ।

[श्री अ० च० गुह]

मैं सरकार का ध्यान कूच-बिहार के एकीकरण के बाद बचने वाली उन छोटी बस्तियों की ओर दिलाना चाहूंगा जो भारतीय सीमा से घिरा है परन्तु पाकिस्तान की है, इसी प्रकार जो पाकिस्तान से घिरी हैं और भारत की हैं। इसी स्थिति में ये सात या आठ वर्षों से हैं। इनमें कोई प्रशासन नहीं है तथा वहां अपराधों, खूनों तथा डाकेजनी का बाजार गरम है। उनमें न तो पाकिस्तान का ही प्रशासन चल सकता और न हमारा ही अतएव इन बस्तियों में लोग तकलीफें उठा रहे हैं। इन बस्तियों की व्यवस्था की जानी चाहिये। हो सकता है कि हमारी बस्तियां क्षेत्र अथवा आबादी में पाकिस्तान के अधिकार की बस्तियों से बड़ी हों परन्तु जनता के कष्ट और पीड़ा को देख कर उस पर ध्यान न दिया जाये। मैं आशा करता हूं कि प्रधान मंत्री इस सम्बन्ध में भी शीघ्र कार्यवाही करेंगे और पाकिस्तान के प्रधान मंत्री से होने वाले सम्मेलन में उसका निपटारा करेंगे।

आचार्य कृपालानी ने तिब्बत के बारे में यह कहा है कि यह संदेहास्पद है कि तिब्बत हमारे अधिकार में रहे या चीन के। चीन का कई क्षेत्रों में एक प्रकार का ढीला सा आधिपत्य है जिनमें बर्मा, हिन्द-चीन और श्याम शामिल हैं। शायद तिब्बत भी उसी प्रकार का एक क्षेत्र राज्य रहा है। कुछ भी हो तिब्बत को चीन को सौंप देने से उत्तरी सीमा की रक्षा की समस्या उत्पन्न हो गई है।

नेपाल के सम्बन्ध में हम वहां की स्वतन्त्र सरकार का भरोसा कर सकते हैं परन्तु भूटान तथा सिक्किम का प्रश्न विचारणीय है। ये रियासतें पश्चिमी बंगाल की सीमा पर हैं और हमारे सम्बन्ध इनसे अच्छे नहीं हैं। ये सब प्रकार के चौरानियन तथा विदेशी जासूसी का अड्डा बनी हुई हैं। इन बातों पर भी प्रधान मंत्री को ध्यान देना चाहिये।

आज की चर्चा का मुख्य विषय मध्यपूर्व है। वहां अरब की राष्ट्रीयता को मान्यता का प्रश्न है। यद्यपि मोरक्को से ईराक तक फैले हुए इन १५ या १६ देशों में एक ही प्रशासन का चलाना शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक रीति से असम्भव है फिर भी आज वहां की राष्ट्रीयता की भावना को मान्यता देनी ही होगी।

प्रथम महायुद्ध में ओटोमन राज्य के पतन के बाद ब्रिटेन ने मेसोपोटामिया तथा पैलिस्टाइन सहित अरब देशों पर अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश की। ट्रांसजोरडन एक राजनैतिक प्रहसन है और वह भौगोलिक तथा राजनैतिक दृष्टि से कभी मान्य नहीं हो सकता। ब्रिटेन को यह मान लेना चाहिये।

अभी लगभग दो वर्ष पहिले ब्रिटेन के एक प्रसिद्ध सेनानायक (जनरल) को जोरडन से खदेड़ दिया गया था और ब्रिटेन को अपनी सेनायें भेजकर वहां अप्रिय एकराज्य (मॉनकी) स्थापित करना पड़ा। लेबनान एक छोटा सा राज्य होने पर भी फ्रांस की कूटनीति से दो भागों सीरिया तथा लेबनान में बंट गया है। वास्तव में दोनों राज्यों की लेबनान के रूप में मान्यता होनी चाहिये। हो सकता है कि लेबनान भी अरब संघ के गणतंत्र में शामिल होना चाहे।

अतएव स्वभावतः लेबनान में अमेरिका की सेनाओं के उतारे जाने का प्रश्न आता है। अमेरिका के वाशिंगटन, जफर्सन, लिंकन आदि व्यक्तियों ने तथा वहां क्रांति ने हमें स्वतंत्रता प्राप्त करने की प्रेरणा दी है। चीन को भी अपने क्षेत्र राज्य को एकीकृत करने की प्रेरणा वहीं से मिली है। एक समय चीन में अमेरिका की प्रतिष्ठा थी लेकिन आज उसकी बुराई हो रही है। तब अमेरिका मॉनरो के सिद्धांतों का समर्थक था परन्तु आज वह उसके विपरीत जा कर शक्ति शून्यता (पावर वक्यूम) को पूरा करने के लिये अपनी सेनायें भेज रहा है।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अमेरिका को यह ज्ञात होना चाहिये कि हमारी सीमा के पास या हमारे प्रतिरक्षा के क्षेत्र में अपनी सेनायें रखे कर वह हिन्दुस्तान से मित्रता का व्यवहार नहीं कर रहा। आज के पत्रों

में कहा गया है कि मध्यपूर्व की अव्यवस्था या अशांति को दूर करने के लिये कुछ अमरिकी सैनिक कर्मचारी सिंगापुर तथा मलाया में भेजे जा रहे हैं। क्या हम इससे यह समझें कि अमेरिका हिन्दुस्तान के विरोधी देशों को सहायता देने के लिये पूर्व और पश्चिम में सेनायें जमा कर रहा है? अमेरिका, पाकिस्तान, चियाग कार्ड शेक, री तथा चमायू की कठपुतली सरकारों को बढ़ावा दे कर ठीक नहीं कर रहा।

हमें यह प्रयत्न करना चाहिये कि अरब राष्ट्रीयता को मान्यता मिले तथा लेबनान और जोरडन में विदेशी सेनायें न रहें। हम ने रूस की सेनाओं के हंगरी पर भेजे जाने पर विरोध किया था और हम ने वारसा संधि और बगदाद संधि के खिलाफ आवाज उठाई थी। वास्तव में अटलांटिक चार्टर, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन, मध्यपूर्व प्रतिरक्षा संगठन तथा अन्य ऐसी संधियों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के महत्व को कम कर दिया है। हमें इन शक्तिशाली राष्ट्रों को यह बता देना चाहिये कि इन संधियों से संसार में शांति और सुरक्षा स्थापित नहीं हो सकती।

शिखर सम्मेलन के प्रस्ताव पर अमेरिका ने कहा था कि यदि भारत को उसमें आमंत्रित किया गया तो उसमें उलझनें तथा गड़बड़ी होगी। वास्तव में पाकिस्तान ने भारत के आमंत्रित किये जाने का विरोध किया था। भारत के इसमें आमंत्रित किये जाने के कारण ही शायद शिखर सम्मेलन नहीं किया गया—क्योंकि बड़ी शक्तियां हिन्दुस्तान को एक बड़ी शक्ति की मान्यता नहीं देना चाहतीं। यद्यपि हमारे पास सैनिक तथा आर्थिक बल नहीं हैं तथापि हमारी नैतिक प्रतिष्ठा है और हम कुछ क्षेत्रों में कमजोर देशों के मित्र तथा उनकी स्वतंत्रता के समर्थक समझे जाते हैं और यही हमारी नैतिक शक्ति है।

अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारी वैदेशिक नीति, चाहे उसके विभिन्न स्वरूपों पर भले ही मतभेद हो, अधिकांशतः ठीक ही है क्योंकि वह किसी विशेष दल के सिद्धांतों पर आधारित न हो कर राष्ट्रीय हित को ध्यान में रख कर बनाई गई है। हमें यह ध्यान में रखना चाहिये कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो मान मिला है, जो सफलता मिली है वह हमारे राष्ट्रीयता का आंतरिक मूल्य न हो कर अधिकांशतः महात्मा गांधी महान प्रतिष्ठा तथा प्रधान मंत्री की गरिमा की छाया मात्र ही है और हमें अपनी इस प्रसिद्धि तथा सम्मान को बचाने का प्रयत्न करना चाहिये।

श्री वाजपेयी (वलरामपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पिछले दस सालों में दुनियां के दोनों शक्ति गुटों से अलग रहने और दूसरे देशों के झगड़ों में न पड़ने की जो वैदेशिक नीति हम ने अपनाई है, वह सही नीति है, और उस से न केवल हमारे राष्ट्र का ही कल्याण हुआ है अपितु संसार में शान्ति को बनाये रखने में भी मदद मिली है। परिस्थिति तो ऐसी है कि आज हमारे राष्ट्र का हित और विश्व की शांति यह दोनों एक ही गये हैं। अगर संसार में शांति रहती है तो उस में हमारे राष्ट्र का हित होगा और अगर भारत के हितों का संरक्षण और संवर्धन होता है तो संसार में शान्ति की शक्तियों को बल मिलेगा। इसलिये यदि कोई यह कहता है कि हमें इस नीति को छोड़ कर रूसी गुट के साथ या अमरीका के साथ मिलने पर विचार करना चाहिये, तो मैं समझता हूँ कि या तो वह नासमझी के कारण ऐसा कहता है या कुछ दूसरे देशों के संकेतों पर चलने की उस की मनोवृत्ति बन गई है। राष्ट्रीय हित का तकाजा यही है कि हम दृढ़ता के साथ इस नीति पर चलें।

मैं ने निवेदन किया कि संसार में शांति रहे यह हमारे हितों में भी आवश्यक है। हम राष्ट्र निर्माण के प्रयत्नों में लगे हैं, हम एक यज्ञ कर रहे हैं उस यज्ञ में हमें सभी राष्ट्रों

[श्री वाजपेयी]

की सहायता चाहिये, सभी का समर्थन चाहिये । किन्तु इस आवश्यकता का एक पहलू और भी है । पिछले डेढ़ सौ वर्षों में साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष करते करते हमारे अन्तःकरण में लोकतंत्र के लिये राष्ट्रीयता के लिये प्रबल भावनायें उत्पन्न हुई हैं और बलिदानों के बाद हम ने उसे प्राप्त किया है, इसलिये दूसरों की आजादी की भी हम कीमत समझते हैं । इसलिये दुनिया के किसी भी देश में जब विदेशी फौजें उतरती हैं तो हमारे हृदय को आघात लगता है और हम चुप नहीं रह सकते ।

सवाल यह है कि हम क्या आज की परिस्थिति में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में अधिक बोलकर अपने राष्ट्र के हितों का संवर्धन कर सकते हैं ? यह तो ठीक है कि हम अकेले नहीं रह सकते, जिसे अंग्रेजी में आइसोलेशन कहते हैं, और दुनियां हमें अलग रहने भी नहीं देगी । हम अलग भले ही रहना चाहें मगर घटनायें हमें अपनी पकड़ में ले लेंगी । मगर प्रश्न यह है कि क्या सचमुच में हम दूसरे देशों के झगड़ों से अलग रहने की नीति को कुछ और भी बढ़ा कर विचार कर सकते हैं ? बोलने के लिये वाणी चाहिये, मगर चुप रहने के लिये वाणी और विवेक दोनों चाहियें । अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हम कुछ अधिक बोलने के आदी हो गये हैं, और मेरा निवेदन है कि हमें चुप रहने की कला का अभ्यास करना चाहिये । हमारे प्रधान मंत्री जैसे व्यक्ति के लिये, जो सदैव विश्व राजनीति की दृष्टि से सोचते हैं, यह काम कठिन जरूर है, लेकिन राष्ट्र के हितों का तकाजा यही है, और इसलिये मुझे बड़ी खुशी हुई जब फ्रांस की आन्तरिक घटनाओं के बारे में प्रधान मंत्री ने यह कहा कि यह फ्रांस का घरेलू मामला है, मैं इस के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, वरना हमारे देश में कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो इस सम्बन्ध में भी उन का मुंह खुलवाने पर तुले हुए थे । इंडोनेशिया के झगड़े के बारे में, जो अन्दर का झगड़ा है, हमें अपनी राय प्रकट करने की कोई आवश्यकता नहीं इसलिये मेरा निवेदन है कि अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर हम जितना कम बोलें और जिन प्रश्नों का हम से सीधा सम्बन्ध नहीं है, उन के बारे में अगर हम चुप रहने की नीति का अवलम्बन कर सकें तो शायद अच्छा होगा ।

इस सम्बन्ध में मैं शिखर सम्मेलन की बात भी कह दूँ । जब समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हुआ कि हमारे प्रधान मंत्री शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिये जा रहे हैं, स्वाभाविक है कि प्रत्येक भारतीय का मस्तक गर्व से ऊंचा हो गया । भौगोलिक दृष्टि से जन संख्या की दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से विश्व के मंच पर भारत का एक स्थान है, उस के अनुसार शिखर सम्मेलन के लिये बड़ों में हमारी गणना होनी चाहिये । बड़ा कोई हथियारों से नहीं होता लेकिन जिस परिस्थिति में शिखर सम्मेलन का प्रस्ताव रक्खा गया और उस को स्वीकार करने के सम्बन्ध में नई दिल्ली से जो खबरें छपीं, उन से इस प्रकार का भ्रम पैदा हुआ कि शायद हम शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिये कुछ लालायित से हैं । समाचारों से यह भ्रम फैला । यह हमारी परिस्थिति के अनुकूल नहीं है ।

श्री च० द० पांडे (नैनीताल) : यह भ्रम था ।

श्री वाजपेयी : हां, मगर हमें भ्रम फैलने का भी मौका नहीं देना चाहिये था । हम शिखर सम्मेलन में जायें, अगर सब हमें बुलायें, सब की सहमति से हम जायें । और मैं तो समझता हूँ कि जिस परिस्थिति में शिखर सम्मेलन हो रहा था उस में भारत के बजाय अगर पश्चिमी एशिया का कोई देश जाता, चाहे फिर वह इजिप्त होता या उस के प्रेसीडेंट नासिर होते, उन का वहां जाना ज्यादा आवश्यक था बजाय हमारे जाने के । लेकिन रूस ने हमारा प्रस्ताव रक्खा । स्वाभाविक है कि हम ने उस का स्वागत किया मगर दूसरों ने टांग अड़ाई नतीजा यह हुआ कि आज हिन्दुस्तान की

जनता में ऐसी भावना फैली है कि रूस तो हमें चाहता था अमरीका नहीं चाहता था। मतलब यह कि शीत युद्ध में, प्रचार की लड़ाई में रूस ने हमें मोहरा बना कर अमरीका को एक मात दे दी और हम मोहरा बन गये।

एक माननीय सदस्य : नहीं बने।

श्री वाजपेयी : नहीं बने तो अच्छा है, लेकिन ऐसा मालूम पड़ता है कि हम बने गये।

श्री च० द० पांडे : बच गये।

श्री वाजपेयी : बन गये, बचे नहीं, मगर हमें बचना चाहिये और जो भावना फैल गई है उस के प्रति हमें जागरूक रहना चाहिये।

पश्चिमी एशिया में जो भी घटनायें होती हैं, उन से प्रत्येक भारतीय को दुख होना स्वाभाविक है, और इन घटनाओं से यह स्पष्ट है कि जब तक संसार की बड़ी शक्तियां इस तथ्य को स्वीकार नहीं करेंगी कि हर एक राष्ट्र को स्वतंत्र होने का और अपने आदर्शों के अनुकूल अपने जीवन को निर्धारित करने का अधिकार है, तब तक संसार में शांति नहीं होगी। राष्ट्रीयता और लोकतंत्र, यह इस युग के प्रवाह हैं और जो भी उन के विरुद्ध खड़ा होगा, चाहे वह कितनी भी बड़ी ताकत हो, उस को आज नहीं तो कल परास्त होना पड़ेगा। दुःख की बात तो यह है कि पश्चिमी देश, जिन का प्रमुख अमरीका है, वहां के लोग लोकतंत्र का नाम तो लेते हैं, और वे अपने देश में लोकतंत्रवादी हैं भी, लेकिन वह अपने मुल्क के बाहरे लड़खड़ाते सिंहासनों और डगमगाते हुए राजमुकुटों की रक्षा करना चाहते हैं। अब राजतंत्र नहीं चलेगा वह तो युग के प्रवाह के प्रतिकूल है। राजाओं, नवाबों के सिंहासन लोकतंत्र की धारा में बह जायेंगे और अगर कोई इन सिंहासनों के बल पर प्रयत्न करेगा तथाकथित कम्यूनिज्म के प्रसार को रोकने की, तो उसे कभी सफलता नहीं मिलेगी। मुझे दुःख है कि दुनिया के लोकतंत्रवादी देश कम्यूनिज्म को रोकने के लिये ऐसे उपाय अपना रहे हैं जिन से कम्यूनिज्म बढ़ता चला जा रहा है। राजतंत्र का समर्थन कर के लोकतंत्र की रक्षा नहीं की जा सकती। यह स्वीकार किया जाना चाहिये कि हर एक जनता को अपनी राष्ट्रीयता को प्राप्त करने का और लोकतंत्र के अनुसार अपने जीवन को निर्धारित करने का अधिकार है। रूस और अमरीका जब तक इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक पंचशील की कितनी भी घोषणायें करें, वह संसार में शान्ति स्थापित करने में सहायक नहीं हो सकते। मुझे विश्वास है कि अमरीका के नेता इस सम्बन्ध में अपनी नीति पर पुनर्विचार करेंगे। हमारे पड़ोसी पाकिस्तान को हथियार दे कर वह कम्यूनिज्म को रोकना चाहते हैं। अगर एशिया में कम्यूनिज्म रुक सकता है तो लोकतंत्र के बल पर ही रुक सकता है। जहां हर छः महीने में देश की सरकार बदलती है, २४ घंटे के भीतर एक प्रान्त के मुख्य मंत्री, गवर्नर और उन की पूरी सरकार बदल जाती है, वह सामन्तवाद पर आधारित साम्प्रदायिकता को उत्तेजना देने वाला, लोकतंत्र से दूर पाकिस्तान अमरीका की मदद ले कर कम्यूनिज्म को नहीं रोक सकता। लेकिन उन की नीति के कारण हमारे यहां भी कठिनाई पैदा हो गई है। हमें अपने धन का बहुत सा भाग हथियार खरीदने में खर्च करना पड़ रहा है जबकि आज सचमुच हमें राष्ट्र के निर्माण के प्रयत्नों में लगना चाहिये। अमरीका के नेता बुद्धिमानी से काम लें इस बात की आवश्यकता है।

साथ ही मैं अपनी सरकार से भी कहना चाहता हूं कि हमारे देश की पूर्वी सीमा पर जो सीमा उल्लंघन की घटनायें हो रही हैं, पाकिस्तानी सैनिक हमारी सीमा में घुस आते हैं, रात दिन गोली वर्षा करते हैं, यह घटनायें गम्भीर दृष्टि से देखी जानी चाहियें।

अभी पाकिस्तान के प्रधान मंत्री से बातचीत होगी, इस प्रकार का संकेत दिया गया है। मैं आशा करता हूं कि उस बातचीत के पहले ही पाकिस्तान की सेना जितनी भी भारत की भूमि पर

[श्री वाजपेयी]

अधिकार किये हुए है उस अधिकार को खाली कर देगी। लेकिन अगर हमारी भूमि उन के कब्जे में रहे और फिर हम शान्ति की बात करने जायें तो मैं समझता हूँ कि इस से उन का साहस, दुःसाहस ही बढ़ेगा। उन्हें हमारे देश की एक-एक इंच भूमि को खाली करना चाहिये और यह आश्वासन देना चाहिये कि वह सचमुच में पूर्वी सीमा पर शान्ति चाहते हैं। मुझे तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि हम पाकिस्तान से उस भाषा में बात नहीं करते जिस भाषा को वह समझता है। हम ऐसी भाषा में बोलते हैं जो हमारी दृष्टि से तो शायद ठीक हो लेकिन पाकिस्तान की समझ में नहीं आती

एक माननीय सदस्य : चूँकि मुश्किल हिन्दी में बोलते हैं।

श्री वाजपेयी : अंग्रेजी में भी बोलते हैं लेकिन फिर भी उनकी समझ में नहीं आता। मैं जिस भाव से बात कह रहा हूँ मैं समझता हूँ कि उस भाव को ग्रहण किया जायेगा। देश में कोई लड़ाई नहीं चाहता। भारत में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पाकिस्तान से युद्ध चाहता हो लेकिन शान्ति सम्मान के साथ होनी चाहिये। शान्ति स्थायी आधारों पर प्रतिष्ठित होनी चाहिये। इस तरह की गोली वर्षा होती रहे और हम कोई ऐसा कदम न उठायें जो कि जनता में विश्वास का सृजन करे तो कभी कभी लोगों में यह भी आशंका पैदा होती है कि जब छटपुट गोली वर्षा का हम मुकाबला नहीं कर सकते तो अमरीकी हथियारों से लैस हो कर पाकिस्तान जिन जिहाद के नारों को लगाता है, अगर उन्हें यदि अमल करने पर तुल गया तो हमारा क्या हाल होगा। हम जानते हैं कि कोई चिन्ता की जरूरत नहीं है। हम काफी समर्थ हैं मगर जनता में भी तो इस विश्वास को बनाय रखना चाहिये और इस दृष्टि से पूर्वी सीमा की रक्षा के लिये कुछ और भी कदम उठाये जाने चाहिये। आवश्यक हो तो सीमावर्ती जनता को हथियार दिये जा सकते हैं। उन्हें सैनिक शिक्षा दी जा सकती है। एक राष्ट्रीय सेना का संगठन किया जा सकता है लेकिन जनता के इस विश्वास को चोट नहीं लगने देना चाहिये कि पाकिस्तान पूर्वी सीमा पर मनमानी कर सकता है। मुझे विश्वास है कि सरकार इस सम्बन्ध में भी दृढ़ता से काम लेगी।

एक बात जो मैं ने प्रारम्भ में कही थी उस की ओर संकेत कर के मैं समाप्त कर दूँगा। संसार में जो भी घटनायें होती हैं हम उन से अलग नहीं रह सकते। लेकिन एक पहलू और भी है और वह यह है कि आज हमारी जनता की सारी शक्तियां राष्ट्र निर्माण के प्रयत्नों में केन्द्रित होनी चाहियें। कुछ हमारे देश का ढंग ऐसा बन गया है कि हम ने अन्तर्राष्ट्रीयता का अतिरेक हो गया है। हमारे समाचारपत्र और हमारे राजनैतिक दल देश में जो घटनायें चलती हैं उन पर अपनी नज़र कम रखते हैं। हमारी नज़र बाहर ज्यादा रहती है। बाहर की घटनायें महत्वपूर्ण नहीं होतीं यह मैं नहीं कहता लेकिन आज हमारी दृष्टियां अन्तर्मुखी न हो कर बहिर्मुखी हो रही हैं। अगर हम दुनिया के देशों के झगड़ों की ओर देखेंगे तो हमारे देश की जनता का ध्यान राष्ट्र निर्माण के प्रयत्नों की ओर से बंट जायगा और मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर हम देश में राष्ट्र निर्माण के लिये अधिक से अधिक बलिदान करने की भावना पैदा न कर सके तो उस का एक बड़ा कारण यह भी है कि हमारा ध्यान इधर उधर ज्यादा बंटा रहता है। प्रधान मंत्री महोदय, इस बात पर विचार करें कि यह किस तरीके से सम्भव हो सकता है कि हम आइसोलेशन में न चले जायें और हमारी शक्तियां राष्ट्र निर्माण के प्रयत्नों में लगे। हमारे अखबारों में अपने देश के निर्माण कार्यों की ओर जनता का ध्यान दिलाया जाये और हमारे देश के समाचारपत्र राष्ट्र निर्माण सम्बन्धी समाचारों को अपने समाचारपत्रों में महत्वपूर्ण स्थान दें। इस के लिये मैं समझता हूँ कि जैसे मैं ने कहा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में थोड़ा चुप रहने की कला का अभ्यास करना चाहिये और यह अगर हम अभ्यास बढ़ायेंगे तो विश्व शान्ति की स्थापना में हमारे जो भी प्रयत्न हैं वे थोड़ा बहुत सफल होंगे। प्रधान मंत्री ने कहा था कि शान्ति कोई हमारे भरोसे पर कायम नहीं है। शान्ति निर्माण के लिये हम प्रयत्न करें मगर अपने राष्ट्र-

निर्माण के प्रयत्नों को धीमा न होने दे और इस के लिये जनता के एकाग्रमुख हो कर जुटने की आवश्यकता है। उस के लिये पहले सरकार का जुटना आवश्यक है, इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

दिल्ली में पानी की व्यवस्था के सम्बन्ध में वक्तव्य

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू): मैं आशा करता हूँ कि सभा यह जानने के लिये उत्सुक होगी कि पानी मिलने के बारे में अब स्थिति क्या है। मुझे नवीनतम स्थिति का तो पता नहीं क्योंकि पिछले १ १/२ घंटों से मेरे पास कोई खबर नहीं आई है। दो बजे मुझे बताया गया था कि ११ यूनिटों में से ७ यूनिट २४ घंटे में ३४० लाख गैलन पानी रिज़रवायर में पम्प कर रहे थे। सामान्य रूप से ११ यूनिटों की क्षमता २४ घंटे में ६०० लाख गैलन पानी पम्प करने की है। पानी में क्लोराइड की मात्रा कम थी यानी दस लाख भाग में लगभग ७ भाग थी। आज सवेरे हम ने सेना से इस के इन्तज़ाम का पूरा जिम्मा लेने को कहा है। सेना के लोग न केवल नहर ही काटेंगे वरन् पानी की शुद्धता पर भी ध्यान देंगे। जहां कहीं भी कुएं हैं उन से पानी पम्प करने में वे सहायता करेंगे। जहां पानी की जरूरत है जैसे अस्पतालों आदि में वहां वे अपनी गाड़ियों में पानी बांटेंगे। वे आज शाम छः बजे इन सब कामों का पूरा जिम्मा ले लेंगे।

शाम को ३ बज कर ४५ मिनट पर यह रिपोर्ट दी गई थी कि ११ में से केवल पांच यूनिट काम कर रहे हैं। उस समय कुछ समय के लिये दो यूनिट बंद कर दिये गये थे क्योंकि उन में कीचड़ वाला पानी आने लगा था पर फिर भी प्रति २४ घंटा ३१० लाख गैलन पानी पंप किया जा रहा था। आज शाम को ५ बजे से ३ घंटे के लिये पानी दिया जायेगा।

पानी की व्यवस्था को सामान्य स्थिति पर लाने के लिये पूरा प्रयत्न हो रहा है फिर भी मैं कुछ ऐसी बात नहीं कहना चाहता जिसे बाद में मुझे बदलना पड़े। मैं सभा के सामने साफ कह देना चाहता हूँ कि हमें पानी की शुद्धता को बनाये रखने की ज्यादा चिन्ता है चाहे पानी मिलने में अभी कुछ असुविधा हो। यही हमारी कठिनाई है।

†श्री दासप्पा (बंगलौर) : क्या अभी भी पानी को उबालने की आवश्यकता है ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : निश्चय ही पानी को उबाल लिया जाना चाहिये।

इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार, २० अगस्त १९५८ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

दैनिक संक्षेपिका

[मंगलवार, १६ अगस्त १९५८]

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		७६३—७८८
तारांकित		
प्रश्न संख्या		
२१६	दण्डकारण्य योजना	७६३—६५
२२०	कार्बन ब्लैक बनाने का संयंत्र	७६५—६६
२२२	राजस्थान के भू-स्वामी नेता	७६६—६८
२२३	मैसर्स जैसप ऐण्ड कम्पनी	७६८—६९
२२४	युद्धविराम रेखा को पार करना	७६९—७१
२२५	“भारत—१९५८” प्रदर्शनी	७७१—७४
२२६	वस्त्र उद्योग सम्बन्धी जांच समिति	७७४—७८
२२७	आसाम में बरगोलाई खान	७७८
२२८	बेतिया शरणार्थी कैम्प में पुलिस द्वारा गोली चलाना	७७९—८०
२२९	एकीकृत भेषज उद्योग	७८०—८२
२३०	रेलवे की आवंटित राशि में कमी	७८२—८४
२३१	विकास कार्यक्रम की क्रियान्विति	७८४
२३२	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण योजनायें	७८५—८६
२३३	कागज बनाने की मशीनों का निर्माण	७८६
२३४	उर्वरक के कारखाने	७८६—८८
प्रश्नों के लिखित उत्तर		७८८—८३६
तारांकित		
प्रश्न संख्या		
२२१	स्वांग रेलवे कोलियरी	७८८
२३५	कीर्तिनगर बस्ती	७८९
२३६	भारत-पाकिस्तान राजनयिक मिशन	७८९—९०
२३७	त्रिपक्षीय समिति की रिपोर्ट	७९०
२३८	निर्यात जोखिम बीमा निगम (प्राइवेट) लिमिटेड	७९०
२३९	सिंगापुर में भारतीय	७९०—९१
२४०	चल चित्रों की निर्यात संवर्धन समिति	७९१
२४१	उड़ीसा के मामलों में विदेशी शक्तियों का हस्तक्षेप	७९१—९२
२४२	योजनाओं के अन्तर्गत रोजगार दिलाने का कार्य	७९२
२४३	जापान की भारतीय लोह अयस्क प्रतिनिधि मण्डल	७९२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
२४४	कच्ची फिल्मों का वितरण	७६३
२४५	सीमा विवाद	७६३
२४६	सूती कारखानों के बन्द होने की पूर्व सूचना	७६३-६४
२४७	फोटो सम्बन्धी सामान तथा चलचित्र प्रक्षेपिकों का निर्माण	७६४
२४८	सरकारी इमारतों पर नगरपालिका कर	७६४-६५
२४९	रोजगार संभावनायें	७६५
२५०	जिप्सम खान कर्मचारी संघ द्वारा हड़ताल का नोटिस	७६५-६६
२५१	वातानुकूल उपकरण का निर्माण	७६६
२५२	प्रधान मंत्री की तिब्बत यात्रा	७६६
२५३	उच्चतम न्यायालय की नई इमारत	७६६-६७
२५४	लोह अयस्क का निर्यात	७६७
२५५	रघुपल्ली में बेराइट्स की खदानें	७६७
२५६	ग्राम्य औद्योगिक बस्तियां	७६७-६८
२५७	प्रधान मंत्री के लिये नये भवन का निर्माण	७६८
२५८	त्रिदलीय मूल्यांकन समिति	७६८
२५९	अंतरिक्ष की प्रभुता	७६९
२६०	श्रमिकों का उद्योग प्रबन्ध में भाग लेना	७६९
२६१	हथकरघे के कपड़े के लिये निगम	७६९-८००
२६२	ग्राहम प्रतिवेदन	८००
२६३	मूंगफली और मूंगफली के तेल का निर्यात	८००
२६४	नदी घाटी परियोजनायें	८०१
२६५	लेबनान में भारतीय पर्यवेक्षक	८०१
२६६	नागा क्षेत्र में विधि और व्यवस्था	८०२
२६७	दिल्ली में वर्षा	८०२-०३
२६८	सिंगारेनी कोयला खान श्रमिक संघ कोत्तागुदम	८०३
२६९	नई दिल्ली में म्युनिसिपल मार्केट	८०३
२७०	सिंगापुर में भारतीय	८०३-०४
२७१	चमड़े की कीमत	८०४

अतारांकित

प्रश्न संख्या

५१९	अभ्रक	८०४
५२०	पटसन मिलों का बन्द किया जाना	८०५
५२१	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण	८०५-०६
५२२	स्थानीय विकास कार्य	८०६
५२३	बम्बई में खादी सम्बन्धी सहकारी समितियां	८०७

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखत उत्तर--(क्रमशः)		
अशरंकित		
प्रश्न संख्या		
५२४	उत्तर प्रदेश में छोटे पैमाने के उद्योग	८०७
५२५	उत्तर प्रदेश में कुटीर उद्योग	८०७
५२६	सीमा पर छापे	८०८
५२७	प्रथम रूप तथा प्रशिक्षण कर्मशालायें	८०८
५२८	विदेशों में भारतीय शिष्टमण्डल	८०८-०९
५२९	नमक उद्योग सम्बन्धी जांच समिति	८०९
५३०	सीमेंट कारखानों के कर्मचारी	८०९
५३१	पार्लियामेंट स्ट्रीट में मुख्य डाकघर	८०९-१०
५३२	काम दिलाऊ दफ्तर	८१०
५३३	सरकारी इमारतों में नारियल-जटा की चटाइयां	८१०
५३४	कपड़ा मिलों का बन्द किया जाना	८११
५३५	नंगल उर्वरक तथा भारी पानी परियोजना	८१२
५३६	आयात अनुज्ञप्तियां	८१२-१३
५३७	भारत का राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड	८१३
५३८	काश्मीर में रेशम कीट पालन	८१३-१४
५३९	टीन की चादरों का आयात	८१४-१५
५४०	गोमांस का निर्यात	८१५
५४१	पश्चिमी एशिया और मिस्र में आपातकालीन बल	८१४-१६
५४२	समुद्री विधियों सम्बन्धी सम्मेलन	८१६
५४३	ब्रिटेन के साथ कपड़ा व्यापार	८१६-१७
५४४	भोपाल की भारी विद्युत उपकरण परियोजना	८१७
५४५	भारतीय चलचित्र	८१७
५४६	कच्ची फिल्मों का आयात	८१७-१८
५४७	ईंधन इंजेक्शन उपकरण तथा पम्प	८१८
५४८	न्यूनतम मजूरियां का निर्धारण	८१९
५४९	बन्दरों का निर्यात	८१९
५५०	पंजाब में अम्बर चर्खा केन्द्र	८२०
५५१	पालना कोयला खान	८२०
५५२	भारतीय सेना के एक हवलदार की पाकिस्तान में नजरबन्दी	८२१
५५३	पी० टी० आई० के एक संवाददाता की लेबनान सुरक्षा पुलिस द्वारा नजरबन्दी	८२१
५५४	अखिल भारतीय मध्यवर्ग परिवार बजट सर्वेक्षण	८२१
५५५	पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों का पुनर्वास	८२२
५५६	लघु उद्योग	८२२
५५७	प्रलेखीय चलचित्र	८२२-२३
५५८	कपास का आयात	८२३

विषय

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखत उत्तर—(क्रमशः)

अ.सं.क्र.सं.

प्रश्न संख्या

५५६	निर्यात जोखिम बीमा निगम (प्राइवेट) लिमिटेड	८२३
५६०	राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम	८२४
५६१	दक्षिण भारत में मुद्रणालयों की स्थापना	८२४
५६२	हैदराबाद तथा बंगलौर में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों की इमारतें	८२४-२५
५६३	यूगोस्लाविया को सिलाई मशीनों का संभरण	८२५
५६४	ग्राम्य आवास कार्यक्रम	८२५
५६५	पश्चिमी बंगाल में रेशम कीट पालन	८२६
५६६	राजनयिक पारपत्र	८२६
५६७	हथकरघा निर्यात व्यापार	८२६
५६८	कपड़े की मिलें	८२७
५६९	गड़े हुए धन की वसूली	८२७-२८
५७०	दिल्ली में औद्योगिक बस्ती	८२८
५७१	गोदी श्रमिकों के लिये खण्ड दर योजना	८२८-२९
५७२	चंडीगढ़ परियोजना	८२९
५७३	इंग्लैंड में भारतीय	८२९-३०
५७४	युरेनियम के निक्षेप	८३०-३१
५७५	सड़क परिवहन निगम	८३१
५७६	पाकिस्तान से व्यापार	८३१
५७७	हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड	८३१
५७८	पश्चिमी तिब्बत के साथ व्यापार	८३२
५७९	साइकिल उद्योग	८३२-३३
५८०	त्रिपुरा सीमा पर पाकिस्तानियों द्वारा छापे	८३३
५८१	प्लास्टिक निर्यात संवर्द्धन परिषद्	८३३-३४
५८२	छोटे पैमाने के और कुटीर उद्योग	८३४-३५
५८३	योजना गोष्ठियां	८३५
५८४	कंटाई का नमक	८३५-३६
५८६	उच्चतम न्यायालय की नई इमारत	८३६
५८७	उद्योगों के लिये केन्द्रीय मंत्रणा परिषद्	८५६

सभा पटल पर रखे गये पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गये :— ८३७-३८

(१) विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, १९५४ की धारा ४० की उप-धारा (३) के अन्तर्गत विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियम, १९५५ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० संख्या ३६३/आर० अमेंडमेंट २१, दिनांक, १७ मई, १९५८।

- | विषय | पृष्ठ |
|--|-------|
| (दो) जी० एस० आर० संख्या ५६४/आर० अमेंडमेंट २२, दिनांक १२ जुलाई, १९५८ । | |
| (तीन) जी० एस० आर० संख्या ५६५/आर० अमेंडमेंट २३, दिनांक १२ जुलाई, १९५८ । | |
| (चार) जी० एस० आर० संख्या ६१६/आर० अमेंडमेंट २४, दिनांक १६ जुलाई, १९५८ | |
| (२) रबड़ अधिनियम, १९४७ की धारा २५ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत रबड़ नियम, १९५५ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ६ अगस्त, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६८२ की एक प्रति । | |
| (३) केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, १९४८ की धारा १३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत केन्द्रीय रेशम बोर्ड नियम, १९५५ में कुछ संशोधन करने वाली निम्न-लिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति :— | |
| (एक) एस० ओ० संख्या १३४४, दिनांक १२ जुलाई, १९५८ । | |
| (दो) एस० ओ० संख्या ६८३, दिनांक ६ अगस्त, १९५८ । | |
| (४) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :— | |

- (एक) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन द्वारा जून, १९५७ में जनेवा में हुए अपने ४०वें अधिवेशन में स्वीकृत अभिसमय व सिफारिशों ।
- (दो) उपरोक्त अभिसमयों और सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी अथवा की जाने वाली कार्यवाही का विवरण ।

अबिलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ८३८-८३९

श्री नौशीर भरुचा ने जमुना में बाढ़ तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही की ओर गृह-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाया ।

गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

प्रस्ताव विचाराधीन ८४०—६६

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत किया । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य ८६६

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने दिल्ली में पानी की व्यवस्था के बारे में एक वक्तव्य दिया ।

बुधवार २० अगस्त, १९५८ की कार्यावलि

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति सम्बन्धी प्रस्ताव पर आगे चर्चा तथा खाद्य स्थिति सम्बन्धी प्रस्ताव पर भी चर्चा ।